आतंकवाद
एवं
जन साझेदारी

विश्वेश शर्मा

आतंकवाद एवं जन साझेदारी
विश्वेश शर्मा

आतंकवाद
एवं
जन साझेदारी

आतंकवाद एवं जन साझेदारी

विश्वेश शर्मा

विश्वेश शर्मा

आतंकवाद
एवं
जन साझेदारी

आतंकवाद एवं जन साझेदारी

(पं. गोविंद वल्लभ पंत पुरस्कार योजना के अंतर्गत पुरस्कृत)

विश्वेश शर्मा

पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो
गृह मंत्रालय, नई दिल्ली

(भारत सरकार, गृह मंत्रालय ने हिन्दी में पुलिस संबंधी पुस्तकें उपलब्ध कराने के लिए गृह मंत्रालय की हिन्दी सलाहकार समिति ने 23 मई, 1979 की अपनी बैठक में यह निर्णय लिया था कि न्याय वैद्यक, अपराध शास्त्र, पुलिस अनुसंधान और पुलिस प्रशासन आदि विषयों पर लिखित हिन्दी की मौलिक पुस्तकों पर पं. गोविन्द वल्लभ पंत पुरस्कार योजना प्रतिस्थापित की जाए। तदनुसार 22 मार्च, 1980 को अपर सचिव की अध्यक्षता में गृह मंत्रालय में हुई बैठक में निर्धारित मापदंडों के आधार पर इस संबंध में जो निर्णय लिए गए उसके अनुसार इस योजना को अंतिम रूप दिया गया। इस योजना के अंतर्गत ही भाग 1 में मौलिक प्रकाशित पुस्तकों को पुरस्कृत किया जाता है तथा वर्ष 1982 से भाग 2 के अंतर्गत दिए गए विषयों पर पुस्तक लेखन कार्य कराया जाता है। इसी के तहत यह पुस्तक प्रकाशित की जा रही है।)

इन पुस्तक में दिए गए विचार लेखक के निजी है
इनसे पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो,
गृह मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली की
सहमति आवश्यक नहीं है।

प्रकाशक के सर्वाधिकार सुरक्षित

प्रकाशक – पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो (गृह मंत्रालय),
3/4 मंजिल, ब्लाक–II, सी.जी.ओ. कंप्लैक्स,
लोदी रोड, नई दिल्ली–110003

एकमात्र वितरक – नियंत्रक प्रकाशन विभाग,
सिविल लाइंस, दिल्ली–110054

प्रथम संस्करण – 2012

मुद्रक – प्रबंधक, भारत सरकार मुद्रणालय

आमुख

वर्ष 1982 से पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो द्वारा पुलिस व न्यायालयिक विज्ञान से संबंधित हिंदी में साहित्य उपलब्ध कराने के लिए पं. गोविद वल्लभ पंत पुरस्कार योजना को प्रारंभ किया गया था! इस योजना के अंतर्गत पुलिस से संबंधित विभिन्न विषयों पर अनेक पुस्तकें पुरस्कार प्राप्त कर चुकी हैं।

गत वर्ष समिति के सदस्यों ने आतंकवाद की समस्या को देखते हुए यह निर्णय लिया था कि आतंकवाद की समस्या न केवल भारत बल्कि विश्व के प्रमुख देशों में भी विकराल रूप धारण करती जा रही है, इससे न केवल उस देश की सरकार बल्कि आम व्यक्ति भी प्रभावित होता है। अतः इस समस्या के विभिन्न दृष्टिकोणों पर ध्यान देते हुए इसमें जन साधारण एवं समाज की भूमिका किस प्रकार हो तथा इस समस्या का निदान करते समय किस पक्ष की क्या भूमिका होगी और कौन इस समस्या के निदान में कैसे सहायक हो सकता है। समस्या की गंभीरता एवं विभिन्न पहलुओं को देखते हुए ब्यूरो द्वारा संचालित पं. गोविन्द वल्लभ पंत पुरस्कार योजना की मूल्यांकन समिति ने पर्याप्त विचार–विमर्श के बाद देश के विभिन्न प्रांतों से इस विषय पर विचार आमंत्रित किए गए। विभिन्न राज्यों से प्राप्त रूपरेखाओं में से श्री विश्वेश शर्मा द्वारा प्रस्तुत रूपरेखा को चुना गया। लेखक ने इस विषय पर अपने विचार व्यक्त करने के साथ–साथ ठोस सुझाव प्रस्तुत करने का प्रयास भी किया है।

मैं समझता हूं कि आतंकवाद जैसे ज्वलंत मुद्दे पर जन साझेदारी को जोड़कर जो तथ्यपरक सुझाव श्री विश्वेश शर्मा द्वारा दिए गए हैं, उसके लिए वह बधाई के पात्र हैं। लेखक द्वारा किए गए इस सराहनीय प्रयास के लिए मैं अपना आभार प्रकट करता हूं, साथ ही इस पुस्तक के सफल प्रकाशन के लिए ब्यूरो के संपादक हिंदी को

भी धन्यवाद देता हूँ।

मुझे विश्वास है कि इस पुस्तक में प्रस्तुत की गई आतंकवाद व जनसाझेदारी की विभिन्न प्रकार की समस्याओं और समाधानों के बारे में दी गई जानकारी निश्चित ही सभी आम जन के लिए उपयोगी सिद्ध होगी।

के.एन. शर्मा
कार्यवाहक महानिदेशक
पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो

अनुक्रमणिका

प्रस्तावना 9

अध्याय 1
आतंकवाद : संप्रत्यात्मक अवधारणा 13

अध्याय 2
अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आतंकवाद 33

अध्याय 3
आतंकवाद भारतीय परिप्रेक्ष्य में 59

अध्याय 4
आतंकवाद एवं जनता का दृष्टिकोण 104

अध्याय 5
आतंकवाद को रोकने एवं जन साझेदारी प्राप्त करने के साधन 115

सर्वेक्षण प्रपत्र 144

प्रस्तावना

आतंकवाद समकालीन युग की सर्वाधिक ज्वलंत समस्या है। दुनिया का कोई भी देश ऐसा नहीं है जो इस समस्या से ग्रसित न हो। पिछले कुछ दशकों में इसका दायरा निरन्तर बढता जा रहा है और आज यह सुरसा के मुंह की तरह विभिन्न रूपों में फैल रहा है। आतंकवाद को भिन्न–भिन्न रूप से परिभाषित किया जाता है यहां तक कि आज भी सभी देश इसकी किसी एक परिभाषा पर सहमत नहीं है। सामान्य रूप में जब भी किसी व्यक्ति अथवा संगठन के द्वारा अपनी (उचित अथवा अनुचित) बात को मनवाने के लिए अवांछित साधनों – बल प्रयोग, शास्त्रास्त्रों, हिंसा आदि का प्रयोग किया जाता है आंतकवाद कहलाता है समस्यात्मक प्रश्न यह उठता है कि जिन हिंसात्मक गतिविधियों को कुछ देशों के द्वारा आतंकवाद कहा जाता है उन्हें कट्टरपंथी मुसलमान जेहाद, फिलिस्तीन व कश्मीर जैसे भू–भागों को स्वतंत्र देश बनाने की तमन्ना रखने वाले 'स्वतंत्रता की लड़ाई' अमेरिकी अहम के विरोधी 'उत्पीडन व शोषण के विरूद्व संघर्ष तथा तटस्थ सोच वाले 'क्रिया की प्रतिक्रिया' कहते हैं।

आतंकवाद आज विभिन्न रूपों में अपने पैर पसार चुका है। 11 सितंबर, 2001 में अमेरिका के अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार केंद्र एवं पेंटागन की इमारतों को ध्वस्त करने की दुस्साहसिक घटना ने यह दिखा दिया है कि आतंकवादी अपने इरादों को पूरा करने के लिए किसी भी देश में घटना को अंजाम दे सकते हैं। अमेरिका आतंकवाद को समाप्त करने के लिए हर संभव प्रयास कर रहा है परंतु फिर भी यह समस्या निरंतर बढ़ती जा रही है। इसके पीछे एक प्रमुख कारण है कि दुनिया के द्वारा आतंकवाद की समस्या को मूल रूप से समझने का प्रयास ही नहीं किया गया है। आतंकवाद बिना किसी कारण के यूं ही दुनिया में नहीं पसर गया है, इसके सिर उठाने के पीछे कई गंभीर कारण हैं क्योंकि

कोई भी इंसान पैदा होते ही आतंकवादी नहीं बन जाता और भविष्य को लेकर सुनहरे सपने देखने वाली उम्र में कोई इंसानी बम बनने को कैसे तैयार हो जाता है। वास्तविकता यही है कि प्रत्येक व्यक्ति कठिन से कठिन परिस्थितियों में जीना चाहता है। मरने से हर इंसान डरता है चाहे वह वृद्ध ही क्यों न हो फिर वे नौजवान जो भविष्य के लिए सुंदर सपने संजोते हैं कैसे मरने के लिए तैयार हो जाते हैं?

दुनिया में कहीं भी यदि नौजवान दिग्भ्रमित होकर आतंकवाद का रास्ता अपना रहे हैं तो उसके पीछे सबसे बडा कारण गरीबी और बेरोजगारी है, क्योंकि दुनिया में फैली आर्थिक असमानता को दूर करने के लिए कोई सार्थक प्रयास नहीं किया जाता है इसलिए अराजकवादी ताकतें व्यक्ति की असमानता एवं असुरक्षा की भावना को अपने हितों की दृष्टि से प्रयोग करती है और व्यक्ति को आतंकवाद की गर्त में ले लेती है।

आतंकवाद की समस्या का समाधान किसी भी एक देश के द्वारा नहीं किया जा सकता है बल्कि सभी देशों को एक साथ मिलकर रणनीति बनानी होगी तभी आतंकवाद रूपी दानव से निपटा जा सकता है। आतंकवाद रोकने हेतु रणनीति बनाने के साथ उनका क्रियान्वयन भी सक्रिय रूप से किया जाना चाहिए तथा अपेक्षित परिणाम हेतु जनता को भी प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से जोड़ना चाहिए तभी इस समस्या पर नियन्त्रण पाया जा सकता है।

अध्ययन की दृष्टि से पुस्तक को पांच अध्यायों में विभाजित किया गया है। पहले अध्याय में आतंकवाद के अर्थ एवं इसकी अवधारणा को स्पष्ट किया गया है। आतंकवाद के विभिन्न कारणों का विश्लेषण करते हुए बढ़ते हुए आतंकवाद के कारणों पर प्रकाश डाला गया है। दूसरे अध्याय में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आतंकवाद के स्वरूप को परिभाषित किया है। आंकड़ों के माध्यम से आतंकवाद की भयावहता को दर्शाया गया है। इसी अध्याय में अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर सक्रिय विभिन्न आतंकवादी संगठनों के उद्देश्यों एवं गतिविधियों का भी उल्लेख किया गया है।

पुस्तक के तीसरे अध्याय में 'भारत में आतंकवाद' पर प्रकाश डाला गया है। विभिन्न राज्यों में बढ़ती आतंकवादी घटनाओं एवं आतंकवादी संगठनों का भी उल्लेख किया गया है। भारत में आतंकवादी

घटनाएं कुछ राज्यों तक ही सीमित न रहकर नए–नए स्थानों पर भी घटित हो रही हैं जिससे यह परिणाम निकलता है कि आतंकवादी अब अन्य स्थानों पर भी अपने पैर पसार चुके हैं। अगले अध्याय में आनुभाविक अध्ययन के आधार पर आतंकवाद के प्रमुख कारणों को विश्लेषित करने का प्रयास किया गया है। आतंकवाद की समस्या से निपटने के लिए जनता का मत जानकर समस्या को विश्लेषित किया गया है तथा जनता के सुझावों को भी इस अध्याय में सम्मिलित किया गया है।

अन्तिम अध्याय में आतंकवाद की समस्या से निपटने के लिए विभिन्न नीतिगत एवं व्यावहारिक सुझाव दिए गए हैं। वर्तमान में यह भी महसूस किया जा रहा है कि आतंकवाद की समस्या को केवल सरकारी प्रयासों से ही दूर नहीं किया जा सकता अपितु जन साझेदारी के माध्यम से इस समस्या को दूर करने के प्रयास किए जाने चाहिए। इस अध्याय में जन साझेदारी प्राप्त करने के विभिन्न सुझाव दिए गए हैं अर्थात किस प्रकार आतंकवाद को रोकने के लिये जन साझेदारी प्राप्त की जा सकती है तथा आतंकवादी घटनाओं को नियन्त्रित किया जा सकता है। आतंकवादी घटना से निपटने हेतु विभिन्न आपदा राहत सुझावों का भी उल्लेख किया गया है।

इस कृति के सृजन में अनेक विद्वानों का प्रत्यक्ष एवं परोक्ष सहयोग रहा है उन सभी को मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। मैं अपने सहयोगियों विशेषकर पु. अनु. एवं वि. ब्यूरो के संपादक हिंदी के सहयोग व अन्य प्रियजनों तथा अपने बच्चों भव एवं प्लाक्षी का जिन्होंने समय–समय पर मुझे लेखन कार्य में प्रोत्साहन दिया।

– विश्वेश शर्मा

अध्याय : 1

आतंकवाद : संप्रत्यात्मक अवधारणा

वर्तमान में आतंकवाद की समस्या एक विश्वव्यापी गंभीर समस्या बन गई है जो विश्व भर के विकसित एवं विकासशील देशों में कानून, प्रशासन व समाज के लिए गंभीर खतरा बनती जा रही है। आतंकवाद एक ऐसी विचारधारा है जो अपनी स्वार्थसिद्धि और राजनीतिक उद्देश्य की प्राप्ति के लिए हर प्रकार की शक्ति तथा अस्त्रों–शस्त्रों के प्रयोग करने में विश्वास रखती है। अस्त्रों–शस्त्रों का ऐसा घृणित प्रयोग प्रायः विरोधी वर्ग, समुदाय, संप्रदाय अथवा राष्ट्र विशेष को गैर–कानूनी ढंग से डराने, धमकाने, जान से मार देने, हिंसा के माध्यम से सरकार को गिराने तथा शासन तंत्रों पर प्रभुत्व जमाने के उद्देश्य से किया जाता है। इस प्रकार आतंकवाद उस प्रवृत्ति को कहा जा सकता है जिसके माध्यम से कतिपय अवांछित तत्व अपनी सभी प्रकार की मांगें मनवाने के लिए अनेकानेक प्रकार के घोर हिंसात्मक उपायों एवं जघन्य अमानवीय साधनों और अस्त्रों–शस्त्रों का प्रयोग करते हैं। आज विश्व के लगभग सभी देश आतंकवाद की चपेट में आ चुके हैं। राजनीतिक स्वार्थों की पूर्ति के लिए, आर्थिक हितों की प्राप्ति हेतु, सांस्कृतिक सर्वोच्चता के लिए आतंकवादी सार्वजनिक हिंसा और सामूहिक हत्याओं का कुत्सित रास्ता अपना रहे हैं।

प्रो. पेट्रो आर. डेविड लोवार्ड ने कहा है– 'चाहे कोई भी देश हो, सामान्यतया आतंकवादी ही एक जैसी गति, प्रणाली और आयाम ग्रहण करता है। यहां तक कि आतंकवादियों की कार्यप्रणाली भी एक समान होती है। वे अति महत्वपूर्ण व्यक्तियों और राजनयिकों का अपहरण करते हैं, विमानों का अपहरण करते हैं, सार्वजनिक नेताओं

की हत्या करते हैं, बमों को ब्लास्ट करते हैं और तोड़–फोड़ की कार्रवाई करते हैं। इस प्रकार की समस्त कार्रवाइयों के पीछे आतंकवादियों का एक सुनिश्चित लक्ष्य होता है– आतंकवाद स्थापित कर अपनी बात मनवाना''। वृहत् हिंदी कोश में आतंकवाद को ''राज्य या विरोधी वर्ग को दबाने के लिए भयोत्पादक उपायों का अवलम्बन'' बतलाया गया है। एडवांस लर्नर्स डिक्शनरी आफ करण्ट इंग्लिश के अनुसार ''राजनीतिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए हिंसा एवं भय का उपयोग करना आतंकवाद है।'' लॉगमैन माडर्न इंग्लिश डिक्शनरी के अनुसार ''शासन करने या राजनीतिक विरोध प्रकट करने के लिए भय से एक विधि के रूप में उपयोग करने की नीति को प्रेरित करना ही आतंकवाद है।'' राम अहूजा के शब्दों में आतंकवाद हिंसा या हिंसा की धमकी के उपयोग द्वारा लक्ष्य प्राप्ति के लिए संघर्ष या लड़ाई की एक विधि व रणनीति है एवं अपने शिकार में भय पैदा करना इसका प्रमुख उद्देश्य है। यह क्रूर व्यवहार है जो मानवीय प्रतिमानों का पालन नहीं करता है।''

उपर्युक्त परिभाषाओं से यह स्पष्ट होता है कि आतंकवाद राज्य या समाज के विरुद्ध एक ऐसी गैर–कानूनी कार्रवाई है जिसका उद्देश्य सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक एवं प्रमुख रूप से राजनीतिक होता है। आतंकवाद न केवल अपने तात्कालिक शत्रु को अपितु सामान्य लोगों को भी डराने और उनमें भय एवं आतंक पैदा करने की कोशिश करके उन्हें अवपीड़ित एवं वश में करने का कुप्रयास करता है। यह अपने कार्यों या हमलों को इतने आकस्मिक और भंयकर रूप में अंजाम देता है कि केवल जनसाधारण में ही नहीं अपितु कभी–कभी सरकार में भी बेबसी या लाचारी की भावना पैदा होती है। आतंकवादी अपनी कार्रवाइयों के औचित्य को सिद्ध करने के लिए धार्मिक ग्रंथों या राजनीतिक विचारकों के विचारों को अपने लक्ष्यों के अनुसार तोड़–मरोड़कर कुतर्की की मदद से प्रस्तुत करता है और इस बात पर बल देता है कि जो कुछ वह कर रहा है या कह रहा है, वही ठीक है।

भारतीय परिप्रेक्ष्य में आतंकवाद की वैधानिक परिभाषा, जो आतंकवाद निरोधक अधिनियम के अनुच्छेद 1989 के उप–अनुच्छेद ''क'' के अंतर्गत परिभाषित की गई है, के अनुसार जो कोई भी वैधानिक रूप से स्थापित सरकार को भयाक्रांत करने की दृष्टि से

अथवा जन साधारण में आतंक फैलाने की दृष्टि से अथवा समाज के किसी भी वर्ग को अलग करने की दृष्टि से अथवा समाज के वर्ग विशेष को अलग करने की दृष्टि से अथवा समाज के विभिन्न वर्गों की एकता को भंग करने की दृष्टि से कार्य करता है अथवा व्यापक विध्वंस करता है या लोगों को प्रभावित करता है अथवा उन्हें आहत करता है तो ऐसे कार्य आतंकवादी कार्य कहे जाएंगे। आतंकवाद की भारतीय संदर्भ में ये व्यापक परिभाषा है। आतंक विरोधी अधिनियम के अनुसार सरकार अथवा लोगों में वैमनस्य बढ़ाने तथा शांति भंग करने के उद्देश्य से बम विस्फोट करने, निर्दोष लोगों का खून बहाने, संपत्ति नष्ट करने, रसायन व रासायनिक अस्त्र इस्तेमाल करने तथा आवश्यक सेवाओं में गड़बड़ी करने के उद्देश्य से जो कार्य किए जाएं वह सभी आतंकवादी गतिविधियां हैं। अमेरिका के प्रतिरक्षा विभाग में आतंकवाद को परिभाषित करते हुए यह स्पष्ट किया गया है कि सरकार या समाज के खिलाफ गैर कानूनी बल प्रयोग करना या ऐसा न करके केवल धमकी देना ही आतंकवाद है।

स्पष्टतः आतंकवाद में धमकी का प्रयोग खुले तौर पर किया जाता है अंतर्राष्ट्रीय विधि ने भी आतंकवाद को परिभाषित किया है। अंतर्राष्ट्रीय विधि द्वारा आतंकवाद शस्त्र हिंसा का वह कार्य है, जो राजनीतिक, सामाजिक, वैचारिक, धार्मिक और दार्शनिक कार्यों से किया जाता है और मनुष्य के अधिकारों को जघन्य माध्यमों से नियंत्रित करता है, जिसमें अधिकांशतः निर्दोषों को लक्ष्य बनाया जाता है वही आतंकवाद कहलाता है।

अतः उपरोक्त परिभाषाओं से स्पष्ट होता है कि अपनी उचित अथवा अनुचित बात को मनवाने के लिए जब कोई व्यक्ति अथवा संगठन अवांछित साधनों– बल प्रयोग, शस्त्रास्त्रों, हिंसा आदि– का प्रयोग करता है, तब उसे आतंकवादी घटना कहते हैं। अपनी बात को मनवाने के लिए वैधानिक एवं लोकतंत्रीय साधनों में आतंकवादियों की आस्था नहीं होती। वे हथियारों और हिंसा का सहारा लेकर अपने उद्देश्य की पूर्ति करने का प्रयत्न करते हैं। यहां गांधी जी का यह कथन बहुत प्रासंगिक जान पडता है कि केवल लक्ष्य का ही उदात्त होना पर्याप्त नहीं है। लक्ष्य की प्राप्ति के लिए अपनाया गया मार्ग भी उचित होना चाहिए। आतंकवादी इस बात को नहीं मानते। उनके

अनुसार, उनकी दृष्टि में जो उचित है, उस लक्ष्य की पूर्ति के लिए वे कुछ भी करने को स्वतंत्र हैं।

उद्देश्य की दृष्टि से आतंकवाद को दो श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है– सकारात्मक एवं नकारात्मक। सकारात्मक आतंकवाद वह है जिसके मूल में व्यापक हित साधन और समाज कल्याण रहता है। उदाहरण के लिए विदेशी शासन से मुक्ति पाने के लिए अपनाया जाने वाला आतंकवाद इसी श्रेणी में आता है। इस प्रकार के आतंकवाद से केवल विदेशी शासक प्रभावित होते हैं और सामान्य जन एवं जीवन अप्रभावित रहते हैं जबकि नकारात्मक आतंकवाद व्यापक हितों की उपेक्षा करके किसी संकुचित स्वार्थ की सिद्धि के लिए अपनाया जाता है। अपनी मांगें मनवाने के लिए स्वार्थ विरोधी किसी निर्णय का विरोध करने के लिए, किसी व्यवस्था के प्रति अपना विरोध प्रकट करने के लिए चुनाव जीतने आदि के उद्देश्यों को लेकर अपनाया जाने वाला आतंक सर्वथा समाज कल्याण विरोधी होता है और देश की अखंडता एवं एकता के लिए खतरा बन जाता है।

आतंकवाद वर्तमान समय या कुछ समय पूर्व की उपज नहीं है अपितु आतंकवाद का इतिहास बहुत प्राचीन है। राजनीतिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए राजनीतिक हत्याएं करने या आतंक फैलाने के उदाहरण विश्व इतिहास के पन्नों में अति प्राचीन काल से देखने को मिलते हैं। राजनीतिक विद्रोह, सामाजिक असंतोष और धार्मिक विद्रोह से जुड़ी आतंकवादी घटनाएं विभिन्न स्थानों एवं कालों में हमेशा होती रही हैं। आतंकवाद यद्यपि अधिकतर छोटे या बड़े संगठित समूहों द्वारा ही किया जाता रहा है, परंतु कभी–कभी व्यक्तियों द्वारा भी उनके राजनीतिक या धार्मिक विरोधियों के विरुद्ध व्यक्तिगत स्तर पर प्रयोग किया जाता रहा है। भूमिगत और गुप्त संगठनों द्वारा आतंकवादी कार्य करने के उदाहरण विश्व की अनेक प्राचीन सभ्यताओं–भारत, चीन इत्यादि महत्वपूर्ण देशों में मिलते हैं। उन्नीसवीं शताब्दी में यूरोप के अनेक देशों में आतंकवादी गुप्त संगठन सक्रिय थे परन्तु अन्य देशों में आतंकवादी कम सक्रिय नहीं थे। बीसवीं शताब्दी के प्रारंभिक वर्षों में रूस (जार के विरुद्ध) फ्रांस, इटली, ब्रिटेन, स्पेन, तुर्की तथा अमेरिका इत्यादि देशों में भी आतंकवादी राजनीतिक विचारधारा को कार्यरूप में परिणत करने के प्रयत्न अनेक देशों में किए जा रहे थे

जिनमें आतंकवाद एक प्रमुख अस्त्र था। बीसवीं शताब्दी एशिया और अफ्रीका के अनेक परतंत्र देशों की जनता द्वारा अपनी स्वतंत्रता के लिए किए गए संघर्ष के लिए भी प्रसिद्ध है। स्वतंत्रता प्राप्ति के संघर्ष में भी विदेशी शासन को उखाड़ फेंकने में आतंकवादी, उग्रवादी तथा क्रांतिकारी तरीकों का प्रयोग किया जाता रहा था। इनमें से अनेक फांसी पर चढ़ा दिए गए, अनेक जेलों में भयंकर यातनाएं सहते हुए मृत्यु को प्राप्त हुए।

उपर्युक्त उदाहरणों से स्पष्ट है कि आतंकवाद की कोई सर्वमान्य या सार्वभौमिक परिभाषा करना अत्यधिक कठिन है। इसलिए इसकी परिभाषा संभवतया केवल एक विशेष राष्ट्रीय, राजनीतिक संदर्भ या समय तथा काल के ढांचें में ही की जा सकती है। वर्तमान विश्व घटनाओं के संदर्भ में भी परिभाषा की यह समस्या सामने आती है। उदाहरण के लिए श्रीलंका के तमिल–टाईगर सरकार की दृष्टि से आतंकवादी हैं, जबकि तमिल बहु जनसंख्या की दृष्टि में वे उनके 'लिबरेशन' के लिए संघर्ष कर रहे हैं। लेबनान, ब्रिटेन, अमेरिका, दक्षिण अफ्रीका इत्यादि विभिन्न देशों के संदर्भ में भी यही बात कही जा सकती है।

आतंकवाद का स्वरूप

आतंकवाद के स्वरूप के संबंध में यह एक महत्वपूर्ण तथ्य है कि दो महायुद्धों के बीच की अवधि में आतंकवाद की अपेक्षाकृत कम घटनाएं हुई थीं। आज के संदर्भ में आतंकवाद का शहरी क्षेत्रों में प्रवेश भी काफी बाद की प्रवृत्ति है। आतंकवाद का एक अन्य महत्वपूर्ण स्वरूप ''गुरिल्ला युद्ध', द्वितीय विश्व युद्व के बाद लगभग दो दशकों तक ग्रामीण क्षेत्रों तक ही अधिकतर सीमित रहा। 'गुरिल्ला युद्ध' के दर्शन और विधियों का यही तकाजा था कि उसे ग्रामीण, जंगली तथा निर्जन स्थानों से संगठित किया जाए और चलाया जाए। उस समय तक शहरी आतंकवाद अधिक प्रचलित नहीं हुआ था। बाहरी आतंकवाद 1960 के दशक से विश्व के विभिन्न देशों में प्रचलित हुआ। तबसे वर्तमान समय तक आतंकवाद अपने विभिन्न रूपों में बढ़ता ही गया है, तथा इसमें अनेक नवीन विधियों का उपयोग भी किया जाने लगा है, जो विज्ञान और तकनीकी आविष्कारों से संभव हो सकती थीं जैसे–जैसे

आतंकवादी क्रियाओं और विधियों का विस्तार होता गया, उसी अनुपात में इस पर नियंत्रण के नवीन तरीके भी खोजे गए। परंतु यह एक अत्यंत कठिन कार्य साबित हुआ है। आतंकवाद संभवतया एक ऐसा विषय है जिसकी आज के युग में सबसे अधिक चर्चा होती है, अथवा जिसके बारे में काफी अधिक लिखा जा रहा है। आतंकवादियों के इरादों को फलीभूत करने में जितने उनके अपने अस्त्र और विधियां काम में आते हैं, लगभग उतना ही आज के प्रचार माध्यम उसमें योगदान करते हैं। आतंकवाद का उद्देश्य ही है आतंक फैलाना। उनकी गतिविधियों की चर्चा और प्रसार उन्हें प्रचारित करके उन्हीं के उद्देश्यों की पूर्ति करने में सहायक होते हैं। शायद ही कोई दिन ऐसा हो जब पत्र–पत्रिकाओं, रेडियो, टेलीविजन इत्यादि पर कहीं–न–कहीं आतंकवादियों की गतिविधियों के समाचार न आते हों। इसमें जहां समाचार पत्रों को छापने के लिए उत्तेजक व आकर्षक सामग्री प्राप्त हो जाती है, वहीं आतंकवादियों को भी अपना महत्व, उपस्थिति, व ''धाक'' स्थापित करने का ''मुक्त'' अवसर मिल जाता है और यदि कुछ लोगों को मारकर इतनी ''प्रसिद्धि'' प्राप्त की जा सकती है तो इससे सरल या सुलभ उपाय और क्या हो सकता है? फिर भी आतंकवाद आज के युग की एक अत्यंत गंभीर समस्या है। बल्कि यह आज के जीवन का ही एक अंग बनता जा रहा है। आतंकवाद की गंभीरता केवल उसके शिकार बने व्यक्तियों की संख्या से ही नहीं नापी जा सकती, हालांकि यह भी अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। आतंकवाद एक व्यापक समस्या इसलिए भी है, क्योंकि वह प्रजातांत्रिक रूप से स्थापित सरकार को अस्थिर करने या गिराने में योगदान देती है, कानूनसम्मत शासन व्यवस्था को चुनौती देती है तथा कानून के शासन और सरकार के प्रति सामान्य जनता के विश्वास को कम करती है।

पिछले कुछ वर्षों से इसके साथ कुछ ऐसी नवीन प्रवृत्तियां भी जुड़ी हैं, जिन्होंने आतंकवाद की समस्या को और गंभीर बना दिया है। आतंकवाद और नशीले पदार्थों के गैर कानूनी व्यापार और तस्करी की गतिविधियां अब एक–दूसरे से संबंधित या एक दूसरे के समानांतर पाई जाती हैं। यह अब एक सर्वविदित तथ्य है कि आतंककारी अपने हथियारों की आपूर्ति के लिए नशीले पदार्थों की तस्करी और व्यापार

भी करते हैं। इसी तरह आतंकवादियों की हथियार इत्यादि की मांग की पूर्ति करने के लिए नशीले पदार्थों की तस्कारी करने वाले अपराधी तत्व इन वस्तुओं के साथ–साथ हथियारों की तस्करी भी करते है। इस प्रकार दोनों एक–दूसरे के पूरक हैं। इसी प्रकार वर्तमान समय में एक या अधिक देशों की सरकारों द्वारा अन्य देशों में आतंकवादी गतिविधियों को प्रोत्साहन और समर्थन देने की प्रवृत्ति भी काफी बढ़ी है। इसका मुख्य उद्देश्य दूसरे देश में राजनीतिक अस्थिरता उत्पन्न करना होता है। कभी–कभी देश के गुप्तचर संगठन स्वयं इस कार्य के लिए उपयोग में लाए जाते हैं।

आतंकवादी विरोधी योजना बनाते समय यह देखना महत्वपूर्ण हो जाता है कि आतंकवादी समूहों को किसी अन्य देश से समर्थन मिल रहा है अथवा वे स्वतंत्र रूप से, अपने संगठनों एवं साधनों से ही अपनी गतिविधियां चलाते हैं। यदि उन्हें अन्य देश या सरकार का समर्थन नहीं है, तब तो देश के कानून तथा पुलिस विधियों से उन पर काबू पाने का प्रयास किया जा सकता है। परंतु यदि आतंककारियों का संबंध अन्य देशों से है, तब राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर भी कार्य योजना बनाने की आवश्यकता होती है। वर्तमान समय में अब अन्य देशों से समर्थित आतंकवाद की संख्या बढ़ती ही जा रही है। भले ही यह समर्थन कितना ही अप्रत्यक्ष या न्यूनतम हो। परंतु इस परिस्थिति में, जबकि अधिकतर आतंकवाद विदेशी शक्तियों से प्रेरित या समर्थित होता है, उसको रोकने के उपाय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनाना आवश्यक हो जाता है। आतंकवाद के शिकार या लक्ष्य भिन्न–भिन्न हो सकते हैं। वह सरकार के विरुद्व हो सकता है, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के विरुद्व हो सकता है, किसी जातीय, प्रजातीय या धार्मिक समूह के विरुद्व हो सकता है अथवा विभिन्न आतंकवादी संगठनों का एक–दूसरे के विरुद्व हो सकता है। इनमें से किसी का भी कार्यक्षेत्र स्थानीय से लेकर अंतर्राष्ट्रीय तक हो सकता है। इसीलिए यह एक ऐसी आपराधिक गतिविधि है जिसके लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पुलिस संगठनों तथा सरकारों का परस्पर सहयोग आवश्यक हो जाता है।

आतंकवादी हिंसा के शिकार होने वाले व्यक्ति भी विविध स्तरों के होते हैं। राजनीतिज्ञ, धार्मिक नेता, प्रशासनिक और पुलिस अधिकारी,

सुरक्षा अधिकारी, संपादक और पत्रकार, व्यवसायी अथवा कोई भी सामान्य नागरिक इनमें से कुछ व्यक्तियों को तो विशेष रूप से चुनकर ही मारा जाता है, क्योंकि उन्होंने आतंकवादियों की आलोचना की है अथवा उनकी गतिविधियों या उद्देश्यों में बाधा पहुंचाई है। परंतु अधिकतर आपराधिक या आतंककारी क्रिया का उद्देश्य किन्हीं निर्दोष व्यक्तियों के विरुद्व हिंसा या हिंसा की धमकी का उपयोग करके उन्हें अपने उद्देश्य की पूर्ति का माध्यम बनाना होता है। विमान अपहरण अथवा निर्दोष व्यक्तियों को साधन बनाकर वे वास्तव में सरकार या अन्य समूहों पर दबाव डालने का प्रयत्न करते हैं अथवा केवल अपनी गतिविधियों या संगठन का प्रचार करना चाहते हैं। इस प्रकार आतंकवादी हिंसा या धमकी वास्तव में व्यवस्थित तथा योजनाबद्ध ढंग से, सोच–समझकर किया गया कार्य है ताकि कुछ राजनीतिक, धार्मिक या वैचारिक उद्देश्य पूरे किए जा सकें।

आतंकवाद की उत्पत्ति के बीज हिंसा में निहित हैं। सामान्यतः वर्तमान परिस्थितियों के कारण असंतोष ही हिंसा को जन्म देती है और हिंसक कार्रवाइयां आतंकवाद को। स्वतंत्रता प्रत्येक व्यक्ति का सपना होता है। जब आजादी को स्वेच्छा या कानूनी तरीके से लोगों को नहीं दिया गया तो शांतिपूर्ण आवाजें उठी जब उन्हें भी अनसुना कर दिया गया तो संघर्ष शुरू हुआ। हिंसा को न्यायोचित करार दिया गया। कहा गया कि जो हिंसा अन्याय को खत्म करने के लिए की जाएं वह न्यायोचित है। धर्म भी ऐसी हिंसा का निषेध नहीं करता। फलतः अन्याय, भावना से उत्पन्न संघर्ष हिंसा और बलिदानों का एक लंबा सिलसिला शुरू हुआ। जब–जब विषम और प्रतिकूल परिस्थितियां बनती हैं तो अपराध अवश्य जन्म लेता है। आतंकवाद की आधारशिला ही हिंसा है। परंतु जहां हिंसा व्यक्तिगत कारणों या कुछ चुने गए कारणों अथवा व्यक्तियों के स्वार्थ तक ही सीमित होती है वहीं आतंकवाद व्यक्तिगत दायरों और हिंसा के दायरों से बाहर निकलकर ज्यादा व्यापक और संगठित हो जाता है।

द्वितीय विश्व युद्ध के उपरांत दुनिया का भौगोलिक राजनीतिक नक्शा काफी बदल चुका था। उपनिवेशवाद के पतन और दूसरी ओर दो महाशक्तियों के उदय से जन्मे शक्ति–युद्ध के कारण अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ा जिसके फलस्वरूप राष्ट्र

राज्य की परिकल्पना, धार्मिक, जातीय वर्चस्व का दृष्टिकोण एवं आर्थिक और विकासगामी लाभों के असंतुलित वितरण एवं शासकों द्वारा किए गए अन्याय पूर्ण व्यवहार के कारण असंतोष की भावना उत्पन्न हुई। इसी असंतोष ने विभिन्न समूहों को एकीकृत और संगठित करने का प्रयास किया है। यह प्रयास ही सत्ता के विरुद्व सत्ता प्राप्त करने के प्रयास में अस्त्रों–शस्त्रों के प्रयोग से सामान्य जन को हानि पहुंचाने, अपनी गतिविधियों द्वारा राजनीतिक व्यवस्था को प्रभावित करने तथा स्वयं जिसमें धर्म को भी एक मुद्दा या आधार बनाया गया।

राष्ट्रों के विभाजन के दौरान सीमाओं के निर्धारण में जान–बूझकर इतनी गड़बड़ियां कीं कि कुछेक राष्ट्रों को स्वतंत्रता प्राप्ति व विभाजन के पश्चात उसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। भारतवर्ष में स्वतंत्रता के उपरान्त कश्मीर, पूर्वोत्तर प्रांत एवं पंजाब आतंकवाद से प्रमुखतः प्रभावित रहे हैं। अतः यह प्रासंगिक है कि यह जाना जाए कि आतंकवाद के उद्देश्य एवं विकास के क्या कारण हैं? और इस परिप्रेक्ष्य में कश्मीर में फैल रहे आतंकवाद के लिए कौन सी शक्तियां सहायक हैं।

वर्तमान विश्व राजनीति के परिप्रेक्ष्य में वैचारिक रूप से आतंकवाद अन्य अनेक कारणों के साथ–साथ नीत्से, सत्र रेजिस डेण्डै जैसे उत्तर साम्यवादी विचारकों की देन है। वे मानते हैं कि हिंसा समाज में परिवर्तन लाने का प्रभावी माध्यम है। अराजकतावादी भी हिंसा के सकारात्मक स्वरूप को स्वीकार करते हैं और मानते हैं कि विनाश से नव संरचना प्रकट होती है[2]। इस प्रकार वाकुनिन भी विनाश की विचारधारा को उचित मानते हैं। ये विचारधाराएं ही आतंकवाद को प्रोत्साहित करने में सहायक सिद्ध हुई हैं। यह कहना समीचीन होगा कि जहां एक तरफ मार्क्सवादी समाज में परिवर्तन लाने के लिए कठोर नियमों का समर्थन करते हैं वहीं नव वामपंथियों ने खुलकर हिंसा के प्रयोग का समर्थन किया है। फ्रेटज फेनन नव वामपंथ की विचारधारा में हिंसा के प्रवर्तक हैं और सामाजिक तथा नैतिक पुनः संरचना के लिए इसे उपयोगी मानते हैं। उनका मानना है कि हिंसा का प्रयोग करने से वैधानिक एवं राजनीतिक सत्ता अनायास हाथों में आ जाती है।

सामान्यतः देखा जाता है कि अपेक्षाओं की पूर्ति में संवैधानिक

माध्यम सहायक नहीं हो पाते तभी असंतोष का जन्म होता है और असंतोष व्यापक होने पर अत्यंत विकृत रूप धारण कर सामाजिक स्तर पर परिवर्तन लाने को तत्पर हो जाता है। सामान्यतः हिंसा दो प्रकार की होती है। एक व्यक्तिगत हिंसा जिसके पीछे जातीय, सामाजिक, संस्थागत और समूहगत घृणा की भावना होती है, जबकि संस्थागत हिंसा का घृणा से संबंध न होकर उद्देश्य की प्राप्ति से संबंध होता है, क्योंकि संस्थागत घृणा में व्यक्तियों का एक समूह अपने उद्देश्य को लेकर चलता है। अतः इस बात से यह तात्पर्य निकलता है कि आतंक के पीछे जो हिंसा का स्वरूप होता है वह निश्चित रूप से कहीं–न–कहीं असंतोष व घृणा का ही परिणाम है। विश्व की वर्तमान परिस्थितियों को सामने रखते हुए आतंकवाद की कोई एक सर्वमान्य परिभाषा करना एक कठिन कार्य है। विद्वानों ने अपनी–अपनी भाषा में आतंकवाद को स्पष्ट किया है किंतु वर्तमान समय में भी आतंकवाद एक सुव्यवस्थित रूप से परिभाषित नहीं है। जो आतंकवादी किसी एक विशेष समूह में घृणा का पात्र होता है, कानून की दृष्टि में दोषी होता है वहीं दूसरे समूह के लिए देश भक्त का दर्जा रखता है, मरने पर उसका नाम शहीदों की सूची में आ जाता है। यह विरोधाभास आतंकवाद को परिभाषित करने में कठिनाई पैदा करता है।

अतः आतंकवाद स्पष्टतः किसी भी उद्देश्य की पूर्ति के लिए हिंसक, अलोकतांत्रिक, अमानवीय तथा अवैध तरीकों का प्रयोग करके जनता में आतंक फैलाकर भय की स्थिति उत्पन्न करना, लोगों के मानवीय अधिकारों का हनन करना, निर्दोष लोगों की हत्या, खून बहाना, धन प्राप्त करना, भय एवं दबाव डालकर अपने स्वार्थों को पूरा करना, धर्म के नाम पर शांति को भंग करना, लूटपाट, बम विस्फोट आदि अमानवीय गतिविधियां ही आतंकवाद है, चाहे यह स्थिति कुछ संगठनों की ओर से पैदा की गई हो या सत्ताधारियों की ओर से, एक देश की ओर से दूसरे देश के मामलों में हस्तक्षेप से उत्पन्न हुई हो अथवा किसी अन्य प्रकार से ऐसी सभी हिंसक गतिविधियां आतंकवाद की परिधि में आती हैं। अब प्रश्न उठता है कि आतंकवाद की उत्पत्ति क्यों हुई आखिर आतंकवाद क्यों किया जाता है इसलिए यह आवश्यक हो जाता है कि आतंकवाद के लिए उत्तरदाई कारणों की

पहले खोज की जाए तत्पश्चात ही हम उसके समाधान के विषय में सोच सकते हैं। आतंकवाद के लिए कोई एक निश्चित कारण नहीं अपितु अनेक कारण उत्तरदाई हैं।

आतंकवाद के कारण

आतंकवाद के लिए कोई एक कारण ही उत्तरदाई नहीं है बल्कि इसके लिए आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक एवं धार्मिक आदि अनेक कारण उत्तरदाई हैं। आतंकवाद की समस्या को समझने के लिए इसके कारणों का विश्लेषण करना अधिक समीचीन होगा।

आर्थिक कारण

एक सामान्य–सी कहावत है – भूखे पेट वाले व्यक्ति से कुछ भी गुनाह कराया जा सकता है। एक तरह से विश्व में जो छोटी–मोटी आतंकवादी घटनाएं होती हैं उनके पीछे भूख, अभाव, शोषण और उपेक्षा बहुत बडे कारण हैं। लीबिया, सूडान, नाईजीरिया, श्रीलंका, ईरान, अफगानिस्तान जैसे राष्ट्रों में आतंकवाद का विस्तार गरीबी के कारण अधिक हुआ है। जब उनके पास अपना पेट भरने के लिए अन्य कोई काम नहीं है और दूसरी ओर उन्हें अनेक आतंकवादी संगठन बंदूक उठाने के लिए बड़ी रकम देते हैं तो वे उसे चाहकर भी मना नहीं कर पाते हैं। अगर भारत का उदाहरण लिया जाए तो कश्मीर, असम, त्रिपुरा, नगालैंड और आंध्रप्रदेश जैसे प्रांतों में आतंकवादी गतिविधियों का सबसे बड़ा कारण वहां के लोगों की गरीबी है। एक तरफ बहुमंजिली अट्टालिकाएं हैं, बड़ी–बड़ी गाड़ियों में घूमनेवाले लोग हैं वहीं दूसरी ओर गरीबों को पसीने की जगह खून बहाने पर भी पेट भरने तक की मजदूरी नहीं मिले तो व्यक्ति मजबूरीवश आतंकवाद को अपना लेता है।

वर्तमान में अफगानिस्तान में आतंकवाद का प्रमुख कारण यही है, वहां पर न उद्योग है, न व्यापार है और न कृषि ही अच्छी है। वहां पेट भरने का अकेला माध्यम आतंकवादी संगठनों की सदस्यता ग्रहण करना और हिंसा करना रह गया है। यह सही है कि लादेन की आतंकवादी सेना में हजारों की संख्या में विभिन्न देशों के नौजवान हैं, लेकिन इन तथ्यों को कोई भी जानना नहीं चाहता कि आखिर

नौजवान आतंकवादी गतिविधियों में लिप्त होकर केवल अपनी जान गंवाने के लिए आतंकवादी संगठनों में क्यों भर्ती हो जाते हैं। यह मनुष्य की सबसे बड़ी कमजोरी है कि वह किसी भी हालत में मरना नहीं चाहता है। लेकिन अफगानी युवकों के सामने मरने के लिए आतंकवादी संगठनों में जाने के अलावा कोई विकल्प भी नहीं है? उनके मस्तिष्क में यह बात स्वतः घर कर जाती है कि अगर ऐसी सदस्यता ग्रहण नहीं की तो उन्हें भूखों मरना पड़ेगा। इसलिए वे सोचते हैं कि भूखे मरने से तो अच्छा है कि जब तक जिएं पेट भर जिएं और जब मर जाएं तो परिवारवालों को हमेशा के लिए पेट भरने के साधन उपलब्ध हो जाएं, आज फिलीपींस, हांगकांग, कोलंबो, उत्तरी कोरिया जैसे राष्ट्रों में धीरे–धीरे आतंकवादी गतिविधियां बढ़ती जा रही हैं, उसका एक महत्वपूर्ण कारण नवीन आर्थिक नीतियों के कारण वहां फैल रही विपन्नता है। अफगानिस्तान तो आज विश्व का सर्वाधिक दरिद्र, अव्यवस्थित और उजाड़ राष्ट्र है। इसीलिए वहां किसी व्यक्ति को आतंकवादी संगठन में शामिल करना सरल है। वहां के लिए यह कहा जाता है कि बच्चा बचपन से ही वास्तविक बंदूक से खेलता है। इसका केवल कारण यह है कि घरवालों के पास खिलौने खरीदने के लिए पैसे नहीं हैं और जो बंदूकें वहां होती हैं वे बिना पैसे के आती हैं।

यह तथ्य बिना कारण नहीं है कि आतंकवादी गतिविधियां पिछले दशक में ही सबसे अधिक बढ़ी हैं। साथ ही पिछले एक दशक में ही वैश्वीकरण की नीतियों के कारण अधिकांश राष्ट्रों में औद्योगिक अव्यवस्था पनपी है। संपूर्ण विश्व में भूमंडलीकरण की नीतियों के बाद गरीबी, निरक्षरों, भिखमंगों, पीड़ितों और अपेक्षितों की संख्या तेजी से बढ़ी है। रोजगार के साधन प्रतिदिन तेजी से कम होते जा रहे हैं, जबकि दूसरी ओर बहुराष्ट्रीय कंपनियों का लाभ, व्यापार एवं संपदा कई गुणा बढ़ती जा रही है। संसार में अरबपति व्यक्तियों और संस्थाओं की संख्या भी तेजी से बढ़ रही है। इस विडंबनापूर्ण विषमता में आतंकवाद नहीं बढ़ेगा तो क्या होगा? जब मजदूर को अपनी मजदूरी नहीं मिलेगी और पूंजीपति को असामान्य लाभ मिलेगा तो मजदूर के दिल में कुंठा और गुस्सा उत्पन्न होना स्वाभाविक है। जब उसकी स्वाभाविकता को कोई स्वीकार नहीं करता है तो स्वभाव का

उग्रवादी और क्रिया का आतंकवादी हो जाना अस्वाभाविक नहीं है। इस निष्कर्ष को इस तथ्य से समझा जा सकता है कि भारत में भी महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक जैसे धनी राज्यों की तुलना में आतंकवादी गतिविधियां त्रिपुरा, असम और आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों में अधिक हैं।

सामाजिक पिछड़ापन : सामाजिक पिछड़ापन एवं आतंकवाद में गहरा संबंध पाया जाता है। सामाजिक पिछड़ापन वे परिस्थितियां हैं जिनमें एक क्षेत्र की अधिकांश जनसंख्या अपनी पुरानी परंपराओं रूढ़ियों और मान्यताओं से चिपकी रहती है, नवीनता को स्वीकार नहीं करती और दूसरे के बहकावे में या सर्वशक्तिमान के भय से आतंकवाद के साये में जल्दी आ जाती है। सामाजिक रूप से पिछड़े व्यक्ति न तो वैज्ञानिक बात सुन सकते हैं और न ही कर सकते हैं जिसके परिणाम स्वरूप ऐसे व्यक्ति धर्म के नाम पर बहकावे में जल्दी आ जाते हैं। यह कोई अनायास बात नहीं है कि अधिकांश आतंकवादी संगठनों के नेता अच्छे पढ़े–लिखे होते हैं। उन्हें विज्ञान, अंग्रेजी भाषा या संसार में हो रहे परिवर्तनों का बहुत अधिक ज्ञान होता है जबकि उनके संगठन में भर्ती होनेवाले अधिकांश व्यक्ति सामाजिक रूप से पिछड़े और बहुत ही कम पढ़े–लिखे होते हैं। निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि जो चालाक पढ़े–लिखे लोग होते हैं वे धर्म के नाम पर ऐसे पिछड़े व्यक्तियों को अपने चंगुल में फंसा लेते हैं और अल्लाह, भगवान या गौड के नाम पर उनसे हिंसा करवाने के लिए उन्हें तैयार कर लेते हैं।

धार्मिक कारण :

वर्तमान में पूरे संसार में जो आतंकवाद फैलाया जा रहा है उसमें सबसे बड़ा योगदान धर्म का है। संसार के प्रायः सभी धर्म गुरुओं या धर्म प्रचारकों के द्वारा यह सिद्ध करने का प्रयास किया जाता है कि धर्म में तर्क का कोई स्थान नहीं है जिसके परिणाम स्वरूप तथाकथित धर्मगुरु अतर्क के आधार पर धर्म की शिक्षा देकर अपने स्वार्थों के लिए उन्हें अल्लाह, गौड या भगवान से सीधा संपर्क करवाने के सब्ज–बाग दिखाते हैं और अपना स्वार्थ पूरा कर लेते हैं। ऐसी स्थिति में वह वर्ग जो सामाजिक व आर्थिक रूप से पिछडा होता है वह वर्ग इनके चंगुल में सरलता से फंस जाता है और आतंकवाद की ओर उन्मुख हो जाता है। जिन धर्मों के अनुयायी परंपरागत रूप से अधिक धार्मिक माने जाते

हैं तो वहां जेहाद यानी धर्म–युद्ध जैसी बातों की आड़ में आतंकवादी पैदा करना आसान हो जाता है।

शासन में हस्तक्षेप : कुछ देशों के द्वारा अन्य देशों की शासन व्यवस्था में हस्तक्षेप के परिणाम स्वरूप भी आतंकवाद को बढ़ावा मिला है। द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात विश्व पूर्वी और पश्चिमी देशों में बंटा हुआ था तथा अमेरिका और सोवियत संघ के मध्य कड़ी प्रतिद्वंद्विता थी जिसके परिणाम स्वरूप पिछले कुछ दशकों में अमेरिका द्वारा प्रमुख देशों की शासन व्यवस्थाओं में निरंतर हस्तक्षेप किया गया तथा कुछ देशों में जैसे पनामा, पाकिस्तान, नाईजीरिया, अल्सल्वाडोर आदि में सत्ता परिवर्तन हेतु हिंसात्मक एवं अन्य तरीकों से दखल दिया गया था।

अमेरिका द्वारा इस नीति को प्रमुख रूप से मुस्लिम राष्ट्रों के संबंध में आगे बढ़ाया गया था। खाड़ी–युद्ध के पश्चात इराक के राष्ट्रपति सद्दाम हुसैन को हटाने के लिए अमेरिका द्वारा व्यूह एवं षडयंत्र रचे गए थे। अमेरिका के द्वारा ईरान के शाह की सभी मर्यादाओं एवं परंपराओं को तोड़कर मदद की गई थी जो कि एक सीमा तक अयातुल्ला खुमैनी को भड़काने के लिए पर्याप्त थी। अमेरिका की इसी नीति के कारण ईरान में कट्टरपंथी ताकतों की सरकार बनी और उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद का समर्थन किया। सीरिया और लीबिया में अपनी पसंद की शासन व्यवस्था को लाने के लिए आतंकवाद को जन्म भी दिया गया और उसको हवा भी दी गई। हस्तक्षेप की नीति के कारण अधिकांश परंपरावादी मुस्लिम राष्ट्र और अन्य गरीब राष्ट्रों में इतना व्यापक विरोध उत्पन्न हो गया, जो कि समय के साथ आतंकवादी गतिविधियों के रूप में प्रकट होता रहा है और यदि वर्तमान में इस नीति को नियंत्रित नहीं किया गया तो यह भविष्य में प्रकट होता रहेगा।

सामाजिक परिवेश का मन पर असर : कभी–कभी हमें सार्वजनिक रूप से अपमान अथवा अन्यायपूर्ण व्यवहार का सामना करना पड़ता है। गांधीजी को दक्षिण अफ्रीका में ऐसी ही परिस्थितियों का सामना अनेक बार करना पड़ा था। उन्होंने तो ऐसी विपरीत परिस्थितियों में भी धीरज नहीं खोया। लेकिन हर आदमी गांधीजी के समान उच्च आदर्श प्रस्तुत नहीं कर सकता। अनेक लोग विपरीत एवं

अपमानजनक सामाजिक परिस्थितियों में घुटने टेक देते हैं। ऐसी परिस्थितियों के निराकरण के लिए वे हिंसा और आतंकवादी गतिविधियों में संलिप्त हो जाते हैं। दस्युबाला फूलनदेवी के जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं हुईं कि वह डाकू बन बैठी। भारत में नक्सलवाद भी इसी प्रकार का उदाहरण है।

महत्वाकांक्षा : आज हर आदमी एक ही क्षण में करोड़पति बन जाना चाहता है। यह सत्य है कि बिना परिश्रम के सफलता नहीं मिलती परंतु यह बात आधुनिक समय में अधिक महत्व नहीं रखती। जब हम देखते हैं कि अमुक व्यक्ति को किसी फिल्म में काम करने का अवसर मिला और वह रातों–रात सड़क से महल में पहुंच गया, तब हम में से कुछ व्यक्ति इस बात को पचा नहीं पाते। वे सोचते हैं कि यह अवसर उन्हें भी तो मिल सकता था। पैसों और संसाधनों का असमान वितरण, अवसरों का सबके लिए उपलब्ध न होना आदि तथ्य अनेक लोगों को अवांछित गतिविधियों में लिप्त कर देने के लिए पर्याप्त होते हैं। ऐसे लोग आरंभ में शीघ्रता से धन कमाने के लिए अपहरण, जबरन वसूली जैसे गैरकानूनी धंधों का सहारा लेते हैं। धीरे–धीरे ऐसे लोग किसी आतंकवादी संगठन का सहारा लेकर अपनी शक्ति को और अधिक बढ़ाने का प्रयत्न करते हैं। यही महत्वाकांक्षा कभी–कभी राजनैतिक रंग भी ले लेती है। महत्वाकांक्षी व्यक्तियों एवं संगठनों को ऊंचे–ऊंचे सपने दिखाकर राजनीति से जुड़े लोग उनसे अनेक अवांछित कार्य करवाने का प्रयत्न करते हैं।

इस प्रकार ऐसे लोगों को राजनैतिक संरक्षण मिल जाता है और उनकी शक्ति में भी वृद्धि होती रहती है। महत्वाकांक्षा का नशा बहुत शक्तिशाली होता है। इस नशे के आदी मनुष्य राजसत्ता पर भी कब्जा करना चाहते हैं। इसके लिए वे हथियारों की तस्करी, नशे का कारोबार तथा राजनेताओं को अपनी ओर करने का प्रयत्न करते रहते हैं। अपनी शक्ति में भी वृद्धि करने के लिए वे मानसिक स्तर पर कमजोर लोगों की तलाश में रहते हैं। जहां उन्हें ऐसे लोग दिखाई देते हैं, वे तुरंत उन्हें अपने जाल में फंसा लेते हैं।

महत्वाकांक्षा का राजसी रूप : जो महत्वाकांक्षा मनुष्यों में होती है और उन्हें आतंकवाद के रास्ते पर ले जाती है, वही कभी–कभी सरकारों में भी देखी जाती है। अपने राज्य की उन्नति

और पड़ोसी राज्य की अवनति के लिए भी आतंकवाद को एक माध्यम के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। भारत के पड़ोसी देश पाकिस्तान की ओर से भारत में आतंकवाद का प्रसार इसी बात का उदाहरण है। पाक सेना आतंकवाद को युद्ध की एक नीति के रूप में प्रयुक्त करती है। कभी धर्म के नाम पर और कभी ऐसे ही किसी और बहाने से, भारत के विरुद्ध लोगों को भड़काकर आतंकवादी घटनाओं को अंजाम दिया जाता है।

झुंझलाहट एवं क्रोध : आतंकवाद के मूल में क्रोध की अतिशयता भी रहती है। जब व्यक्ति के मन के मुताबिक व्यवहार नहीं मिलता तो व्यक्ति को झुंझलाहट होती है। सामान्यतः ऐसा सबके साथ ही होता है और समय के साथ यह झुंझलाहट समाप्त हो जाती है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, जो इस स्थिति से नहीं निकल पाते। क्रोध और झुंझलाहट उनके मन में इकट्ठे होते रहते हैं। धीरे–धीरे वे एक किस्म के मानसिक रोग का शिकार हो जाते हैं। क्रोध की अग्नि इतनी तीव्र हो जाती है कि वे हर बात का समाधान हिंसा और बल प्रयोग से ही कर लेना चाहते हैं, अनेक असामाजिक एवं अवांछित तत्व उनकी इसी कमजोरी का लाभ उठाकर उन्हें आतंकवाद की दलदल में घसीट लेते हैं।

जेहाद के नाम पर आतंकवाद :

अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद का एक महत्वपूर्ण व सर्वाधिक अमानवीय प्रकार है – जेहाद यानी धर्मयुद्ध के नाम पर लोगों को दूसरे धर्मों, संस्कृतियों व मान्यताओं के विरुद्ध भड़काना व हिंसा के लिए तैयार किया जाना। धर्म के नाम पर लोग कितने भावुक व उग्र हो जाते हैं, इसका जरा–सा अनुमान इस तथ्य से लगाया जा सकता है कि 25 दिसंबर, 2000 को श्रीनगर में भारतीय सेना की 15वीं कोर के हैडक्वाट्र्स पर जिस आत्मघाती हमले के परिणाम स्वरूप 9 लोगों की जान गई और 20 से अधिक घायल हुए, उस आत्मघाती दस्ते का मुख्य लीडर एक 24 वर्षीय नौजवान मोहम्मद बिलाल था जो इंग्लैंड के बकिंघम नामक शहर से श्रीनगर आया था। गत वर्ष विमान अपहरण द्वारा मुक्त हुए अजहर मसूद द्वारा स्थापित जैश–ए–मोहम्मद नामक आतंकवादी संगठन के अखबार जर्ब–ए–मोमिन ने बड़े गर्वपूर्वक

घोषणा की कि शहीद बिलाल ने भारतीय फौज के सदर अड्डे पर जांबाज हमला करके तबाही मचाई।

इंग्लैंड के दैनिक पत्र द टाइम्स' में प्रकाशित एक रिपोर्ट में बताया गया कि पाकिस्तान में जन्मा मोहम्मद बिलाल 18 साल की उम्र में जेहादी बन गया। कहा जाता है कि स्वयं हजरत मुहम्मद ने उसे सपने में जेहाद की दीक्षा दी थी। लंदन स्थित एक मुस्लिम ग्रुप अल मुहाजिदान ने बड़े फख्र के साथ घोषणा की थी कि बकिंघम के एक मुस्लिम छात्र ने आत्मघाती बम विस्फोट करके मजहब के लिए कुर्बानी दी। इस ग्रुप के संस्थापक और ब्रिटेन में इस्लामी न्यायालय के जज शेखर उमर बकरी मुहम्मद को गर्व है कि पिछले एक वर्ष में 1800 ब्रिटिश मुस्लिम नागरिकों ने विश्वव्यापी जेहाद में हिस्सा लिया। उन्होंने कहा कि जेहाद का लक्ष्य विश्व भर में इस्लामी व्यवस्था स्थापित करना है। इसके लिए हम किशोरावस्था के युवकों की ही भर्ती करते हैं, वैचारिक प्रशिक्षण देते हैं और जब वे इस्लाम की विचारधारा में पक्के हो जाते हैं तो उन्हें आतंकवादी कार्यविधि और शस्त्रास्त्रों के प्रयोग का प्रशिक्षण दिया जाता है।

जेहाद की विचारधारा का शिकार भारतवर्ष अकेला नहीं है। यह एक वैश्विक विचारधारा है जिसका शिकार सभी गैर इस्लामी समाज हो रहे हैं। इंडोनेशिया, फिलीपींस, रूस, बोस्निया, कोसोवो, लेबनान आदि देशों में ईसाई समाज जेहाद का शिकार है तो फिलिस्तीन में पचास वर्षों से यहूदी–मुस्लिम संघर्ष चल रहा है। कम्युनिस्ट चीन भी इससे मुक्त नहीं है। इसके सीक्यांग प्रदेश में मुस्लिम विद्रोह की चिंगारी सुलगती ही रहती है। एक समाचार–पत्र में प्रकाशित रिपोर्ट के मुताबिक चीन की सरकार ने स्वीकार किया कि पूर्वी चीन में विद्रोही मुसलमानों और पुलिस के बीच खूनी संघर्ष में 6 मुस्लिम विद्रोही मारे गए।

सामान्यतया इस्लामी विचारधारा राष्ट्रवाद के भौगोलिक आधार को स्वीकार नहीं करती। वह अन्य धर्मों को इस्लाम के साथ बराबरी का दर्जा देने को तैयार ही नहीं है बल्कि एक सीमा तक उनके अस्तित्व को भी स्वीकार नहीं करती है। उसके अनुसार इस्लाम का रास्ता ही मानव कल्याण का एक मार्ग है। इस मार्ग पर भटके हुए लोगों को लाना, दारूल हरब को दारूल इस्लाम में बदलने के प्रयासों

का नाम ही जेहाद है और इस जेहाद में सम्मिलित होना प्रत्येक मुसलमान का पवित्र कर्तव्य है। इस विचारधारा के पोषक तथ्य कुरान और हजरत मोहम्मद के जीवन में विद्यमान हैं। उनके बारे में प्रश्न उठाना संभव ही नहीं है और कुरान में उसकी एक मात्र सजा दंड है। सलमान रुश्दी के विरुद्ध यह फतवा आज भी कायम है।

ईसाई विचारक बाइबिल और ईसा मसीह का खुलकर आलोचनात्मक मूल्यांकन कर सकते हैं। वेद, गीता और राम–कृष्ण की आलोचना खुलकर हो सकती है किंतु यह छूट मुस्लिम विचारकों को नहीं है, क्योंकि इस्लामी विचारधारा भौगोलिक सीमाओं को स्वीकार नहीं करती। इसलिए किसी भी देश का जेहादी कहीं भी पुण्य कर्म कर सकता है। इक्कीसवीं शताब्दी में विश्व के सामने सबसे बड़ी चुनौती के रूप में जेहाद की विचारधारा उभर आई है। सब जगह इस विचारधारा का और उसमें से जन्मी मानसिकता का गहरा अध्ययन किया जा रहा है। देश विभाजन का महंगा मूल्य चुकाने के बाद भारत में विभाजन के गहरे कारणों की मीमांसा होनी चाहिए थी, किंतु राजनीतिक पूर्वाग्रहों एवं दलीय स्पर्धा के कारण वह संभव नहीं हो पाई। इस मीमांसा में सबसे बड़ी बाधा वामपंथी मस्तिष्क है। इस नकारात्मक मस्तिष्क को हमेशा एक शत्रु चाहिए और अब इसने भारतीय राष्ट्रवाद को ही अपना शत्रु मान लिया है। इस विकृत नकारात्मक विचारधारा के कारण मुस्लिम समाज के भीतर आत्म आलोचना और स्वतंत्र चिंतन की प्रक्रिया शुरू नहीं हो पा रही है।

जेहादी उग्रवाद के समर्थकों का मानना है कि जेहादियों को किसी भी देश, मुस्लिम अथवा गैर मुस्लिम और किसी भी सरकार के खिलाफ जेहाद छेड़ने का धार्मिक अधिकार है। उनका यह भी कहना है कि वे सिर्फ उन्माद की सीमाओं को मान्यता देते हैं और सम्मान करते हैं, राष्ट्रीय सीमाओं को नहीं। ये सर्वाधिक घातक विचार हैं जो मनुष्य के दिमाग में द्वितीय विश्व युद्ध के बाद उपजे हैं। जब तक इन विचारों का विरोध नहीं किया जाता और पाकिस्तान व अफगानिस्तान में इसके समर्थकों को अंतरराष्ट्रीय समुदाय द्वारा पराजित नहीं किया जाता, तब तक 11 सितंबर, 2001 जैसी और घटनाएं भी हो सकती हैं। बिन लादेन इन्हीं विचारों की उपज है और प्रमुख उग्रवादी है जो चाहता है कि ये विचार लागू किए जाएं, लेकिन कई ऐसे भी लोग हैं

जिन्होंने इसी उद्देश्य के लिए समान ताकत के साथ उग्रवाद चला रखा है।

धर्म की आड़ में फैलाए जा रहे विश्वस्तरीय आतंकवाद की सैद्धांतिक विवेचना की जाए तो भी उसे उचित नहीं ठहराया जा सकता है। कोई भी उपासना पद्धति अर्थात् मजहब आतंकवाद की वकालत किसी भी रूप में नहीं करता है। कुछ धार्मिक पुस्तकें मजहब के प्रचार–प्रसार के नाम पर आतंकवाद का पक्ष लेती नजर आ रही हैं। यदि यह स्थिति बनी रहती है तो आतंकवाद को पोषण प्रदान करने वाली जो मानसिकता है, उसका अन्त होने वाला नहीं है। उचित यह होगा कि उस मानसिकता पर प्रहार करने के संदर्भ में गंभीरता से विचार–विमर्श किया जाए जिसके चलते आतंकवाद फल–फूल रहा है। मजहब के नाम पर आतंकवाद को बढ़ावा देनेवाली मानसिकता कितनी खतरनाक हो सकती है, इसका प्रमाण है, ओसामा–बिन–लादेन। एक सीमा तक वर्तमान में ओसामा–बिन–लादेन विश्व शांति के लिए एक बड़ा खतरा बन गया है। भले ही आज पाकिस्तान ओसामा–बिन–लादेन तथा उसके संरक्षक तालिबान के बारे में कुछ भी कह रहा हो, लेकिन इस बात की अनदेखी नहीं की जा सकती है कि पाकिस्तान ओसामा–बिन–लादेन तथा तालिबान का सबसे बड़ा संरक्षक व सहयोगी था।

सच तो यह है कि ओसाामा–बिन–लोदन, तालिबान और पाकिस्तान इस्लामी आतंकवाद के प्रतीक बन गए हैं। अमेरिका और साथ ही विश्व के अन्य प्रमुख राष्ट्रों को यह पता होना ही चाहिए कि तालिबान और ओसामा–बिन–लादेन पाकिस्तान के सहयोग, समर्थन और संरक्षण से ही सशक्त हुए हैं। यह भी एक तथ्य है कि पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में आतंकवादियों के जो प्रशिक्षण स्थल हैं, उनमें तालिबान शासकों और ओसामा–बिन–लादेन की सक्रिय भागीदारी है। वस्तुतः दुनिया भर में इस्लामी आतंकवादियों का निर्यात कुछ इस्लामिक देशों की भूमि से ही अधिक हो रहा है। पाकिस्तान के सिंध और ब्लूचिस्तान प्रांत में भी आतंकवादियों को प्रशिक्षित करने के लिए अनेक अड्डे चलाए जा रहे हैं । कुछ ऐसे ही अड्डे अफगानिस्तान में भी चल रहे हैं और उन्हें पाकिस्तान हर तरह से मदद दे रहा है। इन परिस्थितियों को धर्म के आधार पर तो उचित नहीं ठहराया जा

सकता।

संदर्भ

1. माथुर, कृष्ण मोहन माथुर, (1989) ''विकासशील समाज में समसामयिक पुलिस की भूमिका'' ज्ञान पब्लिक हाउस, नई दिल्ली 1989

2. चौपड़ा, सुरेंद्र, टैरेरिज्म 'द एपिक ऑफ वायलेंस इण्डिया' क्वाटरली आई सी डब्ल्यू ए, नई दिल्ली अक्टूबर–दिसंबर 1991, पृ0 83

3. खंडेला, (2002) मामचन्द, अन्तर्राष्ट्रीय आतंकवाद, आविष्कार पब्लिशर्स जयपुर

अध्याय : 2
अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आतंकवाद

आज विश्व का शायद ही कोई देश हो जहां आतंकवाद एक समस्या न हो। प्रायः सभी देशों में धार्मिक उन्मादियों, नशीले पदार्थों के व्यापारियों एवं स्वार्थी तत्वों द्वारा हिंसा के माध्यम से अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए आतंकवादी संगठन बना लिए जाते हैं और ऐसे संगठनों में गरीबी की मार से पीड़ित विकृत मानसिकता वाले व्यक्तियों को भर्ती कर लिया जाता है। उनकी मानसिक अपरिपक्वता के कारण उन्हें धन के साथ ही अन्य प्रकार के लालच दिए जाते हैं। एक बार जो व्यक्ति ऐसे संगठनों के चंगुल में फंस जाता है, उससे उसका बाहर निकलना प्रायः असंभव–सा हो जाता है। उदाहरण के लिए दाउद इब्राहिम प्रारंभ में केवल मुंबई तक सक्रिय था, लेकिन आज उसका साम्राज्य लादेन की तरह संसार के कई देशों में स्थापित हो गया है। इसका कारण यही है कि एक बार किसी व्यक्ति ने ऐसे संगठनों के माध्यम से हिंसात्मक कार्रवाई कर ली तो भविष्य में उसे लगातार ऐसी कार्रवाई करते रहना पड़ता है। दूसरी ओर ऐसे संगठन हिंसा में लिप्त व्यक्तियों को तुलनात्मक रूप में बहुत अधिक धन का लालच देते हैं।

भारत तो पिछले दो दशक से भी अधिक समय से आतंकवाद से लड़ता आ रहा है लेकिन हमारे अलावा दुनिया के और भी अनेक देशों में आज दहशतगर्दी का आलम है। इन देशों में रूस, नेपाल, इथोपिया, बोस्निया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, फिलीस्तीन, इजराइल, जोर्डन, सीरिया, मिस्र, लेबनान, सूडान, नाइजीरिया, अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन, जर्मनी जैसे नाम भी शामिल हैं। स्टॉकहोम स्थित 'पीस रिसर्च सेंटर' का अनुमान है कि हर साल पूरी दुनिया में बीस खरब रूपये से भी

ज्यादा की संपत्ति आतंकवादी वारदातों के चलते स्वाह हो जाती है। आज दुनिया के नक्शे पर ऐसा कोई भी देश नहीं है जिसने आतंकवाद के किसी रूप की पीड़ा न झेली हो। वस्तुतः आज हर देश के सीने पर आतंकवाद ने घाव कर छोड़ा है। यूं तो इतिहास में कभी कोई ऐसी सत्ता नहीं हुई है जिसे किसी ने चुनौती न दी हो और यही सिद्धांत आतंकवाद का प्रणेता भी रहा है। आतंकवाद का इतिहास वास्तव में राजनैतिक चेतना से शुरू होता है। प्रारंभ में राजशाही के खिलाफ हुए विद्रोह को ही आतंकवाद की संज्ञा दी गई थी। लेकिन आतंकवाद के आधुनिक स्वरूप ने उन्नीसवीं सदी में करवटें बदलनी शुरू कीं। उन्नीसवीं शताब्दी में दहशतगर्दी का आलम कुछ पश्चिमी देशों में शुरू हुआ जिसने धीरे–धीरे सारी दुनिया को अपने आगोश में ले लिया। शुरू में आतंकवाद के निशाने पर सिर्फ राजशाही थी, सत्ता थी लेकिन आज मासूम, निर्दोष व निरीह नागरिकों का खून भी आतंकवाद के निशाने पर आ गया है।

आतंकवाद का विकास

द्वितीय महायुद्ध के बाद आतंकवाद की घटनाओं में रेखांकित करने योग्य बदलाव आए। सन् 1950 के बाद मासूम और निर्दोष लोग भी दहशतगर्दी की भेंट चढ़ने लगे। उस समय एक ओर तो दुनिया के तमाम देशों में समाज को अधिकाधिक सैन्य और पुलिस सुरक्षा दी जा रही थी तो दूसरी ओर दहशतगर्दी का दानव तेजी से सिर उठा रहा था जिस कारण समूचे विश्व में असुरक्षा का भाव भर गया था और जब कई राष्ट्राध्यक्ष भी आतंकवाद की भेंट चढ़ने लगे तो जनता ने मान लिया कि आतंकवाद से उसे कोई नहीं बचा सकता, लोगों ने दहशतगर्दी को अपनी नियति मान लिया। 1981 में मिस्र के राष्ट्रपति अनवर सादात को सैनिक परेड की सलामी लेते समय कुछ दहशतगर्दों ने टैंक से गोलियां बरसाकर मौत के घाट उतार दिया। तीन वर्षों के भीतर ही भारत की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी को उन्हीं के सुरक्षाकर्मियों ने दहशतगर्दी के आलम में गोलियों से भून डाला। इन घटनाओं से लोगों का विश्वास डगमगाने लगा, व्यवस्था और कानून से उनका विश्वास उठ गया। ये घटनाएं आतंकवादियों के नए हौसले का पर्याय थीं। इसके बाद तो बम विस्फोटों, हवाई जहाजों के

अपहरण की घटनाओं की झड़ी–सी लग गई, मासूमों का खून सड़कों पर बहाया जाने लगा।

धीरे–धीरे आतंकवाद ने पूरी दुनिया में अपने पैर पसार लिए। लैटिन अमेरिकी देशों में गुरिल्ला संगठन, मार्क्सवादी और माओवादी संगठन, आतंक का पर्याय बन गए। इसी क्रम में दक्षिणी अफ्रीका में श्वेत और अश्वेतों के बीच घमासान होने लगा और दोनों समुदायों ने एक–दूसरे के प्रति आतंक के नए–नए प्रतिमान स्थापित कर दिए। 1980 के दशक के प्रारंभ में ही दुनिया ने तमिल, बसाक, क्यूबेकी और क्रोशियाई आतंकवाद की आहट सुनी, इन आतंकवादी समुदायों के स्वरों में तेजी और आक्रमणता लगातार बढ़ती गई, मासूमों का खून खुलेआम सड़कों पर बहाया जाने लगा। इसी के साथ दुनिया भर ने सिख उग्रवाद का खतरनाक मंजर देखा। कुछ गुमराह सिख युवकों ने पाकिस्तान की शह पर खालिस्तान की मांग के लिए आंदोलन शुरू कर दिया जो धीरे–धीरे आतंकवाद में बदल गया। फिर कश्मीर को भारत से अलग करने की कोशिशों में तेजी आई। इस तेजी के साथ ही आतंकवाद की प्रकृति में एक बड़ा बदलाव यह आया कि उसने देशों की भौगोलिक सीमाएं तोड़ दीं। पहले आतंकवदी अपने राजनीतिक उद्देश्यों के लिए लड़ते थे लेकिन अब ऐसा नहीं रहा। अब वे भाड़े पर भी लड़ने लगे, किराए पर वे दहशतगर्दी फैलाने लगे।

अब तक आतंकवादियों की कार्यप्रणाली में कई बदलाव आने लगे थे, वे अपने आपको 'हीरो' के रूप में पेश करने लगे थे। विश्लेषकों ने आतंकवादियों को 'नए मीडिया युग का शिशु' कहा। अब आतंकवादियों में पब्लिसिटी की चाह काफी बढ़ गई थी। शायद इसीलिए तो ब्रिटेन की तत्कालीन प्रधानमंत्री मारग्रेट थ्रेचर ने कहा था कि यह 'शिशु' पब्लिसिटी की ऑक्सीजन से जीवन पाता है। इस सच्चाई से इंकार नहीं किया जा सकता कि आतंकवादी घटनाएं अब दुनियाभर को अपनी ओर आकर्षित करने लगी थीं। अब आतंकवादियों को खबरों में, मीडिया में खूब प्रचार मिलने लगा था। अखबारों और इलेक्ट्रानिक मीडिया में आतंकवादियों के कारनामे सुर्खियों में जगह पाने लगे। हद तो यह कि कई बार आतंकवादियों ने टेलीविजन पर संवाददाता सम्मेलन तक कर डाले। 1972 के म्यूनिख ओलंपिक के दौरान फिलीस्तीन के 'ब्लैक सेप्टेंबर ग्रुप' के आतंकवादियों ने 11

इस्राइली एथलीटों का अपहरण करके उनमें से 9 की बेरहमी से हत्या कर दी। एथलीटों के इस सामूहिक हत्याकांड को दुनियाभर के मीडिया ने बेहद तवज्जो दी, सभी अखबारों और टेलीविजन चैनलों पर महीनों यही मामला छाया रहा।

प्रारंभ में अधिकांश आतंकवादी घटनाओं के पीछे कोई–न–कोई ऐतिहासिक या राजनैतिक कारण रहा है। इस्राइल–फिलीस्तीन संघर्ष इसका अच्छा उदाहरण है। फिलीस्तीनी–संघर्ष दुनिया की आतंकी घटनाओं का एक महत्वपूर्ण मोड़ है। सैनिक आतंकवाद के बीज यहां दिखाई देते हैं। फिलीस्तीनी संघर्ष की शुरुआत के अगले दो दशकों में जर्मनी, इटली सहित अन्य पश्चिमी देशों में आतंकवाद का दौर थमने लगा लेकिन अब दहशतगर्दी का केंद्र मध्यपूर्व एशिया बन गया और यहां इस्लामी कट्टरवाद ने आतंकवाद को एक नया चेहरा प्रदान किया। दरअसल 1979 की ईरानी क्रांति से इस्लामी कट्टरवाद को बेहद बढ़ावा मिला था। क्षेत्र में हुई कई इस्लामी क्रान्तियों ने पश्चिम के बढ़ते प्रभाव के खिलाफ 'जेहाद' की घोषणा कर दी। इससे एक तरह की आत्मघाती प्रवृत्ति भी पनपी। इसकी परिणति 1983 में लेबनान में हुई जब इस्लामी आतंकवादियों ने 'जेहाद' के नाम पर अमेरिका और फ्रांस के शांति सैनिक ठिकानों में आत्मघाती ट्रक बमों से विस्फोट किए। धीरे–धीरे मध्यपूर्व के इस्लामी आतंकवाद ने अपने को धर्म से जोड़ लिया और अपनी दहशतगर्दी को 'जेहाद' का नाम दे दिया, वे 'जेहादी' कहलाने लगे।

इस दौरान विश्व के कई हिस्सों में माओवादी और मार्क्सवादी आतंकवादियों ने अपना कहर बरपाए रखा। लेकिन सोवियत संघ के विघटन के साथ ही सारे विश्वभर में कम्युनिस्ट प्रेरित आतंकवादी घटनाओं में भारी कमी आई। सोवियत संघ के विघटन और पूर्वी यूरोप के कुछ गणराज्यों के विखंडन के साथ ही भारत, नेपाल, फिलीपींस, जापान और कुछ लैटिन अमेरिकी देशों में मार्क्सवादी और माओवादी हिंसक संगठनों की गतिविधियों में कमी आती गई। इनके बावजूद धार्मिक और जातीय आतंकवादी संगठनों की हिंसा जारी रही। इस तरह आतंकवाद ने अब किसी सिद्धांत से प्रेरित होना बंद कर दिया। यह अल्पसंख्यकों के गुस्से और असुरक्षा की भावनाओं की अभिव्यक्ति बन गया। अल्पसंख्यकों के आतंकवादी संगठनों ने अलगाव की मांगें

राष्ट्रों के सामने रखीं।

आतंकवाद ने जब धर्म की शरण ली तो 1980 और 1990 के दशक में इसका एक और चेहरा सामने आया। वह नया चेहरा था जातीय आतंकवाद। पाकिस्तान और अफगानिस्तान जैसे देशों में शिया (अल्पसंख्यक) और सुन्नी (बहुसंख्यक) संप्रदायों के बीच आतंकवादी संघर्ष तेजी से उभरा। अफगानिस्तान में यह सत्ता–संघर्ष में तब्दील हो गया। एक ही धार्मिक समुदाय के बीच आतंकी संघर्ष पश्चिम में भी इसी दौरान उभरकर आया। उत्तरी आयरलैंड में कैथोलिकों और प्रोटेस्टेंटो के बीच संघर्ष उभरा। पाकिस्तान और अफगानिस्तान में बहुसंख्यक समुदाय (सुन्नी) ने अल्पसंख्यक समुदाय (शिया) को अपना शिकार बनाने की कोशिश की। तब दूसरी ओर से भी बदले की कार्रवाई शुरू हुई। बहुसंख्यकों का यह आतंकवाद किन्हीं राजनैतिक, आर्थिक या सामाजिक कारणों से शुरू नहीं हुआ बल्कि इसके पीछे उनकी मंशा अल्पसंख्यकों से अपनी धार्मिक व्याख्याओं को मनवाने की रही। कई बार तो कट्टर इस्लामी आतंकवादी संगठनों ने अल्पसंख्यकों के खिलाफ ईसाइयों, हिंदुओं और यहूदियों से भी ज्यादा तेज संघर्ष छेड़ा।

1990 के दशक में जहां अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आतंकवादी हमलों की संख्या में गिरावट आई, वहीं प्रत्येक हमले में शिकार होने वालों की संख्या में तेजी से इजाफा हुआ। इसका साफ मतलब है कि आतंकवादियों को मिलने वाली अच्छी ट्रेनिंग और बेहतर हथियार मुख्य कारण रहे। वास्तव में यह आसानी से संभव नहीं हो पाता, लेकिन इन आतंकवादियों को कुछ देशों ने अपने राजनैतिक और आर्थिक इस्तेमाल के लिए तन–मन–धन से मदद देनी शुरू की। अफगान–युद्ध में खुद अमेरिका ने विद्रोहियों को धन व हथियार मुहैया कराए। वहीं बाद में ईरान, इराक, सीरिया, सूडान, पाकिस्तान और अफगानिस्तान ने आतंकवादियों को यह सहायता 'स्टेट स्पांसरिशप' इस्लाम की खातिर प्रदान की। 1990 के ही दशक में आतंकवाद को बढ़ावा देना, खरबपति ओसामा बिन लादेन इसका सबसे सटीक उदाहरण है। इन निजी प्रयासों में धन मुहैया कराने वाला सीधे तौर पर किसी आतंकवादी कार्रवाई को अंजाम नहीं देता। आगे इन निजी प्रयासों का किसी राष्ट्र के द्वारा भी इस्तेमाल संभव बनता है।

पाकिस्तान के द्वारा मरकज दावा अल इरशाद और उसकी सशस्त्र शाखा लश्कर–ए–तोइबा का कश्मीर और भारत के शेष हिस्सों में इस्तेमाल इसी का उदाहरण है। वास्तव में आज निजी आतंकवादी संगठनों को उनके धर्म के लोगों का भी सहयोग मिलता है। इसके साथ नशीले पदार्थों के तस्करों का जुड़ जाना 'कोढ़ में खाज' जैसा है। इससे आतंकवाद का एक नया समीकरण तैयार होता है।

इजरायल, फिलिस्तीन, ईरान और इराक जैसे देशों में जो आतंकवादी संगठन बने हैं, उनका आधार तथाकथित राष्ट्रवाद रहा है; जबकि राष्ट्रवाद के नाम पर ऐसे व्यक्ति केवल अपनी सत्ता को बचाए रखने के ही प्रयत्न करता है। शाह ईरान के समय ईरान में अयातुल्ला खुमैनी द्वारा जो संगठन बनाए गए, वे पूरी तरह से शाह के शासन को उखाड़ फेंकने के लिए राष्ट्रवाद के नाम पर ही संगठित किए गए थे; जबकि वास्तविक उद्देश्य शाह के स्थान पर खुमैनी को सत्ता के शीर्ष पर पहुंचाना था। ईरान की तत्कालीन नर्मपंथी ताकतों के सामने कट्टरपंथियों के हितों की पूर्ति नहीं हो रही थी इसीलिए कट्टरपंथियों ने धर्मांधता का सहारा लेकर संगठन बनाए। जिनके लिए कायदे–कानून, मान्यताओं एवं परंपराओं का कोई मतलब नहीं था।

आज फिलिस्तीन में जो कुछ हो रहा है, वह भी राष्ट्रवाद के उन्माद के नाम पर ही है। तर्क की दृष्टि से वह उचित भी है कि इजरायल फिलिस्तीनियों को अपनी भूमि पर रहने और शासन करने का अधिकार दे। यह उद्देश्य शांतिपूर्ण तरीकों से वार्ताओं के माध्यम से भी पूरा किया जा सकता है। लेकिन जो स्वार्थी तत्व हैं वे संगठन पहले खड़ा करते हैं। ऐसे उग्रवादी संगठन अरब देशों में ही अधिक हैं जिन्हें राष्ट्रवाद के साथ–साथ धर्म के नाम पर भी संगठित किया गया है, जो प्रमुख रूप से निम्न प्रकार हैं–

हिज़बुल्ला : लेबनान के शिया इमामों ने इजरायल के कब्जे से लेबनान को मुक्ति दिलाने के लिए यह संगठन कायम किया। उनका पहला मकसद मुल्क में इस्लामिक शासन बहाल करना था, जो धीरे–धीरे समूचे मध्य–पूर्व में फैल गया। संगठन के नेताओं को जब महसूस होने लगा कि अपना मकसद हासिल करना आसान नहीं है तो उन्होंने अरब–इजरायल शांति–प्रक्रिया में बाधा पहुंचाना शुरू कर दिया। इसके लिए इजरायली सेना पर हमले किए जाने लगे, ताकि

मजबूर होकर इजरायल लेबनान की सुरक्षा–रेखा से अपनी सेनाएं वापस बुलाए। हिज़बुल्ला का मकसद लेबनान में सीरिया के सैनिकों को इजरायल के खिलाफ भड़काना भी था।

इस्लामिक ग्रुप और जेहाद : इनका काम मिस्र की मौजूदा हुकूमत को अस्थिर करना और मुल्क को इस्लामी रास्ते पर ले चलना है। 1994 की अमेरिकी विभाग की रिपोर्ट कहती है कि इस्लामिक ग्रुप और जेहाद संगठन मुसलमान नेता शेख ओमर अब्दुल रहमान को अपना रहनुमा मानते हैं। शेख इन दिनों अमेरिका में कैद है। वह संयुक्त राष्ट्र संघ के भवनों और जमीन के भीतर की सार्वजनिक सुरंगों को उड़ाने का इरादा रखता है। शेख के कई समर्थकों ने अफगानिस्तान के इस्लाम के नाम पर लड़ाइयां लड़ी थीं। इनमें से कई उग्रवादियों का 1993 में न्यूयॉर्क के विश्व व्यापार केंद्र को बम से उड़ाने में भी हाथ था। इस्लामिक गुट 26 जून, 1995 में इथोपिया में हुस्नी मुबारक की हत्या के असफल प्रयास में शामिल थे। जेहाद गुट का मकसद मिस्र के वरिष्ठ अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करना है। 18 अगस्त, 1993 में मिस्र के नेता अनवर सादात की हत्या में इस गुट की भूमिका बताई जाती है। इसके एक बम हमले में मिस्र के आंतरिक मंत्री घायल हुए थे। जेहादी गुट ने नवम्बर, 1993 में मिस्र के प्रधानमंत्री अतीफ सितकी की कार में बम लगाया था, लेकिन सितकी बाल–बाल बच गए थे।

हमास और फिलिस्तीनी इस्लामिक जेहाद : हमास का नारा इस्लामिक प्रतिरोधी आंदोलन छेड़ना है, जबकि फिलिस्तीनी इस्लामिक जेहाद (पी.आई.जे.) एक रेडिकल ग्रुप है। उनका गढ़ गाजा पटटी और पश्चिमी किनारा है। पी.आई.जे. की स्थापना 1979 में की गई और इसका कार्यक्रम छापामार युद्ध रहा, लेकिन प्रतीत होता है कि इसका अपने विरोधी गुट से समझौता हो गया है, जो इजरायल के साथ सुलह का समर्थन करने लगा है। हमास की स्थापना 1987 में फिलिस्तीन क्षेत्र में गृह युद्ध के साथ हुई। कहते हैं कि हमास को ईरान के कुछ मुल्लों और अमेरिका में रह रहे धनी अरबी मुसलमानों का समर्थन प्राप्त है। हमास और फिलिस्तीनी इस्लामिक जेहादी दस शांति विरोधी समूहों के सदस्य भी हैं।

आर्मी ऑफ इस्लाम : यह संगठन अल्जीरिया में इस्लामिक हुकूमत की बहाली के लिए जद्दोजहद कर रहा है। यह अल्जीरिया में बेहद खतरनाक उग्रवादी संगठन माना जाता है। 1992 में चुनावों में इस संगठन पर प्रतिबन्ध लगाए जाने के बाद यह ज्यादा सक्रिय हो उठा। इसने अल्जीरिया सरकार के जनमत संग्रह का जबरदस्त विरोध किया और हिंसा पर उतारू हो गया। 1994 की अमेरिका उग्रवाद रिपोर्ट के मुताबिक, इसने 1993 तक करीब 90 लोगों की हत्या की थी। दिसंबर, 1993 में इस उग्रवादी गुट ने फ्रांस के विमान का अपहरण किया और तीन यात्रियों की हत्या कर दी थी। रिपोर्ट के मुताबिक इसके सदस्यों की संख्या के बारे में जानकारी नहीं मिल सकी है।

प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी संगठन

अलकायदा

स्थापना : 1988

संस्थापक / प्रमुख : ओसामा बिन लादेन (अमीर, अल जवाहिरी) (नायब अमीर)

खर्च : तीन करोड़ अमेरिकी डॉलर

हाईटैक : 62 फीसदी सदस्य विश्वविद्यालय स्तर पर शिक्षित

ओसामा बिन लादेन : जन्म 10 मार्च 1957, शिक्षा इंजीनियरिंग, एमबीए चार सौतेले भाई–बहन

1974 में पहली शादी, चार शादियां और लगभग 25 तक बच्चे

ओसामा बिन लादेन के सहयोगी

मौलाना मसूद अजहर
मौ. आतेफ
अली अतवा
अब्दुल करीम
अब्दुल करीम हुसैन मौ. नासिर
अब्दुल रहमान यासीन

इमाद फईज़ मुग्नियाह
हसन इज–अल–दीन
अब्दुतला अहमद अब्दुल्ला
अनास अल लीबी
मोहिसिन मुसा मुतवल्ली अतवा
खालिद भोख मोहम्मद
अहमद मोहम्मद हामिद अली
अली सईद बिन अली अब हूरी
अहमद इब्राहीम – अल–मुगसील
शेख अहमद सलीम स्वेदान
फजुल अब्दुल्ला मोहम्मद
अहमद खल्फान गिलानी
फहीद मौ0 अली सलाम
मुस्तफा मौ0 फदील
सैफ अल अदिल
इब्राहीम सालिह मौ0 अली याकूब

बड़े हमले

वर्ल्ड ट्रेड टावर और पेंटागन पर हमले।
बाली में अमेरिकी दूतावास पर हमला।
यमन में अमेरिकी दूतावास पर हमला।

लादेन के आतंक के अन्य प्रमुख उदाहरण

ओसामा बिन लादेन वैसे तो छोटी–मोटी कितनी ही वारदातों को अंजाम दे चुका था। फिर भी 11 सितंबर 2001 को अमेरिका में की गई घटना के अलावा निम्न घटनाओं को भी इसके द्वारा अंजाम दिया गया।

फरवरी, 1993 में इसी वर्ल्ड ट्रेड सैंटर में बम विस्फोट में छह मरे और एक हजार से अधिक घायल हुए। इस साजिश के कर्ता–धर्ता को लादेन ने ही सहायता दी थी।

अक्टूबर 1993 में सोमालियों ने दो अमेरिकी हैलीकाप्टर मार

गिराए, जिनमें 18 अमेरिकी सैनिकों की जान गई।

दिसंबर 1994 में फिलीपींस एयरलाइंस के वायुयानों के विस्फोटों में एक मरा और दस घायल हो गए। बाद में यमन में ही वहां से गुजरती अमेरिकी सेना की टुकड़ी पर असफल हमला, इसमें दो आस्ट्रेलियाई पर्यटकों ने अपनी जान गंवाई, अनेक विस्फोट में घायल। दो यमन मुस्लिम आतंकवादी गिरफ्तार हुए जिन्हें अफगानिस्तान में प्रशिक्षण मिला था।

जून, 1995 में मिस्र के राष्ट्रपति मुबारक की हत्या का आदिस अबाबा में असफल प्रयास।

जनवरी, 1996 में सऊदी अरब में अमेरिकी सैनिक परिवारों के निवास खोबर टावर्स में विस्फोट में 15 मरे और सैकड़ों घायल हुए (इसे बेरूत में हुई बमबारी के बाद सबसे खराब हादसा ठहराया गया जिसमें 241 सैनिक मरे थे)।

रियाद (सऊदी अरब) अमेरिकी प्रशिक्षण शिविर पर ट्रक से विस्फोट इसमें पांच अमेरिकी और दो भारतीय मरे।

अगस्त, 1948 में नैरोबी केन्या और तंजानिया में बमबारी। नैरोबी में 224 जानें गईं और 5,500 घायल हुए। तंजानिया में मरने वालों का आंकड़ा 11 रहा।

क्या कहता है ओसामा (एक आतंकवादी की सोच)

वो अल्लाह ही है जिसने हमें जमीं पर भेजा है और इस्लाम से नवाजा है। उसी ने हमें हुक्म दिया है कि हम उसका नाम दुनिया में रोशन करें और उसके नाम पर यकीन ना करने वालों के खिलाफ जेहाद करें।

– ए.बी.सी. को दिए एक इंटरव्यू में

अल्लाह ने हमें मुस्लिम जमीं विशेष रूप से अरेबियाई पेनिनसुला को पाक बनाने के लिए और उस पर यकीन ना रखने वालों से मुक्त कराने का हुक्म दिया है। हमारा यकीन है कि दुनिया में सबसे बड़े चोर और आतंकवादी अमेरिकी हैं। हम सेना की वर्दी पहने हुए और आम नागरिकों के बीच अंतर नहीं करते, ये सभी हमारे फतवे के निशाने पर हैं।

– ए.बी.सी. को दिए एक इंटरव्यू में

अरब की दुनिया में जो लोग पश्चिमी देशों से प्रभावित थे और धर्मनिरपेक्ष हो गए थे, वे यदि इस्लाम को वापस कुबूल करने का कारण अपनी वित्तीय परेशानियां बताते हैं तो यह गलत है। हकीकत तो यह है कि उन लोगों का इस्लाम को वापस कुबूल करना अल्लाह की नेमत और उसी की जरूरत की बदौलत ही हुआ है।

मुझे कश्मीर के जेहाद में शामिल होने पर खुशी ही होगी लेकिन पाकिस्तानी सरकार मुझे ऐसा करने की इजाजत नहीं देगी।

–पाकिस्तानी पत्रकारों के साथ बातचीत

धर्म में बम विस्फोट, मुसलमानों के साथ अमेरिकियों के बुरे व्यवहार, फिलिस्तीन में यहूदियों को समर्थन देने और फिलिस्तीन व लेबनान में मुस्लिमों पर अत्याचार करने का ही नतीजा है।

– एक टीवी इंटरव्यू में

लश्कर–ए–तैइबा

स्थापना 1989–90 में अफगानिस्तान के कुनार प्रांत में।
संस्थापक/प्रमुख : हाफिज मोहम्मद सईद, जफर इकबाल
मुख्यालय : लाहौर के पास मुरीदके में
उद्देश्य : इस्लाम का विस्तार और जम्मू कश्मीर की आजादी
हाफिज जन्म : 1950 (सरगोधा–पाकिस्तान) मैमूना से विवाह
मोहम्मद : लाहौर में इस्लामिक स्टडीज का शिक्षक
सईद : 1987 में मरकज दावा वल इरशद संगठन बनाया।

बड़े हमले

संसद भवन पर हमला।
लाल किले में गोलाबारी।
अक्षरधाम मंदिर पर हमला।
मुंबई में आतंकी हमला।

तालिबान

स्थापना 1993–1994
सर्वोच्च नेता : मुल्ला उमर (जन्म 1960 कंधार, इस्लामिक

शिक्षा–पाकिस्तान)

उद्देश्य : शांति की स्थापना, अफगानिस्तान की संप्रभुता और अखंडता की रक्षा करना। शरीयत के आधार पर इस्लामी समाज की स्थापना करना आदि।

गतिविधियां

1994 में कंधार पर आक्रमण कर अपना शासन लागू किया।

सितंबर, 1996 में काबुल पर अधिकार कायम किया।

तालिबान के कट्टरपंथी कार्य

पुरुषों के लिए पगड़ी, दाढ़ी–छोटे बाल, सलवार, कमीज तथा महिलाओं के लिए बुर्का अनिवार्य कर उनकी शिक्षा एवं रोजगार पर प्रतिबंध लगा दिया।

तालिबान और उनके नेता

सर्वोच्च नेता (अमीरूल मोमिनीन) – मुल्ला मुहम्मद उमर

इनर सूरा (पोलिस ब्यूरो) – मुल्ला मुहम्मद रब्बानी, मुल्ला सहसानुल्लाह, मुल्ला अब्बास, मुल्ला मुहम्मद, मुल्ला पसानी।

सेंट्रल सूरा (कैबिनेट) – मुल्ला मुहम्मद हसन, मुल्ला नूर अलन्दीन, मुल्ला वकील अहमद, मुल्ला शीर मुहम्मद मलांग, मुल्ला अब्दुल रहमान, मुल्ला अब्दुल हाकीम, सरदार अहमद, हाजी मुहम्मद गौस, मासूम अफगानी

उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत में जनसंपर्क अधिकारी – अब्दुल रहमान (रशीद) जाहिद।

क्वेटा में जनसंपर्क अधिकारी – मुहम्मद मासूम

काबुल की छह सदस्यों वाली सुपरवाईजरी काउंसिल–मुल्ला मुहम्मद हसन, अखुंद (उपाध्यक्ष) मुल्ला मुहम्मद रब्बानी, मुल्ला मुहम्मद हसन, मुल्ला मुहम्मद गौस, मुल्ला सैयद ग्यासुद्दीन आगा (शिक्षा) मुल्ला गाजिल मुहम्मद, मुल्ला अब्दुल (रज्जाक) (कस्टम्स)।

मुल्ला उमर का मंत्रिमंडल : सुप्रीम काउंसिल के उप प्रमुख

मुल्ला अब्दुल रज्जाक – आंतरिक मंत्री (गृह)

मुल्ला कैदुल्ला – रक्षा मंत्री

मौलवी वकील अहमद मुतवार्ककल – विदेश मंत्री

मुल्ला सईदपुर रहमान हक्कानी – काबुल मामलों में डिप्टी मंत्री।

अन्य

मुल्ला खेरीउल्ला	–	हेरात के गवर्नर
मुल्ला अखुंदजादा	–	काबुल के कोर कमांडर
मुल्ला अब्दुल सलाम राकेटी	–	हेरात के कोर कमान्डर
मुल्ला बिरादर	–	अफगान के कोर कमांडर

आतंकवादी गतिविधियां (Terrorist Activities)

पहले माना जाता था कि कमजोर और गरीब सरकारों के आगे ही आतंकवादी संगठन सिर उठाते हैं लेकिन वास्तव में ऐसा है नहीं। 9/11 को अमरीका पर हुए आतंकी हमले ने साबित कर दिया कि दुनिया का कोई भी देश आतंकवाद से महफूज नहीं है। द्विध्रुवीय विश्व में भी अमरीका एक विश्वशक्ति था और आज तो अमरीका, दुनिया की अकेली महाशक्ति है। अमरीका की शक्ति के आगे कोई भी देश ठहर नहीं सकता लेकिन आतंकवाद ने अमरीका का सिर भी नीचा कर दिया है तो समझा जा सकता है कि आतंकवाद कितने खतरनाक रूप में हमारे सामने है। अमरीका का वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, अमेरिकी आर्थिक शक्ति का प्रतीक था लेकिन मुस्लिम आतंकवाद ने पल भर में उसे मिट्टी में मिला दिया। वास्तव में दुनिया आज जिस सबसे बड़े खतरे से जूझ रही है, वह है मुस्लिम आतंकवाद। चाहे भारत हो या इस्राइल, ब्रिटेन हो या अमरीका, आतंकवाद के आगे आज सभी बेबस हैं, लाचार हैं।

अमरीका की ताकत को कल्पनातीत समझा जाता था। कभी किसी ने कल्पना नहीं की थी कि एक दिन दुनिया के सबसे मजबूत सुरक्षा गढ़ों के रूप मे विख्यात अमेरिकी शहरों पर इस तरह का कोई हमला होगा और अमरीका लाचारगी से बस देखता ही रह जाएगा। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर और पेंटागन पर हुए इन हमलों ने यह साबित कर दिया है कि आतंकवाद से सुरक्षित कोई भी नहीं है फिर चाहे वह अमरीका ही क्यों न हो। सवाल है कि दुनिया अब इस हादसे से क्या सबक लेगी? इस हमले के पहले भी दुनिया में आतंकवाद की लाखों

वारदातें हुई हैं। स्टाकहोम स्थित पीस रिसर्च सेंटर के मुताबिक अकेली बीसवीं शताब्दी में ही छोटी–बड़ी कुल मिलाकर दो लाख से भी ज्यादा आतंकवादी घटनाएं घटित हुई हैं।

लेकिन वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हुए इस आतंकवादी हमले ने एकाएक भय और ताकत के पारंपरिक प्रतिमान बदल दिए हैं। इन हमलों ने साबित कर दिया है कि आज की तारीख में दुनिया का बड़े से बड़ा मुल्क, चाहे वह कितनी बड़ी सैन्यशक्ति हो, चाहे वह परमाणु अस्त्रों का जखीरा ही क्यों न रखता हो और उसकी प्रयोगशालाओं में कुछ ही घंटों के भीतर जैविक अस्त्र तैयार किए जा सकते हों, लेकिन इन सारी चीजों से वह ताकतवर मुल्क साबित नहीं हो जाएगा। हथियारों की तमाम ताकत के बावजूद वह आतंकवाद से सुरक्षित नहीं हो जाएगा। आतंकवाद आज की तारीख में एक ऐसा ब्रह्मास्त्र बन चुका है जिसकी परिधि में दुनिया की सारी अमोघ शक्तियां बौनी साबित हो रही हैं। समूची धरती आतंक की परिधि में आ गई।

लेकिन यह कोई रातोंरात नहीं हुआ। हिंदुस्तान तो पिछले कई सालों से दुनिया के हर मंच पर यह बात दुहराता रहा है कि दुनिया के अस्तित्व के लिए आतंकवाद सबसे बड़ी चुनौती बन गया है। भारत ने दर्जनों बार विश्वमंच पर यह साबित करने की कोशिश की है कि दुनिया के किसी भी देश की सरहद आतंकवाद से सुरक्षित नहीं है। भले वह ऐसी लगती हो। आतंकवाद एक विश्वव्यापी समस्या है और इस समस्या से निजात तभी पाई जा सकती है जब उसका मुकाबला पूरी दुनिया मिलकर करे। लेकिन सालों से यह बात दुनिया के देशों की समझ में नहीं आ रही थी। शायद अमेरिका पर हुआ यह हमला इस समझ का प्रस्थान बिंदु बन सके क्योंकि इसने साबित कर दिया है कि दुनिया का ताकतवर से ताकतवर देश अकेले आतंकवाद से मुकाबला नहीं कर सकता। यह हादसा अगर एक सबक बनता है तो समझा जाएगा कि उसने इतिहास की धारा मोड़ दी और अगर ऐसा नहीं हो सका तो समझा जाएगा कि सिर्फ व्यक्ति ही नहीं देशों के समुच्चय भी इतिहास से कभी सबक नहीं लेते।

न्यूयार्क का वर्ल्ड ट्रेड सेंटर महज अमेरिकी अर्थशास्त्र का ही नहीं बल्कि आधुनिक पूंजीवादी अर्थशास्त्र के एक वैभव का प्रतीक था। वह मनुष्य के आधुनिक विकास की प्रक्रिया के शिखर का भी प्रतीक

था। लेकिन उन्मादवादी हमलों ने इस वैभव के प्रतीक, इस आधुनिक विकास प्रक्रिया के शिखर को ताश के पत्तों की तरह बिखेर दिया।

इसने साबित कर दिया है कि अगर शैतानियत से मिलकर नहीं लड़ा गया तो एक अकेला मुल्क चाहे वह कितना ही ताकतवर क्यों न हो, वह उसका मुकाबला नहीं कर सकता। आतंकवादियों ने वर्ल्ड ट्रेड सेंटर और पेंटागन पर हमला करके यह साबित करने की कोशिश की है कि उन्होंने आधुनिक ताकत के दोनों आधारों–पूंजी और सैन्य शक्ति को बेमतलब साबित कर दिया है। एक जमाने में पेंटागन कितना ताकतवर समझा जाता था। इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि आमतौर पर हालीवुड की स्टंट फिल्मों में दिखाए जाने वाले बड़े–से–बड़े विध्वंसों की कल्पना में भी कभी पेंटागन जैसे सामरिक शक्ति केंद्र के ध्वंस को नहीं दिखाया गया। लेकिन पेंटागन की ताकत सिर्फ यहीं भर नहीं थी कि वह अमेरिका जैसे विश्व के सबसे ताकतवर देश की सेनाओं का मुख्यालय था बल्कि पेंटागन की ताकत में एक विचारधारा के विजयी होने का जश्न भी शामिल था। द्वितीय विश्वयुद्ध के बाद दुनिया साम्यवाद और पूंजीवाद के दो खेमों में स्पष्ट रूप से बंट गई थी और पेंटागन को पूंजीवादी दुनिया के शक्ति केंद्र के रूप में देखा जाता था। माना जाता था कि अगर पेंटागन मजबूत रहेगा तो दुनिया का यह प्रतिद्वंद्वी वैचारिक ध्रुव भी जिंदा रहेगा और पेंटागन मजबूत नहीं रहा तो पूंजीवाद भी ताकतवर नहीं रह पाएगा।

वर्ल्ड ट्रेड सेंटर और पेंटागन पर हुए आतंकवादी हमलों ने दुनिया की सबसे बड़ी समस्या को निर्धारित कर दिया है और यह है आतंकवाद। वैश्विक मंदी और पर्यावरणीय विनाश से बड़ी समस्या अगर आज दुनिया के सामने है तो वह समस्या है आतंकवाद। अमरीका के इतिहास के तमाम स्याह पन्नों को अगर किसी एक चीज के लिए खारिज किया जा सकता है तो वह यही आतंकवाद है। आतंकवादियों का संबंध चाहे जिस भाषा, जाति या समुदाय से हो वे किसी एक जाति, भाषा या समुदाय के शत्रु नहीं, समूची मानव जाति की संवेदना के शत्रु हैं। अतः आतंकवाद की अब तक राष्ट्रीयता और धार्मिकता के संदर्भ में जो पक्षधरता होती रही है, यह हादसा उससे सबक लेने का समय है।

पल–पल की दहशत की दास्तान

11 सितंबर, 2001 को अमेरिकी समय के मुताबिक पौने नौ बजे और भारतीय समय के मुताबिक शाम 6.15 बजे पहला विमान न्यूयार्क स्थित 'वर्ल्ड ट्रेड सेंटर' या 'ट्विन टावर' से टकराया।

ठीक 18 मिनट बाद यानी अमेरिकी समय के मुताबिक सुबह 9.03 बजे एक दूसरा विमान वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की दूसरी इमारत से टकराया। इसके बाद ट्विन टावर के दोनों टावर ताश के पत्तों की तरह भरभराकर ढह गए। उस समय वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में अनुमानतः 50 हजार लोग मौजूद थे। वैसे वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में हर दिन लगभग 1.5 लाख लोग आते हैं।

दूसरे हमले के ठीक एक घंटे 2 मिनट बाद यानी अमेरिकी समय के मुताबिक सुबह 10.05 बजे एक तीसरा विमान वाशिंगटन स्थित अमरीका के सैन्य मुख्यालय एवं रक्षा मंत्रालय पेंटागन की पांच मंजिला इमारत से टकराया।

पेंटागन के ध्वस्त होने के तुरंत बाद व्हाइट हाउस को खाली कर दिया गया।

राष्ट्रपति जार्ज वाकर बुश इसके पहले ही फ्लोरिडा की यात्रा को बीच में छोड़कर वाशिंगटन आ गए लेकिन राष्ट्र के नाम एक बेहद संक्षिप्त संबोधन के बाद वह अज्ञात स्थान पर चले गए।

अमेरिकी समय के मुताबिक सुबह 10.35 बजे विदेश विभाग के बाहर एक कार विस्फोट हुआ।

मुश्किल से तीन मिनट बाद वाशिंगटन में एक और धमाका हुआ।

10 बजकर 40 मिनट पर एक बोईंग 767 यात्री हवाई जहाज पश्चिमी पेन्सिलवेनिया में पिट्सबर्ग के बाहर क्रैश हो गया।

10 बजकर 43 मिनट पर पेंटागन ने दावा किया कि उसे एक और अपहृत विमान का पता चला है जो बोस्टर से लास एंजिल्स की उड़ान पर था। बाद में यह विमान भी ध्वस्त हो गया।

11 बजे उस समय और ज्यादा अफरातफरी मच गई जब पता चला कि अभी कई विमान और लापता हैं।

लेकिन वर्ल्ड ट्रेड सेंटर सिर्फ न्यूयार्क की पहचान ही नहीं बल्कि अमेरिकी वैभव का प्रतीक भी था। अमेरिका की स्वप्निल दुनिया का

सबसे रोमांचक प्रतीक यही डब्ल्यूटीसी था। 1973 में निर्मित और 1975 से कामकाज के लिए खोला गया वर्ल्ड ट्रेड सेंटर जब बना था उस समय वह अमरीका और साथ ही दुनिया की सबसे ऊंची इमारत थी। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर कुछ सालों पहले भी एक बार आतंकवादी हमला हुआ था जिसमें छः लोग मारे गए थे और एक हजार से ज्यादा घायल हुए थे। यह कैसा विडंबनापूर्ण संयोग है कि अभी कुछ दिनों पहले ही इस आतंकवादी हमले में मारे गए लोगों की याद में बने एक संग्रहालय को राष्ट्रपति बुश ने देश के लोगों के लिए सौंपा था और, कुछ दिन पहले ही इस हमले के लिए जिम्मेदार टिमोती मैकबेथ को मौत की सजा दी गई थी। किसको पता था कि इतनी जल्दी पुनः वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का हृदय विदारक इतिहास लिखा जाएगा।

वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में 7 भवनों के अलावा 2 टावर थे। यहां दुनिया की तमाम बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनियों के दफ्तर थे। 1353 फीट ऊंचा वर्ल्ड ट्रेड सेंटर 110 मंजिला था, जिसमें कार्यालयों आदि के लिए 90 लाख वर्गफीट की जगह थी। इसके तलघर में एक रेलवे स्टेशन भी था।

यद्यपि आतंकवादी गतिविधियां विश्व के अनेक देशों में होती रही हैं, लेकिन आतंकवाद को राष्ट्रीय घटना ही माना गया। यह शायद पहला ही अवसर है कि जब 11 सितंबर 2001 को अमरीका के शहर न्यूयार्क में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर और वांशिगटन में पेंटागन पर हुए आतंकी हमलों के कारण आतंकवाद अंतर्राष्ट्रीय समस्या बन गया। इस हमले के पीछे ओसामा बिन लादेन का मस्तिष्क काम कर रहा था। उसने कतर के टी.वी. चैनल अल जजीरा से जारी वीडियो टेप में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के संबंध में कहा– ''उनके मौके पर पहुंच जाने और जहाज में सवार होने से ठीक पहले हमने उन्हें योजना की जानकारी दी। एक दल दूसरे को जानता तक नहीं था, टॉवरों की स्थिति और जहाजों के रास्ते के हिसाब से हमने मरने वालों की सम्भावित संख्या का पहले ही अनुमान लगा लिया था। हमारा आकलन था कि जहाज तीन या चार मंजिल से टकराएंगे। इस क्षेत्र में अपने अनुभव के आधार पर योजना की सफलता को लेकर मैं पूरी तरह आशांवित था, मेरी राय थी कि जहाज के ईंधन से उठी आग लोहे के ढांचे को गला देगी तथा जहाज से टकरानेवाली और ऊपर की ही मंजिलें ध्वस्त होंगी, हमने

इतनी ही उम्मीद की थी।''

उसी टैप में अपने मकसद को बताते हुए ओसामा बिन लादेन ने कहा कि, ''अल्लाह मुसलमानों, अफगानी मुजाहिदीनों और उनके साथ दूसरे इस्लामी मुल्कों के लिए लड़ने वालों के साथ है। हम रूसियों से लड़े। उन्हें हमने नहीं, अल्लाह ने हराया, उनका नामोनिशान मिट गया। सीखनेवालों के लिए यह एक बहुत बड़ा सबक है। अपनी फतह को लेकर हम किसी मुगालते में नहीं, अमरीकियों के खिलाफ हमारी लडाई रूसियों के खिलाफ लड़ाई से भी बड़ी है। अमरीका का उजड़ा भविष्य हमें साफ दिखाई पड़ रहा है, संयुक्त राज्य की बजाय वह बिखरा राज्य बनकर रह जाएगा और अपने बेटों की लाश ढोकर उन्हें अमरीका ले जाना पड़ेगा। हमारा पहला निशाना अमरीका है और उसके बाद हम भारत और इसरायल को निशाना बनाएंगे।''

भारतीय पुलिस सेवा के सेवानिवृत्त अधिकारी के.पी.एस. गिल इस समस्या को एक दूसरे ही नजरिये से देखते हैं। अपने एक लेख में लिखते हैं, ''अमेरिका में जो कुछ हुआ, उसकी भयावहता को दुनियाभर के रणनीतिकार अभी तक पचा नहीं पाए हैं। इसमें कोई ताज्जुब नहीं है कि जिस जवाबी कार्रवाई की उम्मीद हर किसी को कुछ ही दिनों के अंदर थी, वह अभी तक नहीं की गई है। बेशक यह सब होगा पर इसमें बिना किसी भेदभाव के इराक और युगोस्लाविया पर हमला करने जैसी बात नहीं होगी और आतंकवादियों के नेटवर्क तथा उनकी गतिविधियों पर इसका नतीजा पूरी तरह बाहरी होगा।

उसे अपनी ताकत पर तो जरूरत से अधिक भरोसा है। लगता है आतंकवाद के विरुद्ध संघर्ष में मात खाने का यही सबसे बड़ा कारण हो सकता है। अमेरिका में आतंकवादी घटना के संबंध में पंजाब में आतंकवाद की समाप्ति के लिए उत्तरदायी के.पी.एस.गिल कहते हैं, ''अमेरिका को जैसे–जैसे अपने खिलाफ छेड़े गए 'नए युद्ध' की वास्तविक रूपरेखा और जटिलताएं समझ में आ रही हैं, उसका गुस्सा धीरे –धीरे घबराहट और अनिश्चितता में बदलता जा रहा है। यह एक ऐसा युद्ध है जिसका मुकाबला करने में अमेरिका असाधारण रूप से अक्षम है – अपनी जबरदस्त ताकत और परंपरागत युद्ध में काम आने वाले हथियारों, मिसाइलों, बमों और परमाणु हथियारों के बावजूद। वैसे भी, अमेरिका के इतिहास में यह पहला युद्ध है जिसकी शुरुआत

अमेरिकी धरती पर हुई है। अमेरिका की प्रतिक्रिया चाहे जो हो, यह युद्ध वहीं लड़ा जाता रहेगा। कम से कम उसका एक हिस्सा। सच तो यह है कि 'अमेरिकी किले' पर चढ़ाई हो गई है और ऐसा फिर होगा। आतंकवाद की कार्रवाई का जो नमूना दुनियाभर में, हमारे घरों में पेश किया गया है – उस लिहाज से यह वाकई एक हद तक ठीक है और इससे आतंकवाद का पूरा विचार ही नए सिरे से परिभाषित हो गया है। दूसरे के आतंकवाद के प्रति अमेरिकी चरित्र की खास बातों में अनिश्चितता, अस्पष्टता और उदार भावना के साथ कभी सहयोग और निंदा करने की मौकापरस्ती का अब कोई मतलब नहीं है। अमेरिका के रुख और उसकी नीतियों की खासियत होती थी, ढुलमुल 'राष्ट्रहित'। अब यह सब वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के मलबे में बदल गया है।''

आतंकवाद की समाप्ति के संबंध में अमेरिका के पूर्व विदेश मंत्री हैनरी किसिंगर की प्रतिक्रिया भी बहुत अधिक उग्र व सीधी है। उनके विचार में, ''इस तरह के हमले करने के लिए योजनाबद्ध तैयारी, अच्छा संगठन, बहुत सारे धन और मजबूत आधार की जरूरत होती है। लगातार भ्रमण करते रहने की स्थिति में इस तरह की योजनाएं तैयार नहीं की जा सकती हैं। इस घटना पर हमारी प्रतिक्रिया वास्तविक अपराधियों की तलाश के साथ ही कुछ हद तक इसका बदला लेने की होनी चाहिए। यह हमला सरकार पर नहीं, वरन् अमेरिका की जमीन पर था। यह हमारे सामाजिक जीवन के साथ ही मुक्त समाज के रूप में हमारे अस्तित्व के लिए हमें उस तंत्र पर आक्रमण करना होगा, जहां इस तरह के हमलों की योजना बनाई जाती है।

इस पर हमारी त्वरित प्रतिक्रिया तो इस हमले में घायल हुए लोगों की देखभाल करना एवं जीवन सामान्य बनाना ही है। हमें तुरंत ही अपने काम पर लौटना चाहिए ताकि हम हमलावरों को यह दिखा सकें कि हमारे जीवन में व्यवधान डालना आसान नहीं है। इसके विपरीत सरकार को इस पर योजनाबद्ध प्रतिक्रिया व्यक्त करनी होगी, ताकि इससे वह पूरा आतंकी तंत्र ही ठीक उसी तरह नष्ट हो जाए, जिस तरह हार्बर पर हमला करनेवालों का खात्मा हुआ था। वह पूरा तंत्र कुछ देशों की राजधानियों में आश्रय लिए बैठे आतंकवादियों का नेटवर्क है। कुछ मामलों में हमने ऐसे आतंकी संगठनों को शरण देने वाले देशों पर किसी तरह के प्रतिबंध नहीं लगाए हैं, जबकि कुछ के साथ हमारे घनिष्ठ व

सामान्य संबंध हैं। इसका बदला तो कुछ हद तक लिया ही जाना चाहिए, पर यह इस प्रक्रिया का अंत नहीं होना चाहिए। इतना ही नहीं, यह इस प्रक्रिया का प्रमुख अंग भी नहीं होना चाहिए। इस पूरी कार्रवाई का प्रमुख अंग आतंकी तंत्र की जड़ें काटना है।

आतंकी तंत्र से आशय इस नेटवर्क के उन हिस्सों से है जो विश्व स्तर पर नियोजित हैं और एक ही समय में किसी कार्य को अंजाम देने के लिए तत्पर रहते हैं। हम अभी यह नहीं जानते कि यह काम ओसामा बिन लादेन का है, पर इसको अंजाम देने का तरीका इसमें उसी का हाथ होने की ओर इशारा कर रहा है। इस तरह के हमले करने की क्षमता रखने वाले संगठनों को अपने यहां आश्रय देने वाले देश सोच लें कि उन्हें इसकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी होगी। हम जवाबी कार्रवाई के लिए सर्व सहमति होने का इंतजार नहीं करेंगे। इस पर हम अपने सहयोगी देशों के साथ मिलकर ऐसा सहयोगात्मक तरीका निकालेंगे, जो अपने आप में न्यूनतम ही होगा।''

12 सितंबर को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद् ने अमरीका पर आतंकवादी हमले की निन्दा करने के लिए 1,368वां प्रस्ताव स्वीकार किया। इसके बाद 28 सितंबर को सुरक्षा परिषद् ने 1,373 वां प्रस्ताव स्वीकृत किया। इस प्रस्ताव में अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद से निपटने के लिए व्यापक उपायों की रूपरेखा है। इस प्रस्ताव में अन्य बातों के अलावा, यह भी कहा गया है कि सभी देश आतंकवादियों की कार्रवाइयां रोकें तथा ऐसे कामों के लिए किसी को भी आर्थिक सहायता न देने दें। आशंकित आतंकवादियों की सभी वित्तीय परिसंपत्तियां और आर्थिक साधन जब्त कर लें तथा आतंकवादियों की किसी भी प्रकार से सहायता न करें और न ही आतंकवादियों की भर्ती तथा प्रशिक्षण होने दें। आतंकवाद का खात्मा करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग बढ़ाने की बहुत जरूरत है। इसके लिए वर्तमान समझौतों आदि पर भी अमल किया जाना चाहिए।

यह प्रस्ताव संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के सातवें अध्याय के अधीन स्वीकृत किया गया था, इसलिए यह सभी राज्यों पर लागू होता है और कानूनी तौर पर सभी राज्यों को इसका पालन करना चाहिए। इस पर अमल किए जाने की निगरानी रखने के लिए सुरक्षा परिषद् के सभी सदस्यों की समिति भी बनाई गई और सभी राज्यों से अनुरोध

किया गया कि वे 90 दिन के अंदर–अंदर इस समिति को बताएं कि उन्होंने इस प्रस्ताव पर अमल करने के लिए क्या कदम उठाए हैं? भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद् के प्रस्ताव संख्या 1,373 का स्वागत किया है, क्योंकि भारत अनेक वर्षों से सीमा पार से चलाई जा रही आतंकवादी कार्रवाइयों का सामना कर रहा है और भारत ने आतंकवाद का खात्मा करने के लिए संसार का ध्यान दिलाने हेतु वर्षों से प्रयत्न किया है। भारत के विचार में यह प्रस्ताव अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद के विरुद्ध व्यापक संधि के बारे में भारतीय दृष्टिकोण के अनुरूप है। भारत इस प्रस्ताव की व्यवस्थाओं का पालन करने के लिए पूरी तरह वचनबद्ध है। आतंकवाद का खात्मा करने के लिए उठाए गए कदमों के बारे में भारत अपना राष्ट्रीय प्रतिवेदन भी प्रस्तुत कर रहा है। इन उपायों में वे उपाय भी शामिल हैं, जिनका उल्लेख संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद् के 1,373वें प्रस्ताव में किया गया है।

अमरीका ने इसके लिए ओसामा बिन लादेन और अफगानिस्तान के तालिबान मिलीशिया को जिम्मेदार मानते हुए अफगानिस्तान पर आक्रमण कर दिया और अफगानिस्तान से तालिबान मिलीशिया शासन को उखाड़ फेंका, लेकिन अमरीका की सेना ओसामा बिन लादेन और मौलाना मोहम्मद उमर को गिरफ्तार न कर सकी और वे चोरी–छिपे उस समय अमरीका, ब्रिटेन तथा जर्मनी पर आतंकी हमले की साजिश रचते रहे थे।

स्पेन में आतंकवादी गतिविधियां 11 मार्च, 2004 को स्पेन की राजधानी मैड्रिड में अब तक का सबसे बड़ा आतंकवादी हमला किया गया, जिसमें मैड्रिड के आस–पास के स्टेशनों और ट्रेनों में 13 बम रखे गए थे जिनमें से 10 बम कुछ अंतराल में फट गए। इन विस्फोटों में मृतकों की संख्या 200 तक पहुंच गई और 1500 से अधिक घायल हो गए। स्पेन के गृहमंत्री एंजेल एस्बेस ने बास्क अलगाववादी संगठन ई. टी.ए. को दोषी ठहराते हुए कहा कि ई.टी.ए. स्पेन में किसी बड़े हमले की कोशिश में था, दुर्भाग्य से आज वह अपने मकसद में कामयाब हो गया जबकि ओसामा बिन लादेन के आतंकवादी संगठन अल कायदा ने इसे इराकी हमले में स्पेन के द्वारा अमरीका का साथ देने के कारण बदला बताते हुए इसकी जिम्मेदारी ली।

लंदन स्थित एक दैनिक अल–कुट्स अल–अरबी को प्राप्त एक पत्र में अल कायदा के आत्मघाती दस्ते अबू हफ्स अल–मसरी ब्रिगेड ने नरसंहार का जिम्मा लेते हुए कहा है कि यह तो यूरोप पर हमलों की एक शुरुआत भर है। इराक पर हमलों में अमरीका का साथ देने की वजह से स्पेन को यह सजा दी गई है, जिसका दर्द उसे सालोंसाल याद रहेगा। पत्र में कहा गया कि मैड्रिड में हुए हमले इस्लाम के खिलाफ साथ देने वालों को करारा सबक है और उन सभी देशों को इससे भी ज्यादा खौफनाक हमलों से जूझना पड़ेगा जो इस्लाम विरोधियों के पाले में खड़े होंगे। उल्लेखनीय है कि स्पेनिश प्रधानमंत्री जोस मारिया अजनार ने इराक के खिलाफ अमरीकी मुहिम में सक्रिय साथ दिया था। अंतर्राष्ट्रीय सेना में स्पेन के 1,300 सैनिकों ने सक्रिय रूप से हिस्सा लिया था। दूसरी तरफ इन विस्फोटों की जिम्मेदारी बास्क अलगाववादी संगठन के ई.टी.ए. ने भी ली। स्पेन के विदेशमंत्री एना पालाशियो ने भी इसी संगठन पर अपना शक जताते हुए कहा है कि हमलों के शक की सूई पूरी तरह से ई.टी.ए. की ओर घूम रही है। इन हमलों ने पूरी दुनिया को दहला दिया था। संयुक्त राष्ट्र समेत तमाम देशों ने इन हमलों की तीखी निंदा की।

संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद् समेत विश्व समुदाय ने मैड्रिड में हुए ट्रेन विस्फोटों की कड़े शब्दों में निंदा की। पूर्व संयुक्त राष्ट्र महासचिव कोफी अन्नान ने इन विस्फोटों की कड़े शब्दों में निंदा करते हुए कहा कि निर्दोष नागरिकों को निशाना बनाने का कोई औचित्य नहीं है और इसके जिम्मेदारों को इस अपराध के लिए कड़ी सजा मिलनी चाहिए।

हांगकांग से ए.एफ.पी. की एक खबर के मुताबिक अनेक देशों ने इन विस्फोटों की कड़े शब्दों में निंदा की है। आस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री जान हावर्ड ने इस घटना की कड़े शब्दों में निन्दा करते हुए कहा कि इसे न्यायोचित नहीं ठहराया जा सकता।

वर्तमान में आतंकवाद का खतरा निरंतर बढ़ता जा रहा है। आतंकवादियों के द्वारा आज नित नई–नई तकनीकों का प्रयोग किया जा रहा है। जिनके दुष्परिणाम अधिक भयानक रूप में सामने आ रहे हैं। आतंकवाद का एक नया स्वरूप साइबर आतंकवाद है।

सामान्य अर्थों में आतंकी संगठनों की ऐसी कार्रवाइयों जिनके द्वारा खतरा और दहशत पैदा करने के इरादे से सूचना तंत्र को

दुष्प्रभावित करने की कोशिश की जाती है। साइबर आतंकवाद कहलाता है। साइबर आतंकवाद को और सामान्य एवं विस्तृत तरीके से परिभाषित किया जा सकता है जैसे किसी सामाजिक, धार्मिक, सैद्धांतिक, राजनीतिक या अन्य उद्देश्यों को पूरा करने के लिए कंप्यूटर या कंप्यूटर तंत्र को बाधित करना या ऐसा करने की जान–बूझकर की गई कोशिश। इसका उद्देश्य लोगों को डराना–धमकाना या अपने निहित स्वार्थों की पूर्ति करना हो सकता है। साइबर आतंकवाद की यह विस्तृत व्याख्या टेक्नोलाइटिक्स इंस्टीट्यूट के केविन जी कोलमैन ने प्रस्तुत की थी, जबकि साइबर आतंकवाद शब्द का पहली बार इस्तेमाल जेरेड वेस्ट्रप ने किया था।

'साइबर आतंकवाद' का उदय हमारे लिए बेहद खतरनाक है, आतंकवाद के परंपरागत रूपों से अलग इसकी प्रकृति घातक और विध्वंसात्मक है। सूचना तकनीक के इस दौर में आतंकियों ने हथियारों के साथ तकनीक को जोड़ने की कला में महारत हासिल कर ली है। यदि समय रहते इस पर लगाम न कसी गई तो आगे चलकर यह और भी खतरनाक रूप अख्तियार कर सकता है।'

साइबर और आतंकवाद से मिलकर बने साइबर आतंकवाद को अलग–अलग तरीकों से परिभाषित किया जा सकता है और यही इसकी स्पष्ट समझ में सबसे बड़ी बाधा है। साइबर शब्द हमारी व्यावसायिक गतिविधियों से जुड़ा कोई भी तरीका हो सकता है। लेकिन आतंकवाद के स्वरूप को परिभाषित करना आसान नहीं है। यहां तक कि अमेरिकी सरकार भी अब तक इसकी सर्वमान्य व्याख्या करने में नाकाम रही है। एक आदमी के लिए आतंकवादी दूसरे के लिए स्वतंत्रता सेनानी हो सकता है। यह पुरानी कहावत अभी भी अपनी जगह पर कायम है। एडवांस्ड लॉ लेक्सिकॉन में साइबर लॉ को कंप्यूटर और इंटरनेट के परिप्रेक्ष्य में परिभाषित किया गया है। दूसरे शब्दों में कहें तो यह कंप्यूटरीकृत प्रक्रिया का ही एक हिस्सा है। 2005 में प्रकाशित एडवांस्ड ला लेक्सिकान के तीसरे संस्करण में साइबर चोरी (साइबर थेफ्ट) की आनलाइन कंप्यूटर सेवाओं के इस्तेमाल से जोड़कर व्याख्या की गई है। इस शब्दकोश में साइबर कानून को कुछ इस तरह परिभाषित किया गया है– कानून का वह क्षेत्र जो कंप्यूटर और इंटरनेट से संबंधित है और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स अभिव्यक्ति

की स्वतंत्रता एवं सूचना तक निर्बाध पहुंच जैसी बातें इसके दायरे में आती हैं। जैसा कि डी डेनिंग ने एक्टिविज्म, हैक्टिविज्म और साइबर टेर–रिज्म में लिखा है, ईमेल बम को कुछ लोग हैक्टिविज्म समझते हैं तो अन्य लोग इसे साइबर आतंकवाद समझ सकते हैं।

मीडिया, व्यक्तिगत अनुभव या अन्य उपलब्ध स्रोतों से साइबर आतंकवाद के बारे में कुछ समझदारी विकसित जरूर हुई है, लेकिन असल समस्या यह है कि विशेषज्ञों की जमात इसे अपने–अपने नजरिए से परिभाषित करती है। साइबर टेररिज्म, बायोटेररिज्म या केमिकल टेर–रिज्म जैसी अवधारणाओं के साथ समस्या यह है कि इन्हें अक्सर टेर–रिज्म के पहले लगे शब्द के अर्थ के साथ जोड़ दिया जाता है। कैलिफोर्निया स्थित इंस्टीट्यूट ऑफ सिक्युरिटी एंड इंटेलिजेंस में सीनियर रिसर्च फेलो बैरी कोलिन, जिन्हें 1997 में पहली बार साइबर टेर–रिज्म शब्द के इस्तेमाल का श्रेय हासिल है, ने इसे साइबरनेटिक्स और टेर–रिज्म का मिश्रण बताया था। एफ.बी.आई. से जुड़े मार्क पॉलिट ने भी इसी साल इसकी एक सामान्य परिभाषा दी थी। साइबर आतंकवाद राजनीतिक पूर्वाग्रह के शिकार लोगों द्वारा जान–बूझकर सूचना कंप्यूटर तंत्र, कंप्यूटर प्रोग्रामों या आंकड़ों को बाधित करने का प्रयास है और इसके निशाने पर ऐसा लक्ष्य होता है, जिसके पास हथियार नहीं होते। तभी से ही साइबर आतंकवाद आई.टी. विशेषज्ञों, आतंकवाद विशेषज्ञों और मीडिया के शब्दकोश का एक अभिन्न हिस्सा बन गया है। ऐसे ही एक विशेषज्ञ जो पुलिस अधिकारी हैं, ने इसे अपने तरीके से परिभाषित किया है। कि साइबर आतंकवाद बाधाएं खड़ी करने के प्रयास एवं कंप्यूटर के माध्यम से लक्ष्य पर निशाना कंप्यूटर पर अधिकाधिक रूप से निर्भर होते जा रहे समाज के अस्तित्व के लिए बेहद खतरनाक है। मीडिया जगत में साइबर का आतंकवाद शब्द के इस्तेमाल में काफी लचीला रुख अपनाया जाता है।

साइबर आतंकवाद को परिभाषित करते हुए डोरोथी डेनिंग ने कहा है कि निहित राजनीतिक या सामाजिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए किसी देश की सरकार या वहां के नागरिकों को डराने या प्रताड़ित करने के लिए कंप्यूटर संसाधन या उसके नेटवर्क एवं उसमें संरक्षित आंकड़ों को अनाधिकार चोट पहुंचाने की कोशिश साइबर आतंकवाद के दायरे में आती है। एसएमएस विश्वविद्यालय के आर स्टार्क के

मुताबिक, सूचना तंत्र पर किसी भी तरह से चोट पहुंचाने की कोशिश साइबर आतंकवाद कहलाती है। चाहे वह किसी भी माध्यम से की गई हो। उपरोक्त परिभाषाओं से यह स्पष्ट है कि दूरभाष क्षेत्र की आधारभूत संरचना को चोट पहुंचाने की कोई भी कोशिश, जिसमें वेबसाइट और कंप्यूटर की मदद से की गई कोई भी छेड़छाड़ शामिल है, साइबर आतंकवाद के दायरे में आती है। इसका मतलब है कि साइबर आतंकवाद समस्त विश्व के लिए एक खतरा बन चुका है और हर व्यक्ति हर पल इसके खौफ में जी रहा है। साइबर आतंकवाद समस्त विश्व के लिए बेहद खतरनाक है। आतंकवाद के परंपरागत रूपों से अलग इसकी प्रकृति घातक और विध्वंसात्मक है।

सूचना तकनीक के इस दौर में आतंकियों ने हथियारों के साथ तकनीक को जोड़ने की कला में महारत हासिल कर ली है। यदि समय रहते इस पर लगाम न कसी गई तो आगे चलकर यह और भी खतरनाक रूप अख्तियार कर सकता है। इससे होनेवाले विध्वंस की कोई भरपाई नहीं की जा सकती। सच तो यह है कि साइबर आतंकवाद, आतंकवाद का सबसे घिनौना स्वरूप है। साइबर आतंकवाद की अवधारणा में ही सूचना तकनीक का ऐसा इस्तेमाल निहित है, जिसका उद्देश्य चल–अचल संपत्तियों को नष्ट करना है।

उदाहरण के लिए कंप्यूटर नेटवर्क को हैक करके उसमें संग्रहीत आंकड़ों को चुराना और फिर अपने व्यावसायिक प्रतिद्वंद्वियों के खिलाफ उसका इस्तेमाल साइबर आतंकवाद का एक अहम पहलू है। दरअसल साइबर आतंकवाद का क्षेत्र इतना विस्तृत है कि किसी परिभाषा में इसके सभी पहलुओं को शामिल नहीं किया जा सकता। साइबर स्पेस ऐसा क्षेत्र है, जिसमें रोज नई–नई तकनीकों का विकास हो रहा है और यह देखते हुए इसे किसी पूर्व निर्धारित परिभाषा के दायरे में सीमित करना उचित भी नहीं है। साइबर आतंकवाद से निबटने के लिए बने कानून भी पर्याप्त नहीं हैं और आतंकियों के खतरनाक इरादों एवं वैश्विक स्तर पर तकनीक के लगातार विकास के चलते इसमें लगातार बदलाव की जरूरत है। इस समस्या को अंतर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में देखने की जरूरत है, क्योंकि इंटरनेट का इस्तेमाल साइबर आतंकवाद का एक महत्वपूर्ण पहलू है और इसकी कोई सीमा नहीं होती, ऐसा हो सकता है कि आतंकी किसी ऐसे देश

में बैठकर किसी राष्ट्र की अर्थव्यवस्था को चोट पहुंचाने की कोशिश करें जिसके साथ उसके कोई विशेष राजनयिक संबंध न हों, ऐसी परिस्थिति में तकनीक का इस्तेमाल ही एकमात्र विकल्प हो सकता है। आधुनिकतम सुरक्षा तकनीकों के साथ जोड़कर साइबर कानूनों का निर्माण करना समय की जरूरत बन चुका है।

प्रारंभ में विश्व के कुछ देशों में शुरू हुए आतंकवाद के दहशती पांव आज समूची दुनिया में पसर चुके हैं। आतंकवाद के कारण विकास की प्रक्रिया तो धीमी पड़ती ही है, साथ ही इसके कारण राष्ट्रीय एकता को भी गंभीर खतरा पैदा हो जाता है। कई बार तो आतंकवाद, देश की एकता, अखंडता, संप्रभुता और लोकतंत्र के लिए भी खतरा बन जाता है इसलिए आतंकवाद के दानव से मुक्ति पाना आज वक्त की जरूरत है। 'परस्पर बातचीत द्वारा इस समस्या का समाधान किया जा सकता है लेकिन बातचीत के सहारे समस्या का समाधान न हो तो बंदूक की नोक पर भी इस दानव को कुचल देना चाहिए।

संदर्भ

1. त्रिपाठी, मधुसूदन (2008) राष्ट्रीय एकता और आतंकवाद ओमेगा पब्लिकेशन्स नई दिल्ली,
2. उपरोक्त
3. डब्लू.डब्लू.डब्लू. चौथीदुनिया.कॉम / 2010 / 05

अध्याय : 3
आतंकवाद भारतीय परिप्रेक्ष्य में

वर्तमान समय में आतंकवाद भारत में एक भयावह रूप धारण कर चुका है। स्वतंत्र भारत में जो आतंकवादी व्यवहार पनप रहा है वह राष्ट्र में व्याप्त असमानताओं का परिणाम है। आज भारत के दक्षिण में लिट्टे, उत्तर पूर्वांचल में ईसाई धर्मावलंबी आदि, पंजाब में खाड़कू और मध्य प्रदेश में नक्सली गतिविधियां दिन–प्रतिदिन बढ़ती जा रही हैं। वर्तमान समय में भारत के कोने–कोने में आतंकवादी गतिविधियां देखी जाती हैं। इन्हीं आतंकवादी गतिविधियों से भारत का प्रत्येक नागरिक बुरी तरह भयभीत एवं अपने को असुरक्षित महसूस करता है। यही नहीं हमारे देश में उच्च वर्ग समुदायों द्वारा देश के निम्न वर्ग समूहों का शोषण कर उन्हें भय के वातावरण में जीवन जीने को विवश किया जाता है। भारत दुनिया का सबसे ज्यादा आतंकवाद पीड़ित देश है।

भारत में आतंकवाद दुनिया के किसी भी मुल्क से ज्यादा है। एक नई अमेरिकी रिपोर्ट के मुताबिक भारत में 2009 में आतंकवादी हमलों में 1,000 से ज्यादा लोग मारे गए। पाकिस्तान के लश्कर–ए–तैयबा और जैश–ए–मोहम्मद व बांग्लादेश के हरकत–उल–जिहाद–ए–इस्लामी बांग्लादेश जैसे आतंकवादी समूहों से 'लगातार और गंभीर बाहरी खतरों' के अलावा भारत घरेलू आतंकवादी समूहों के भी हमले झेल रहा है।

आतंकवाद निरोधक समन्वयक डेनियल बेंजामिन द्वारा जारी की गई रिपोर्ट में कहा गया कि भारत आतंकवाद से सबसे ज्यादा पीड़ित देशों में से एक है। वर्ष 2009 में आतंकवादी घटनाओं में यहां 1,000 से ज्यादा लोग जान गंवा चुके हैं। कश्मीर, पूर्वोत्तर और नक्सलियों के प्रभाव वाले इलाकों में आतंकवाद का व्यापक असर है। रिपोर्ट में

कहा गया है कि स्पष्ट प्रतिबद्धता के बावजूद भारत सरकार के आतंकवाद निरोधी प्रयासों में उसकी पुरानी कानूनी और प्रवर्तन प्रणालियां बाधक बनी हुई हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत के समक्ष आतंकवाद का खतरा बरकरार है और अब भी बडे हमले होने की आशंका है।

रिपोर्ट में केंद्रीय गृह मंत्री पी. चिदंबरम का जिक्र करते हुए कहा गया है कि दिसंबर में 700 विदेशी आतंकवादी देश में सक्रिय रहे हैं। साल के शुरू में यह संख्या 800 थी। नवंबर में विभिन्न आतंकवादी हमलों में देश में 71 नागरिक और 52 सुरक्षाकर्मी बल मारे गए। रिपोर्ट में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के संसद में दिए गए उस बयान का उल्लेख किया गया है, जिसमें उन्होंने कहा था कि नक्सली घरेलू सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा खतरा हैं। कहा गया है कि नक्सलियों ने पुलिस और स्थानीय सरकारी अधिकारियों पर कई हमले किए और रेलवे को बम से निशाना बनाया जिससे अनेक नागरिक मारे गए और सेवाएं बाधित हुईं।

रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत में 1990 में प्रतिबंधित किए गए एक उग्रवादी संगठन उल्फा की गतिविधियां सक्रिय हैं और उसके द्वारा बम विस्फोट में इस साल (2009) 27 लोग मारे गए। विशेष जाति के कुछ एक–दो सरफिरों ने पूर्व प्रधानमंत्री (श्रीमती इंदिरा गांधी) के निवास स्थान पर ही उनकी हत्या कर दी और पूरी जाति को बदनाम किया परंतु इस घटना के पश्चात् देशभर में सिक्खों को निशाना बनाया गया एवं मात्र सिक्ख होने के कारण वे हत्या एवं सामूहिक हत्या का शिकार हुए। यह घटना संपूर्ण देश के लिए अत्यन्त निंदनीय एवं शर्मनाक थी।

व्यावहारिक रूप से दुनिया में अधिकांश देश ऐसे हैं जिन्हें कभी न कभी, कहीं–न–कहीं बड़े या छोटे पैमाने पर आतंकवादी गतिविधियों का सामना करना पड़ा है। दुर्भाग्यवश पिछले 10 वर्षो को दृष्टि में रखा जाए तो भारत को इस समस्या का सर्वाधिक सामना करना पड़ रहा है। विभिन्न राज्यों में सक्रिय अलगाववादी ताकतों ने यहां का अमन व चैन छीन लिया है। इन विद्रोहियों के तार पड़ोसी मुल्कों से भी जुड़े हैं। इससे क्षेत्र का विकास अवरुद्ध हुआ है और हर वर्ष सैंकड़ों बेगुनाह मारे जा रहे हैं।

राज्यों में विद्रोही साया

असम : उल्फा का आतंकः– यूनाईटेड लिबरेशन फ्रंट असम का गठन अप्रैल 1979 लक्ष्य–बंदूक की नोक पर एक अलग राज्य की स्थापना। सुरक्षा बलों की कार्रवाई में उल्फा की ताकत में कमी पर संघर्ष बरकरार। द नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट आफ बोडोलैंड– गठन 1989 बोड़ो सुरक्षा बल फ्रंट का हथियार बंद दस्ता है। मांग–एक व्यापक बोडोलैंड राज्य की स्थापना।

मणिपुर : सक्रिय विद्रोहीः पीपुल्स लिबरेशन आर्मीः गठन–1979। लक्ष्य एक आजाद मणिपुर की स्थापना। द यूनाईटेड नेशनल लिबरेशन फ्रंटः गठन–1964। इसकी मांग एक स्वतंत्र व समाजवादी राज्य की स्थापना है।

नगा : पुरानी मांगः– नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल आफ नगालैंड (आई.एम.)। गठन– जनवरी 1980। लक्ष्य–चीन की माओत्से तुंग की विचारधारा पर एक ग्रेटर नगालैंड राज्य की स्थापना।

नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल आफ नगालैंड (के)। गठन – 1988। लक्ष्य – एक अलग ग्रेटर नगालैंड राज्य की स्थापना। नागा नेशनल काउंसिल (आदिनों)ः गठन–1947। नगाओं का सबसे पुराना संगठन। लक्ष्य 1956 से एक अलग नगा राज्य की स्थापना। नगा फ्रेडरल आर्मीः गुरिल्ला युद्ध में माहिर। 1970 के दशक से अलग राज्य की मुहिम। विद्रोहियों का प्रशिक्षण चीन में।

त्रिपुरा : नेशनल लिबरेशन फ्रंट आफ त्रिपुरा (एन.एल.एफ.टी.)। गठन प्रोटोस्टेंट चर्च द्वारा आर्थिक सहयोग व अस्त्र–शस्त्र भी मुहैया कराया जाता है। भारत सरकार द्वारा संगठन पर प्रतिबंध। आल त्रिपुरा टाईगर फोर्सः गठन– 1990। लक्ष्य–गैर त्रिपुरा के लोगों को यहां से बाहर निकलना। बांग्ला भाषी इनके खास निशाने पर हैं।

मिजोरम : उपेक्षा के शिकारः– ह्रयूमर पीपुल्स कंवेंशन डेमोक्रेसी (एच.पी.सी.–डी.)। गठन–1995। लक्ष्य – एक स्वतंत्र ह्रयुमर राज्य की स्थापना। द ब्रु नेशनल लिबरेशन फ्रंट (बी.एन.एल.एफ.) गठन–1997। लक्ष्य – अधिकारों के हितों की संरक्षण। 2006 में सरकार के समक्ष विद्रोहियों का आत्मसमर्पण।

मेघालयः आदिवासी बनाम गैर आदिवासीः– अचिक नेशनल वालंटियर काउंसिल (ए.एन.वी.सी.)। गठन 1995

अतः इस अलगाववादी संगठनों के पीछे के कारणों को जानने के लिए भारत के उन राज्यों के संदर्भ में देखना होगा जहां इन अलगाववादी संगठनों का जन्म हुआ। आतंकवाद का नाम लेते ही हमारे मस्तिष्क में सर्वप्रथम कश्मीर उभरता है। सर्वाधिक ध्यान देने वाला तथ्य यही है कि कश्मीर भारत और पाकिस्तान के बीच की समस्या बन गया है। इसी समस्या ने वहां आतंकवाद को जन्म दिया है, जिसके परिणाम स्वरूप वहां आतंकवादी गतिविधियां निरंतर क्रियाशील रहती हैं। अतः यह जानना आवश्यक हो जाता है कि किन कारणों से कश्मीर दो देशों के मध्य विवाद की कड़ी है।

स्वतंत्रता के बाद जहां भारत और पाकिस्तान दो नए राज्य बने वहीं देसी रियासतें एक प्रकार से स्वतंत्र हो गईं। ब्रिटिश सरकार ने घोषणा कर दी थी कि देशी रियासतें अपनी इच्छानुसार भारत अथवा पाकिस्तान में विलय हो सकती हैं। अधिकांश रियासतें भारत अथवा पाकिस्तान में मिल गईं और उनकी कोई समस्या उत्पन्न नहीं हुई। कश्मीर की स्थिति कुछ विशेष प्रकार की थी। यहां की जनसंख्या का बहुसंख्यक भाग मुस्लिम धर्म था, परंतु यहां का आनुवांशिक शासक एक हिंदू राजा था। अगस्त 1947 में कश्मीर के शासन ने अपने विलय के विषय में कोई तत्कालीन निर्णय नहीं लिया। पाकिस्तान इसे अपने साथ मिलाना चाहता था। 22 अक्टूबर, 1947 को उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत के कबालियों एवं अनेक पाकिस्तानियों ने कश्मीर पर आक्रमण कर दिया। पाकिस्तान ने भी अपनी सीमा पर सेना को तैनात कर दिया। 26 अक्टूबर को कश्मीर के शासक ने आक्रमणकारियों से अपने राज्य को बचाने के लिए भारत सरकार से सैनिक सहायता की मांग की और साथ ही कश्मीर को भारत में सम्मिलित करने की प्रार्थना भी की, भारत सरकार ने इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया।

27 अक्टूबर को भारतीय सेनाएं कश्मीर भेज दी गईं तथा युद्ध समाप्ति पर जनमत संग्रह की शर्त के साथ कश्मीर को भारत का अंग मान लिया गया। भारत कश्मीर की सुरक्षा के कारण और उधर पाकिस्तान द्वारा आक्रमणकारियों को सहायता देने की नीतियों के कारण कश्मीर दोनों राष्ट्रों के बीच युद्ध का क्षेत्र बन गया। स्वाधीनता प्राप्ति के पश्चात् से ही भारत चार युद्ध लड़ चुका है। ये सभी युद्ध उन परिस्थितियों में ही लड़े गए जब पड़ोसी देशों द्वारा उसकी भूमि

हथियाने को हमले किए गए, यद्यपि कुछ समय पश्चात् से कश्मीर में भारत विरोधी भावना उत्पन्न होने लगी थी, यही भावना आगे चलकर प्रबल एवं अति तीव्र होती चली गई जिसने पहले अलगाववाद एवं फिर आतंकवाद का रूप धारण कर लिया।

जम्मू कश्मीर में सक्रिय इस्लामी आतंकवाद– पिछले 15 वर्षों से भी अधिक समय से जम्मू कश्मीर में हिंसा व विनाशलीला का तांडव मचानेवाला आतंकवाद का सबसे खतरनाक और अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप इस्लामी या इस्लामिक आतंकवाद है। दीनानाथ मिश्र के अनुसार, ''सारी दुनिया में एक अरब से भी अधिक मुसलमान हैं। करीब पचास मुस्लिम देश हैं। अधिकांश मुस्लिम देशों में भी कट्टरतावादी इस्लामिक शक्तियों की गतिविधियां सामाजिक अशांति, असंतोष और संघर्ष का कारण बन रही हैं। अनेक सरकारें, यहां तक कि अनेक इस्लामिक सरकारें कट्टरतावादी इस्लाम की समस्या से जूझ रही हैं। इनमें टर्की और इण्डोनेशिया जैसे देश तो हैं ही, खाड़ी के देश भी हैं और भारत के पड़ोस में पाकिस्तान और बांग्लादेश जैसे देश हैं।''

दैनिक जागरण के मुख्य संपादक श्री नरेंद्र मोहन ने अपने एक लेख ''इस्लामी आतंकवाद से मुंह चुराती भारतीय राजनीति'' में लिखा है – ''अब इस बात से कोई इंकार नही कर सकता कि इस्लामी आतंकवाद विश्व के लिए एक बहुत बड़ा खतरा बन चुका है। यद्यपि इस आतंकवाद को विश्व के अनेक राष्ट्रों का सीधा समर्थन प्राप्त है, फिर भी विश्व के किसी भी मंच से इस्लामी आतंकवाद और कट्टरवाद की भर्त्सना नहीं की जा रही है। विश्व के मंचों से आतंकवाद की जो आलोचना हुई भी है उसमें इस्लामी आतंकवाद का नाम लेने से बचा गया है, जबकि सच यह है कि आज विश्व में जहां कहीं भी आतंकवाद है वह लगभग इस्लामी कट्टरवादियों की ही देन है। वर्तमान में विश्व में अनेक ऐसे इस्लामी संगठन हैं जो 'इस्लाम खतरे में है' का नारा लगाते हैं और इस्लाम के तथाकथित शत्रुओं को समाप्त करने के लिए जेहादी आंदोलन छेड़े हुए हैं।'' वैसे तो आतंकवादी संगठनों का जाल पूरे देश में फैला हुआ है पर वे विशेष रूप से जम्मू कश्मीर में कहर बरसा रहे हैं। अन्तर्राष्ट्रीय आतंकवाद के सरगना ओसामा बिन लादेन का कुख्यात आतंकी संगठन अल कायदा के अतिरिक्त लश्कर–ए–तय्यबा, जैश–ए–मौहम्मद, हिजबुल

मुजाहिदीन आदि आतंकी संगठन इस राज्य में सक्रिय हैं। हालांकि भारत में अभी अल कायदा की उपस्थिति बहुत बड़े स्तर पर सामने नहीं आई है फिर भी वह अपने पैर फैला रहा है इसीलिए केंद्र सरकार ने ओसामा बिल लादेन के 'अल कायदा' संगठन को आतंकवादी संगठन घोषित करते हुए उसे पोटा के तहत प्रतिबंधित कर दिया है। यह निर्णय तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है।

भारत का पड़ोसी देश पाकिस्तान आतंकवाद को खुला राजनीतिक और आर्थिक समर्थन देता आ रहा है। उसका उद्देश्य यही है कि नियंत्रण रेखा पर संघर्ष बना रहे। इसके पीछे पाकिस्तान के शासकों का यह मनोविज्ञान रहा है कि इसके माध्यम से उनके देश में राजनीतिक दबावों और विसंगतियों से छुटकारा मिल जाएगा। इसके लिए वह विभिन्न संघर्षों, छदम युद्धों, जघन्य हत्याकांडों और वीभत्स आतंकवादी गतिविधियों का संचालन करता आया है। कश्मीर मुद्दे को लेकर अनेक जघन्य हत्याएं करा चुका है। हजारों सैनिक भी मौत की नींद सो चुके हैं। वह निरंतर आतंकवादी गतिविधियों को अब भी जारी रखे हुए है।

अक्टूबर 1993 को श्रीनगर के हजरत बल दरगाह में आतंकवादियों का कब्जा, 1999 में आईसी–814 विमान का अपहरण, 1 अक्टूबर 2001 को जम्मू कश्मीर विधान सभा के बाहर विस्फोट, 3 नवम्बर 2001 को दक्षिण दिल्ली के शापिंग कॉम्पलैक्स अंसल प्लाजा में हमला, 13 दिसंबर, 2001 को भारतीय संसद पर हमला, मई 2002 को जम्मू के कालूचक्र में आतंकवादी हमला, 24 सितंबर 2002 को गुजरात के गांधीनगर के अक्षरधाम मंदिर में हमला, 25 अगस्त 2003 को मुंबई के ताज होटल के सामने और मुंबा देवी मंदिर के पास झावेरी बाजार में हुए दो शक्तिशाली विस्फोट, 7 मार्च, 2006 को काशी के प्रसिद्ध संकटमोचन मंदिर व कैंट रेलवे स्टेशन पर शक्तिशाली बम विस्फोट इन आतंकी कार्रवाइयों के कुछ उदाहरण हैं।

अतः आज धरती का स्वर्ग कहे जाने वाला कश्मीर बुरी तरह आतंकवाद की चपेट में है। भारत के इस राज्य में समय–समय पर आतंकवादी गतिविधियां चलती रहती हैं। यहां कई आतंकवादी संगठन सक्रिय हैं।

कश्मीर में सक्रिय आतंकवादी संगठन

कश्मीर करीब पिछले दस वर्षों से आतंकवाद की आग में जल रहा है। एक अनुमान के मुताबिक जम्मू–कश्मीर में आज डेढ़ सौ से भी अधिक आतंकवादी गिरोह सक्रिय हैं। कश्मीरी आतंकवादी गिरोह कश्मीर में तो सक्रिय हैं ही साथ ही कुछ यूरोपियन देशों, इस्लामिक मुल्कों और नेपाल जैसे देशों में भी इस्लामिक आतंकवादी सक्रिय हैं जो बाहर से बैठे हुए कश्मीर में हिंसा के नाच का लुत्फ उठाते हैं और यहां के दहशतगर्दों को हर तरह की सहायता उपलब्ध करवाते हैं। कश्मीर में सक्रिय सैकड़ों आतंकवादी गुटों मे से कुछ प्रमुख निम्नलिखित हैं :

हिजबुल मुजाहिदीन,
अल बदर, तहरीक–अल–मुजाहिदीन,
जम्मू–कश्मीर लिबरेशन फ्रंट,
हरकत उल अंसार (हरकत उल जेहाद ए इस्लामी),
लश्करे तोइबा, जैश–ए–मोहम्मद मुजाहिदीन ई तंजीम,
कश्मीर जेहाद फोर्स,
मुस्लिम जांबाज फोर्स,
पीपुल्स लीग,
जम्मू–कश्मीर नेशनल लिबरेशन आर्मी,
जमायते–उल–मुजाहिदीन,
अल बरक, अल जेहाद,
दख्तरन–ए–मिलैंट,
अल जेहाद फोर्स,
अल उमर मुजाहिदीन,
इस्लामी जमायते तोइबा,
जम्मू–कश्मीर स्टूडेंट,
इक्खवान उन मुजाहिदीन,
मुताहिदा जेहाद काउंसिल,
जमायते–उल–मुजाहिदीन,
इस्लामिक स्टूडेंट्स लीग,
तहरीक–ए–जेहाद,
तहरीक–ए–हुर्रियत–ए–कश्मीर,

तहरीक–ए–निफाज–ए–फिकार जफारी,
मुस्लिम मुजाहिदीन,
इस्लामी इंकलाबी महाज,
तहरीक–ए–जेहाद–ए–इस्लामी,
अल मुजाहिदी फोर्स,
तहरीक–ए–जेहाद–ए–इस्लामी,
तहरीक–उल–मुजाहिदीन,
अल–मुस्तफा लिबरेशन फाइटर्स आदि।

सक्रिय आतंकवादी गुटों में प्रमुख निम्न प्रकार से हैं –

अल–बदर मुजाहिदीन– करीब एक हजार सदस्यों के साथ अल–बदर कश्मीर घाटी का दूसरा सबसे बड़ा संगठन है। वर्ष 1998 में यह परिदृश्य में आया था। हालांकि उससे पहले यह हिजबुल मुजाहिदीन का ही एक हिस्सा था। यह कश्मीर घाटी का तीसरा सबसे बड़ा सक्रिय आतंकवादी संगठन है।

जैश–ए–मोहम्मद मुजाहिदीन–ए–तंजीम.....जैश–ए–मोहम्मद नामक यह खतरनाक आतंकवादी संगठन कश्मीर घाटी का सबसे नया आतंकी गुट है लेकिन आरंभिक काल में ही, बेहद कम समय में ही जैश–ए–मोहम्मद ने अपनी पाशविकता के कारण काफी प्रचार पा लिया है। आज जैश–ए–मोहम्मद घाटी में सक्रिय सबसे दुर्दांत दहशतगर्दों का गिरोह माना जाता है। इसकी स्थापना फरवरी सन् 2000 में कुख्यात आतंकवादी सरगना मौलाना मसूद अजहर ने की थी।

जैश–ए–मोहम्मद का संस्थापक मौलाना मसूद अजहर एक बेहद खूंखार और दुर्दांत हत्यारा है। दिसंबर 1999 में जब कुछ दहशतगर्दों ने एक भारतीय विमान का अपहरण कर उसे कंधार (अफगानिस्तान) ले गए थे तो अपहरणकर्ताओं ने यात्रियों की रिहाई के बदले भारतीय जेल में बंद मौलाना अजहर को छोड़ने की मांग ही रखी थी। मजबूर भारत सरकार को अजहर को छोड़ना पड़ा। इस विमान अपहरण कांड के लिए मौलाना मसूद अजहर के ही कुछ पिछलग्गू दहशतगर्द जिम्मेदार थे। श्रीनगर के बादामी बाग में 19 अप्रैल, 2000 को किए गए आत्मघाती हमले के लिए भी जैश–ए–मोहम्मद ही जिम्मेदार है। कराची निवासी मौलाना मसूद अजहर इस्लामी कट्टरपंथी है जो अपनी जहरीले भाषणों के लिए भी जाना जाता है।

मौलाना को असल बढ़ावा आई.एस.आई. ने ही दिया था ताकि उसका इस्तेमाल जम्मू–कश्मीर में कुछ खास उद्देश्यों की पूर्ति हेतु किया जा सके। मौलाना अजहर नब्बे के दशक के प्रमुख आतंकवादी गुट 'हरकत–उल–अंसार' का महासचिव भी रह चुका है। मौलाना को 1994 में श्रीनगर से भारतीय सुरक्षा बलों ने गिरफ्तार किया था और तभी से वह जेल में था। मौलाना की गिरफ्तारी के तुरंत बाद से मसूद समर्थकों ने उसे रिहा करवाने के कई प्रयास किए लेकिन उन्हें असफलता ही हाथ लगी लेकिन दिसंबर, 1999 में मसूद समर्थकों को उस समय सफलता मिल गई जब अपहृत विमान यात्रियों के एवज में मौलाना मसूद अजहर को भारत सरकार ने रिहा कर दिया। जेल से रिहा होने के बाद मसूद अजहर पाकिस्तान पहुंचा और उसने कश्मीर घाटी के आतंकवाद पर अपना वर्चस्व फिर से स्थापित करने की चेष्टा की। परंतु पाकिस्तान तथा अन्य कहीं से इसको कोई समर्थन प्राप्त नहीं हुआ।

चारों तरफ से मदद और समर्थन बंद हो जाने के बाद मसूद अजहर ने जैश–ए–मोहम्मद की स्थापना इस वादे के साथ की कि कश्मीर घाटी में हिंसा और आतंकवाद को ऊंचाइयों तक ले जाया जाएगा। अपनी स्थापना के बाद ही जैश–ए–मोहम्मद के आत्मघाती दस्ते ने श्रीनगर के बादामी बाग पर हमला किया। 23 अप्रैल, 2000 को हुए इस हमले में एक दहशतगर्द ने एक कार में विस्फोटक भरकर उसे सेना के स्थानीय मुख्यालय से टकरा दिया था जिसमें भारतीय सेना के कई जवान शहीद हो गए थे। वास्तव में यह जम्मू–कश्मीर सचिवालय पर ग्रेनेडों से हमला भी जैश–ए–मोहम्मद ने ही किया था। ताजा रिपोर्टों के अनुसार अब जैश–ए–मोहम्मद और हरकत–उल–मुजाहिद्दीन का परस्पर विलय हो चुका है।

हरकत–उल–अंसार ...जम्मू–कश्मीर में फिलहाल जो आतंकवादी संगठन सक्रिय हैं उनमें हरकत–उल–अंसार एक प्रमुख स्थान रखता है। इसके लडाकुओं की संख्या एक हजार से भी अधिक बताई जाती है और विशेष बात यह है कि इसके अधिकतर दहशतगर्द, भाड़े के विदेशी टट्टू हैं जो जेहाद के नाम पर कश्मीर में हिंसा का नंगा नाच खेल रहे हैं। इसी प्रकार लगभग 38 आतंकवादी संगठनों द्वारा मिलकर बनाया गया 'हुर्रियत कांफ्रेंस' नामक गिरोह भी कश्मीर में

आतंकी कार्रवाइयों में संलिप्त है। हुर्रियत कांफ्रेंस' नामक गिरोह भी कश्मीर में आतंकी कार्रवाइयों में संलिप्त है। हुर्रियत कांफ्रेंस को पाकिस्तान के अलावा कुछ अन्य मुस्लिम देशों से भी भरपूर सहायता मिलती है। जब हुर्रियत कांफ्रेंस ने राजनीतिक प्रक्रिया में भाग लेना शुरू किया तो पाकिस्तान ने एक दूसरा आतंकी संगठन 'अलफरान' के नाम से खड़ा कर दिया। अलफरान ने विदेशी पर्यटकों के अपहरण को वरीयता दी ताकि विश्व समुदाय का ध्यान कश्मीर की ओर खींचा जा सके। 1995 में अलफरान ने पांच विदेशी पर्यटकों को अगुआकर लिया और बाद में दहशतगर्दों ने नार्वे के एक पर्यटक की हत्या भी कर दी। उस समय यह अपहरण कांड काफी दिनों तक सारी दुनिया में चर्चा का विषय बना रहा था।

हिजबुल मुजाहिदीन – पाकिस्तान समर्थक आतंकवादी संगठन है। जम्मू कश्मीर जमायते इस्लामी का यह सशस्त्र विंग है। अधिकृत कश्मीर में सक्रिय जमाते इस्लामी द्वारा इसे समर्थन मिलता रहा था। यही संगठन इसे वित्तीय तथा अन्य प्रकार की सहायता मुहैया करवाता है। वर्ष 1989 से यह कश्मीर, विशेषकर श्रीनगर शहर में सक्रिय है। इसका मुखिया सितंबर, 1990 में श्रीनगर से आई.एस.आई. के निमंत्रण पर पाकिस्तान गया था और अक्टूबर 1991 में वापस श्रीनगर लौट आया था। लौटने के बाद आई.एस.आई. की योजना के अनुसार इसने लगभग डेढ़ दर्जन अन्य आतंकवादी गुटों को मिलाकर 'हिजबुल मुजाहिदीन' का गठन किया। इनमें मुस्लिम जांबाज फोर्स, पीपुल्स लीग, कश्मीर जेहाद फोर्स, मुहाजे आजादी, इखवान उल मुसलमीन, आपरेशन बालाकोट अल जेहाद फोर्स, जम्मू एंड कश्मीर लिबरेशन फ्रंट, पासदारानेक इस्लाम, अल मुस्तफा लिबरेशन फाइटर्स, तहरीक उल मुजाहिदीन आदि आतंकवादी गुट शामिल हैं। अब इसका मुख्य कार्यालय अधिकृत कश्मीर की राजधानी मुजफ्फराबाद में है। यह व्यक्ति कारगिल जाता रहा है। इसके लश्कर में अफगान और अरब भी शामिल हैं। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर और पाकिस्तान इसके लिए सभी जरूरी सुविधाएं व वित्त उपलब्ध कराते हैं। यह गुट 1989 से कश्मीर में सक्रिय है। इसके अधिकतर आतंकवादी कश्मीरी ही हैं। इसके अलावा इस संगठन में पाकिस्तानी, अफगानी और अरब नागरिक भी हैं। इसके आतंकवादियों को अफगानिस्तान में प्रशिक्षण

दिया जाता था परंतु अब तालिबान ने इस संगठन को वहां से खदेड़ दिया है।

हिज्ब–उल–मुजाहिदीन उस समय अधिक चर्चा में आया जब 24 जुलाई, 1994 को इसके चीफ कमांडर (आपरेशंस) अब्दुल मजीद डार ने कश्मीर में सीज–फायर करने के लिए सशर्त निमंत्रण एक संवाददाता सम्मेलन में दिया। बाद में यही निमंत्रण संगठन के सुप्रीमो सैय्यद सलाउददीन उर्फ पीर साहिब ने 25 जुलाई को इस्लामाबाद के एक संवाददाता सम्मेलन में दिया। अपनी शर्तों में मुजाहिदीन के चीफ कमांडर अब्दुल मजीर डार ने कहा कि मुजाहिदीनों के खिलाफ किसी प्रकार का कोई बल प्रयोग नहीं किया जाए, कश्मीर में मानवाधिकारों के उल्लंघन का अंत हो और विभिन्न राजनीतिक विचारधाराओं को माननेवाले कश्मीरियों को अभिव्यक्ति की आजादी दी जाए। हिज्ब–उल–मुजाहिदीन अर्थात् हिजबुल मुजाहिदीन के इस निमंत्रण को घाटी में सक्रिय अन्य आतंकवादी संगठनों ने सिरे से ठुकरा दिया।

हिजबुल मुजाहिदीन वास्तव में 'जमायत इस्लामी' नामक एक कट्टरपंथी संगठन का आतंकवादी संगठन है और इसकी स्थापना 1989 में की गई थी। शुरू में हिजबुल मुजाहिदीन का नाम 'अल–बदर' था लेकिन बाद में इसे वर्तमान नाम से जाना जाने लगा। जमायते इस्लामी ने हिजबुल मुजाहिदीन की स्थापना आई.एस.आई. के कहने पर की थी, क्योंकि जम्मू–कश्मीर लिबरेशन फ्रंट अपेक्षाकृत धर्मनिरपेक्ष था। अपनी स्थापना के बाद से ही हिजबुल मुजाहिदीन ने हिंसा फैलाने के काम में पूरी तरह से अपने आपको लगा लिया। उसने सैकड़ों मासूमों की हत्याएं कीं, अनेक महिलाओं के साथ बलात्कार किया और कई बम–विस्फोट किए।

इतिहास के पन्ने पलटने पर पता चलता है कि हिजबुल मुजाहिदीन को समय–समय पर कई झटके लगे लेकिन इसकी आतंकी कार्रवाइयों में कोई कमी नहीं आई। दिसंबर 1993 में इस संगठन के सुप्रीम चीफ मास्टर को सुरक्षाबलों ने गिरफ्तार कर लिया। वार्ता द्वारा आतंकवाद खत्म करने के लिए संगठन के एक पूर्व चीफ कमांडर शाह उर्फ इमरात राही ने दहशतगर्दी का रास्ता छोड़ दिया। इसी प्रकार वंधामा नरसंहार का एक अभियुक्त अब्दुल हमीद बट्ट सुरक्षा बलों के साथ एक मुठभेड़ में मार गिराया गया। हिजबुल

मुजाहिदीन ने लश्कर–ए–तोइबा के साथ मिलकर कई भयानक आतंकवादी कार्रवाइयां की जिनमें सैकड़ों लोग मारे गए।

लश्कर–ए–तोयबा– मरकजे दवा उल इरशाद का यह आतंकवादी संगठन है। इसका मुख्यालय पाकिस्तान के मुरीदके में है। कश्मीर के आतंकवाद में सक्रिय संगठनों में इसका नाम सबसे ऊपर आता है। कारगिल युद्ध में हिस्सा लेने के बाद इसका नाम चमका था। आत्मघाती हमलों में इसका बड़ा हाथ है। इस संगठन के सदस्यों ने लाल किले पर हमला किया था तथा प्रधानमंत्री कार्यालय को उड़ाने की धमकी भी दी थी। यह बहुत बड़ा आतंकवादी गुट है। इसका मुख्य कार्यालय निकट नगर मुरीदके में है। असद दुर्रानी दरअसल हरियाणा से शिमला में जाकर आबाद हुआ था और देश के विभाजन के बाद पाकिस्तान चला गया था। उसे जनरल जिया ने करोड़ों की जमीन दी, जिस पर उसने अलदावत अल अरशद नाम से इस्लामी विश्वविद्यालय का निर्माण किया। इस गुट के वार्षिक उत्सव में दुनिया भर के इस्लामी आतंकवादियों के गुटों के नेता शामिल होते हैं। इसका लक्ष्य यह है कि उप महाद्वीप सहित तमाम दुनिया में इस्लाम लागू किया जाए। इस गुट ने चेचन्या और बोस्निया की लड़ाइयों में अपने आतंकवादी भेजे। इसे कई इस्लामी देशों से बड़े पैमाने पर मदद मिलती है। कई रिटायर्ड जनरल इसके उत्सवों में शामिल होते हैं। उसने एक बयान में कहा कि काफिरों से लड़ाई में दुश्मनों को कैदी बनाकर न रखो बल्कि उनकी गर्दनें काटकर दुश्मन के कैंप में पहुंचा दो। इस गुट के अधीन दो हजार के लगभग स्कूल हैं। इस गुट ने सैयद सल्लाहुद्दीन के हिजबे मुजाहिदीन में अपने आपको शामिल कर रखा है। इसके आदमी पुंछ, अनंतनाग, बड़गाम और कुपवाड़ा में घुसे हुए हैं। इन्हीं ने बहुत से लोगों की हत्या की और हर बार यही प्रोपेगंडा किया कि ये हत्याएं भारत की सेना पाकिस्तान को बदनाम करने के लिए करा रही है। हाल ही में इस संगठन ने कश्मीर में अपनी गतिविधियां काफी बढ़ा दी हैं। कश्मीर में भारतीय सेनाओं के खिलाफ आत्मघाती हमले करने में भी यह गुट आगे रहा है। हर साल इसमें हजारों नए जेहादियों की भर्ती की जाती है। इसके नेता सईद खुलेआम भारत को तबाह करने की बात कहते हैं।

लश्कर–ए–तोइबा के आत्मघाती दस्ते (फिदाईन) में दो से पांच

सदस्य होते हैं जो अपनी शरीर से घातक गोला–बारूद या आर.डी. एक्स. बांधे रखते हैं। ये प्राणघातक फिदाईन किसी भी सुरक्षा बल के कैंप आदि पर हमला कर देते हैं। गैर मुस्लिमों के नरसंहार के लिए तोइबा के लड़ाके सुरक्षाबल की ड्रेस का प्रयोग करते हैं ताकि लोगों को भारतीय सुरक्षा बलों के खिलाफ भड़काया जा सके। लश्कर–ए–तोइबा के फिदाईन दस्ते ने सबसे पहला हमला 13 जुलाई 1999 को बारामूला जिले के बंदीपुर में स्थित सीमा सुरक्षा बल के आवासीय परिसर पर किया। इसके बाद 27 दिसंबर, 1999 को 'स्पेशल आपरेशन ग्रुप' के मुख्यालय पर हमला किया गया जिसमें 10 व्यक्ति मारे गए। इससे पहले तोइबा 4 सितंबर, 1999 को सीमा सुरक्षा बल के हंदवारा कैंप पर भी फिदाईन हमला कर चुका था। इसी प्रकार लश्कर–ए–तोइबा ने सुरक्ष बलों के वजीर बाग (श्रीनगर), मंधार (रजौरी) और महोर (ऊधमपुर) आदि कैंपों पर भी आत्मघाती हमले किए जिसमें कई लोग मारे गए।

30 दिसंबर, 1999 को लश्कर–ए–तोइबा का जम्मू कश्मीर चीफ अबु मुबाहा मारा गया लेकिन तोइबा की आत्मघाती वारदातों पर लगाम नहीं लग सकी। 20 मार्च, 2000 को छत्तीसपुरा का नरसंहार में सैकड़ों सिखों को खुलेआम काट डाला गया। यह नरसंहार भी लश्कर–ए–तोइबा ने ही हिजबुल मुजाहिदीन के साथ मिलकर किया था। यह नरसंहार तब किया गया था जब अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन की भारत यात्रा के दौरान लश्कर–ए–तोइबा ने 5 और नरसंहारों को अंजाम दिया जिनमें से दो–दो अनंतनाग और डोडा जिलों में और एक कुपवाड़ा जिले में हुआ। इन नरसंहारों में भी सैकड़ों हिंदू मारे गए। लश्कर–ए–तोइबा द्वारा घाटी में गैर–मुस्लिमों की सामूहिक हत्याएं करने से घाटी में सांप्रदायिक सौहार्द पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा।

गैर–मुस्लिमों की हत्याओं का दौर 1988 में तब शुरू हुआ जब वंधामा में 23 जनवरी को 23 लोगों को मार डाला गया। इसके बाद 19 जून, 1998 को डोडा में एक विवाह समारोह पर हमला कर 26 लोगों को मार डाला गया। नंधामा में लश्कर–ए–तोइबा द्वारा किए गए मौत के नंगे नाच की वीभत्सता इतनी अधिक थी कि इस नरसंहार में एक वर्ष तक के बच्चों तक को भी नहीं बख्शा गया। इस

आतंकवादी संगठन को उस समय गहरा धक्का लगा जब 28 मार्च, 2001 को इसकी डिवीजनल कमांडर सलाहुद्दीन को सुरक्षा बलों ने एक मुठभेड़ में मार गिराया लेकिन इसके बावजूद घाटी में लश्कर–ए–तोइबा की गतिविधियों में कोई कमी नहीं आई, निर्दोष लोगों की हत्याएं जारी रहीं, आम जन–जीवन ठप्प रहा।

लश्कर–ए–तोइबा ने कश्मीर में अपनी गतिविधियां 1993 में शुरू कीं। 1997 में जब नवाज शरीफ पाकिस्तान के दूसरी बार प्रधानमंत्री बने तो पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आई.एस.आई. (इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस) ने लश्कर–ए–तोइबा को अपनी वरीयता पर लिया और इसे भरपूर पैसा व हथियार देने शुरू किए। पाकिस्तान ने हमेशा इंकार किया है कि वह कश्मीर के आतंकवादियों को किसी प्रकार की कोई सहायता देता है लेकिन पाकिस्तान की कलई उस समय खुल गई जब पाकिस्तान के तत्कालीन सूचना मंत्री मुसाहिद हुसैन ने लाहौर के निकट लश्कर–ए–तोइबा के मुख्यालय का दौरा किया और आतंकवादियों की एक सभा को संबोधित किया। जब आई.एस.आई. ने कश्मीर घाटी के स्थान पर जम्मू क्षेत्र में अधिक आतंकवादी कार्रवाइयां करने का फैसला किया तो एक बार फिर आई.एस.आई. ने लश्कर–ए–तोइबा को ही चुना। राज्य के अल्पसंख्यक (हिंदू) जम्मू क्षेत्र में ही अधिक हैं इसलिए आई.एस.आई. व लश्कर–ए–तोइबा के जम्मू क्षेत्र को ही दहशतगर्दी के लिए चुना। यही कारण है कि 1997 के बाद जम्मू के सीमावर्ती क्षेत्रों विशेषकर पुंछ और डोडा जिलों में आतंकवादी कार्रवाइयों की बाढ़ सी आ गई।

चूंकि लश्कर–ए–तोइबा का मुख्यालय पाकिस्तानी पंजाब में स्थित है इसलिए इसके लड़ाकों के लिए जम्मू के आम लोगों में घुल–मिल जाना अपेक्षाकृत काफी आसान है। यही कारण है कि आई.एस.आई. लश्कर–ए–तोइबा को बेहद महत्व और वरीयता देती है। लश्कर–ए–तोइबा के लड़ाकुओं की एक खासियत यह है कि वे सुरक्षा बलों द्वारा पकड़ लिए जाने की अपेक्षा गोली खाकर मर जाना बेहतर समझते हैं। अपनी खूंखारता और पाशविकता के लिए भी लश्कर–ए–तोइबा अलग से जाना जाता है। अपने फिदाइनों (आत्मघातियों) की सहायता से लश्कर–ए–तोइबा ने सुरक्षा बलों पर भी कई हमले किए जिसमें सैकड़ों जवान मारे जा चुके हैं। कई ऐसी

घटनाएं भी सामने आई हैं जब लश्कर–ए–तोइबा ने हिजबुल मुजाहिदीन के साथ मिलकर आतंकवादी कार्रवाइयों को अंजाम दिया।

जमायते इस्लामी– यह एक अंतर्राष्ट्रीय गुट है जो विभिन्न देशों में विभिन्न नामों से काम कर रहा है इसने मिस्र के दो राष्ट्रपतियों की हत्या कराई। इंडोनेशिया में बगावत कराई। सीरिया की सरकार का तख्ता उलटा। पाकिस्तान में इसके ही एक अनुयायी ने लियाकत अली की हत्या कराई थी। दिल्ली में जमायते इस्लामी की हिमायत करनेवाले एक समाचार पत्र ने जिन्ना के जन्म दिवस पर एक विशेष–अंक प्रकाशित किया, जिसके पहले पृष्ठ पर जिन्ना की तस्वीर प्रकाशित करके संपादकीय में लिखा कि भारतीय मुसलमानों को एक और जिन्ना की आवश्यकता है।

अल्ला टाइगर – इस नाम से एक और आतंकवादी गुट काम करता है। इसने निर्देश दिया कि मुसलमान महिलाएं बुर्का पहनकर ही बाहल निकलें, नहीं तो उनके मकानों पर बम फेंके जाएंगे। बहुत कम लोगों को मालूम है कि आतंकवादी गुट कारगिल युद्ध से पांच वर्ष पहले से कारगिल में घुसपैठ करने का प्रयास कर रहे थे। पांच वर्ष पहले सुरक्षा बलों ने तलाल घाटी (द्रास सेक्टर) में 90 प्रशिक्षित आतंकवादियों को गिरफ्तार किया था। इनके कब्जे से 16 मशीनगनें, 168 क्लाश्निको राइफलें, 76 रिवाल्वर, 13 राकेट लांचर और 15 हजार कारतूस बरामद किए। झड़पों में 14 आतंकवादी मारे गए।

जमातुल मुजाहिदीन– 1990 में शेख अब्दुल ने इसका गठन किया जो एक छोटा और पाक समर्थक दल माना जाता है। अधिकतर सदस्य कश्मीर के नागरिक हैं। कुछ सदस्य पाकिस्तान तथा पाक अधिकृत कश्मीर के भी हैं। जनरल अब्दुल्लाह फरवरी 2000 में श्रीनगर की जेल से फरार हो गया था। यह भारत–पाक के बीच शांति प्रयासों का कट्टर विरोधी है।

हिज्बुल मोमिन– 1991 में ईरान के आंतकवादी शूजा अब्बास ने इसका गठन किया था। यह शिया आतंकवादी संगठन है। इसे शिया समुदाय का समर्थन प्राप्त है।

अल फतह फोर्स– इसका कश्मीर में ज्यादा प्रभाव नहीं है। 1994 में जेहाद फोर्स तथा अल जिहाद को मिलाकर इसका गठन हुआ था। इस पाक समर्थक आतंकवादी संगठन का नेतृत्व एजाजूर

रहमान द्वारा किया जा रहा है जो कश्मीर पीपुल्स लीग का एक हिस्सा है।

अल उमर मुजाहिदीन– 1989 में गठित छोटा आतंकवादी संगठन है। हुर्रियत कांफ्रेंस के पूर्व अध्यक्ष मीरवायज उमर फारूक के नेतृत्व वाली आवामी एक्शन कमेटी का यह आतंकवादी विंग है। इसका नेता लतीफ उल हक है। श्रीनगर में इसका प्रभाव था, लेकिन 1992 में इसके नेता तथा संस्थापक अहमद जरगर की गिरफ्तारी के साथ ही इसका प्रभाव कम होना शुरू हो गया था।

हिजबुल्लाह– जम्मू कश्मीर मुस्लिम लीग का यह सशस्त्र विंग है। पाकिस्तान की मुस्लिम लीग के साथ इसका कोई संबंध नहीं है। पूरी तरह से स्थानीय आतंकवादी संगठन है।

तहरीकुल मुजाहिदीन– 1990 में सामने आए इस संगठन का वास्ता अहले हदीत से है। इसमें कश्मीरी तथा पाकिस्तानी शामिल हैं। छोटा संगठन है लेकिन तेज बहुत है और आजादी के संघर्ष में कई बार नाम कमा चुका है।

जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट– कश्मीर में सशस्त्र आतंकवाद की शुरुआत करने वाला यही संगठन है। 31 जुलाई, 1988 को श्रीनगर में क्रमवार विस्फोट कर इसी ने आजादी के संघर्ष का ऐलान किया था। 1978 में अमानुल्लाह खान ने इसका गठन किया था लेकिन बाद में कश्मीरी तथा पाकिस्तानी नेताओं में मतभेद पैदा हो जाने के कारण दो फाड़ हो गया। एक गुट की कमान अमानुल्ला खान के हाथों में है तो दूसरे गुट का नेतृत्व यासीन मलिक कर रहा है। इन दोनों गुटों का ही जन्म 'जम्मू–कश्मीर नेशनल लिबरेशन फ्रंट से हुआ था। जम्मू–कश्मीर लिबरेशन फ्रंट की स्थापना मई, 1977 में अमानुल्ला खान द्वारा ब्रिटेन में की गई थी। इस संगठन को पाक अधिकृत कश्मीर के मीरपुर समुदाय से पूरा समर्थन मिलता है। यासीन मलिक वाले जम्मू–कश्मीर लिबरेशन फ्रंट की स्थापना सितंबर, 1995 में की गई थी। पहले यासीन मलिक भी अमानुल्ला खान के ही साथ था लेकिन उससे वैचारिक मतभेद हो जाने के बाद उसने अपना एक अलग गुट बना लिया।

अमानुल्ला खान और यासीन मलिक दोनों का ही एक लक्ष्य है–

जम्मू कश्मीर के लोगों को अपने भविष्य का स्वयं निर्धारण करने देने का। दोनों ही गुट मानते हैं कि जम्मू–कश्मीर की किस्मत का फैसला यहां के लोग ही कर सकते हैं। चूंकि दोनों ही कश्मीर के पाकिस्तान में विलय का विरोध करते हैं इसलिए पाकिस्तान सरकार और आई. एस.आई. दोनों की ही आंखों की किरकिरी जम्मू–कश्मीर लिबरेशन फ्रंट बना हुआ है। यासीन मलिक अपेक्षाकृत शांतिप्रिय है और वह अहिंसात्मक तरीकों से अपना लक्ष्य पाना चाहता है। इसके लिए वह पाकिस्तान और भारत में जनजागरण का काम कर रहा है। फिलहाल यासीन मलिक के नेतृत्व वाला जे.के.एल.एफ 'ऑल पार्टी हुर्रियत कांफ्रेंस' का एक घटक है। मार्च, 2002 में यासीन मलिक को 'पोटो' के तहत गिरफ्तार कर लिया गया था।

1995 के बाद जे.के.एल.एफ. के कई कद्दावर आतंकवादी नेता जैसे शब्बीर सिद्दीकी आदि विभिन्न घटनाओं में मारे गए जिस कारण अमानुल्ला गुट एकदम से नेतृत्वविहीन हो गया। फिलहाल जे.के.एल. एफ का यासीन मलिक गुट ही शेष है जो केवल हुर्रियत कांफ्रेंस के एक घटक के रूप में ही अस्तित्व में है। आजकल जे.के.एल.एफ. आतंकवादी गतिविधियां बंद कर राजनीतिक मंच पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराने की कोशिश कर रहा है।

मुस्लिम जांबाज फोर्स – 1990 में सामने आया और सिर्फ कश्मीरियों को ही भर्ती किया। कभी बहुत देर तक खबरों में रहा था। पीपुल्स डेमोक्रेटिक फ्रंट का यह आतंकवादी गुट है जिसके नेता शब्बीर शाह हैं।

अलबदर– यह एक और मजबूत आतंकवादी गुट है। इसके मुख्य नेता उमर इंकलाबी, अरशद इकबाल और अबू हारीस हैं। इस गुट ने अफगानिस्तान के गृह युद्ध में भी सक्रिय हिस्सा लिया था। इसके सदस्यों को पाकिस्तानी सैनिक अधिकारी आधुनिक हथियारों के इस्तेमाल के लिए प्रशिक्षण देते हैं। एक समय पाकिस्तान की इंटरसर्विसेज इंटेलीजेंस का महानिदेशक जनरल असद दुरानी इन गुटों की भी निगरानी करता था। अब वह रिटायर होकर खामोश हो गया है, क्योंकि उसे डर है कि मियां साहिब उसे किसी मुसीबत में डाल देंगे। दुरानी ने एक अदालत में बयान दिया था कि उसने मियां साहिब को चुनाव में विजय प्राप्त करने के लिए कई करोड़ रूपए दिए थे।

अल बरक मुजाहिदीन – यह पीपुल्स कांफ्रेंस का आतंकवादी संगठन है। 1990 के मार्च महीने में इसका गठन हुआ था। इसके सदस्यों में अधिकतर ग्रामीण क्षेत्रों के युवकों को भर्ती किया जाता है।

हरकत उल मुजाहिदीन– कश्मीर में सक्रिय खतरनाक दलों में से यह एक माना जाता है। इसका पुराना नाम हरकत उल अंसार है। इसने नाम इसलिए बदला, क्योंकि 1995 में विदेशी पर्यटकों के अपहरण के उपरांत अमेरिका ने हरकत उल अंसार पर प्रतिबंध लागू कर दिया था। वैसे 1993 में भी हरकत उल अंसार का जन्म हुआ था जो कुछ समय के उपरांत खो गया था। हरकते–जिहादे इस्लामी तथा हरकत उल मुजाहिदीन के सदस्यों ने मिलकर ही इस संगठन को खड़ा किया है। आतंकवाद का पर्याय बन गए इस संगठन को कई पश्चिमी देश निशाना बनाने की ठान चुके हैं। 1995 में जब अमेरिका ने हरकत–उल–अंसार को आतंकवादी संगठन घोषित किया तो उसने अपना नाम बदलकर हरकत–उल–मुजाहिदीन रख लिया। अमेरिका ने पांच विदेशी नागरिकों के अपहरण के बाद इस संगठन के विरुद्ध प्रतिबंध की कार्रवाई की थी। हरकत–उल–अंसार 1993 में दो आतंकी गुटों हरकत–ए–जिहाद–ए–इस्लामी और हरकत–उल–मुजाहिदीन से मिलकर बना था।

वर्तमान में यह संगठन फारूक कश्मीरी के नेतृत्व में बहुत प्रभावी तरीके से जेहाद छेड़े हुए है। अफगानिस्तान युद्ध में सक्रिय भूमिका निभाने के बाद यह संगठन कश्मीर में जेहाद के नाम पर सक्रिय है। इस संगठन को तालिबान की ओर से आर्थिक सहायता के अलावा बड़े पैमाने पर हथियारों की आपूर्ति की जाती है। संगठन द्वारा मौलाना मसूद अजहर को छुड़वाने के लिए इंडियन एयर लाइंस के विमान का अपहरण किया गया था और उसे कंधार ले जाया गया था।

तहरीक – जेहाद – वर्ष 1997 में मार्च महीने में इसका पदार्पण हुआ। अल–बर्क तथा अंसार–उल–हक जैसे संगठनों से मिलकर यह बना था। मुस्लिम कांफ्रेंस का यह सशस्त्र विंग कहलाता है। इस संगठन में पाकिस्तानी सेना के कई रिटायर सैनिक भी शामिल हैं तथा इनमें से अधिकतर कारगिल संघर्ष में भी शामिल थे। इस संगठन का मकसद कश्मीर को भारत से छीनकर पाकिस्तान में मिलाने का है।

हरकत–ए–जेहाद–ए–इस्लामी– यह आतंकी संगठन काफी

लम्बे समय से आतंकवादी गतिविधियों में लिप्त है। हरकत–ए–इंकलाब–ए–इस्लामी के नाम से पहले इसकी गतिविधियां मौलाना नसरूल्ला के हाथों अफगानिस्तान से संचालित होती थी परंतु अफगान युद्ध के बाद इस संगठन ने कश्मीर की ओर रुख किया है। 1993 में इस संगठन का हरकत–उल–मुजाहिदीन भी हरकत–उल–अंसार में मिल गया और इसका संचालन अली अकबर के हाथ में आ गया था।

कश्मीर में आतंकवाद की समस्या से निपटने के लिए समय–समय पर वार्ताएं चलती रहती हैं। 2004 से संगठन के नरमपंथी धड़े के साथ सरकार की बातचीत कभी जारी रहती है, तो कभी बंद हो जाती है। यह संगठन कश्मीरियों के आत्मनिर्णय के अधिकार की मांग कर रहा है। 2006 में संगठन की ओर से प्रधानमंत्री की गोलमेज सम्मेलन का बहिष्कार करने के बाद से वार्ता ठप्प पड़ी है। सितंबर 2009 से वार्ता दोबारा शुरू हुई है।

पिछले कुछ समय श्रीनगर समेत कई शहर कर्फ्यू की चपेट में रहे। जिस रमजान और ईद में घाटी में शांति लौटने की उम्मीद की जा रही थी उसी ईद की नमाज के बाद अलगावादी ताकतों के द्वारा नौजवानों को हिंसा के लिए ललकार दिया गया तथा ''लाल चौक चलो'' का आह्वान किया गया। इस आहवान के बाद निकले नौजवानों ने अपराध शाखा के दफ्तर हजरत बल दरगाह के पास की पुलिस चौकी ओर अनेक सरकारी इमारतों को आग के हवाले कर दिया। इस आगजनी और लूटमार के बाद रविवार दस सितंबर को शहर में कर्फ्यू लगा दिया गया। इसके बाद हिंसा घाटी के अन्य शहरों में भी फैल गई। बीते तीन–चार महीनों से कश्मीर घाटी में हिंसा की एक श्रंखला सी बनती गई है और पांच दर्जन से ज्यादा नौजवान मारे गए हैं। सच कहा जाए तो मारे गए किशोरों – नौजवानों को भी नहीं मालूम कि वास्तव में उनका आंदोलन क्या है। उनकी मांगें क्या हैं। उनकी हिंसा का जवाब जब सुरक्षा बलों द्वारा दिया जाता है तो हिंसा का यह क्रम आगे ही बढ़ता जाता है। वर्तमान में घाटी में हिंसा का दौर अलगाववादियों द्वारा बहुत ही व्यवस्थित ढंग से आरंभ किया गया है। इस बार अलगाववादी स्वयं पीछे रहकर महिलाओं व किशोरों को आग में झोंकना उनकी रणनीति है, क्योंकि

महिला या किशोर की मौत लोगों में ज्यादा गुस्सा लाती है जिससे लोगों में सरकार के खिलाफ क्रोध की भावना बढती जाती है पर दूसरी तरफ अलगाववादियों की सफलता व लोकतांत्रिक ढंग से चुनी गई सरकार की विफलता एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। इस सबके बीच आम व्यक्ति सफर कर रहा है। सेब की रिकार्ड पैदावार करके बागवान रो रहे हैं क्योंकि उनका माल नहीं निकल पा रहा है। लंबे समय तक कर्फ्यू लगने से बच्चों की पढ़ाई ठप्प पड़ी है, जो व्यक्ति आर्थिक दृष्टि से सक्षम है उनके बच्चे दिल्ली या अन्य शहरों में आकर अपनी पढ़ाई पूरी कर रहे हैं परंतु दूसरी तरफ आम व्यक्ति इस सबके बीच पिस रहा है। बेरोजगार युवकों को अलगाववादी संगठन अपने हितों के लिए प्रयोग कर रहे हैं। रोजगार के अभाव में तथा आर्थिक तंगी के कारण बेरोजगार युवक इन संगठनों से थोड़े से धन की खातिर जुड़ जाते हैं। राज्य के नेता अपने में मगन हैं और बेरोजगार नौजवान पिटने और पीटने को मजबूर हैं तथा स्वयं इसमें हिंसा का शिकार हो रहे हैं। जिसके परिणाम स्वरूप पिछले कुछ महीनों के अंतराल पर कई दर्जन नौजवान हिंसा के दौरान मारे जा चुके हैं।

पिछले कुछ माह से अशांत चल रहे कश्मीर में स्थिति को सुधारने के लिए सरकार ने ऐतिहासिक पहल करते हुए दिनांक 26.09.2010 को एक नया आठ सूत्रीय फार्मूला पेश किया। इसके तहत पत्थरबाजी के इल्जाम में बंद युवाओं को रिहा करने, बातचीत पटरी पर लौटाने के लिए वार्ताकारों की नई टीम नियुक्त करने और घाटी में बंकर और चैक प्वाइंटस की संख्या घटाने जैसे कदम उठाए जाएंगे। सरकार ने हिंसा से गड़बड़ाई शैक्षणिक गतिविधियों को सुधारने के लिए सौ करोड़ रूपये की अतिरिक्त मदद की घोषणा की। साथ ही जून से अब तक प्रदर्शनों में मारे गए लोगों के परिजनों को पांच–पांच लाख रुपए की आर्थिक सहायता का भी ऐलान किया है। केंद्र ने राज्य सरकार को उन सभी युवाओं को छोड़ने के लिए कहा जो पत्थरबाजी के आरोप में पकड़े गए हैं। साथ ही जन सुरक्षा कानून (पी.एस.ए.) के तहत पकड़े गए लोगों को भी रिहा करने और आरोपों से बरी करने को कहा गया है।

वर्तमान संदर्भों में अलगाववादियों ने यह महसूस कर लिया है कि न तो परंपरागत युद्ध और न ही आतंकवाद कश्मीर को भारत से

अलग कर सकता है। इसी कारण आतंकवादियों ने अब भीड़ की हिंसा को अपना हथियार बनाया है। हिंसा ही अब उनकी रणनीति है। उन्हें मालूम है कि हिंसा भड़कने पर सुरक्षा कार्रवाई होती है, जिसमें लोग मारे जाते हैं या घायल होते हैं। अलगाववादियों का ख्याल है कि इस तरह की स्थितियां उत्पन्न कर वे लोगों को भारत के खिलाफ भड़काने में सफल हो जाएंगे क्योंकि शांत कश्मीर में अलगाववादी नेता अप्रासंगिक हो जाते है।6

पूर्वोत्तर भारत– नगालैण्ड, मिजोरम, त्रिपुरा, मणिपुर, पश्चिमी बंगाल का दार्जिलिंग क्षेत्र और असम काफी समय से पृथकवादी हिंसा से संत्रस्त रहे हैं। अनेक अलगाववादी संगठन वहां अभी भी सक्रिय हैं।

त्रिपुरा में 1980 के मध्य भारी अशांति एवं रक्तपात हुआ। त्रिपुरा एक शांत और आपस में मिल–जुलकर रहनेवाला आदिवासी क्षेत्र रहा है। लेकिन यहां अलगाववादी समस्या को पैदा करने वाले बीज 1939 में उस समय पड़ने शुरू हो गए थे जब संयुक्त बंगाल में हुए सांप्रदायिक दंगों के बाद काफी बडी संख्या में बंगाली शरणार्थी यहां आकर बसने लगे। 1939 में ढाका में होने वाला यह सांप्रदायिक दंगा त्रिपुरा के सामाजिक संतुलन को बिगाड़ने का कारण बना। अपने घर–बार छोड़कर तथा लुट–पीटकर आए इन बंगाली शरणार्थियों के प्रति आरंभ में त्रिपुरा के मूल निवासियों को हमदर्दी हुई। मुसीबत के मारे अपने बंगाली भाइयों को उन्होंने प्रेम के साथ गले लगाया। बंगालियों को बसने के लिए भूमि दी व अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराईं, 1946 व 1947 में फिर सांप्रदायिक दंगे भड़क उठे। फिर से बहुत बड़ी संख्या में बंगाली शरणार्थियों ने त्रिपुरा में आना आरंभ किया। इसका परिणाम यह हुआ कि इस छोटे से प्रदेश की जनसंख्या कई गुना बढ़ गई और इस प्रकार उसका आर्थिक ढांचा चरमराने लगा। इस स्थिति में भुखमरी और बेरोजगारी फैलने लगी। त्रिपुरा के मूल निवासियों से जमीन छिन जाने के कारण जो बेरोजगारी फैली उसने असंतोष पैदा कर दिया। बंगाली खेती–बाड़ी और जमीन पर ही नहीं बाजार और व्यवसाय पर अपना कब्जा जमा चुके थे। असंतोष उभरा तो वह मुखर भी हुआ। आदिवासियों ने त्रिपुरा उपजाति युवा समिति (टी.यू.जे.एस.) नाम से अपना एक अलग संगठन बनाया तो बंगाली शरणार्थियों ने

भी जवाब में अपना एक संगठन अमरा बंगाल के नाम से बनाया। इस तरह दोंनों संगठनों के बीच हिंसक मुठभेड़ तथा भारी मार–काट शुरू हो गई और आतंकवादी गतिविधियां बढ़ती गईं।

इस प्रकार त्रिपुरा रक्तपात का मैदान बन गया, हिंसा बढ़ी व क्षेत्र में अशांति फैली। यह भी स्पष्ट दिखाई दे रहा था कि त्रिपुरा को 1946 से पहली वाली स्थिति में लौटाकर ले जाना कठिन था परंतु सैनिक शक्ति तथा कड़े प्रशासनिक उपायों के बाद त्रिपुरा की बिगड़ती स्थिति पर काबू पा लिया गया परंतु बाहरी आजादी के दबाव और उसके परिणामस्वरूप उत्पन्न आर्थिक संतुलन से पैदा हुई समस्या से आंखें नहीं मूंदी जा सकीं, क्योंकि यही असंतोष हिंसा को जन्म देता है एवं हिंसा आतंकवाद को। अतः स्पष्ट है कि प्रशासनिक कुशलता के साथ और राजनीतिक कौशलों से काम नहीं लिया जाता है तो अच्छे परिणामों की आशा कम होती है। अभी त्रिपुरा में स्थिति सामान्य है लेकिन आग अभी पूरी तरह से बुझी नहीं है। निम्नलिखित अतिवादी संगठन आज भी त्रिपुरा में सक्रिय हैं जो कभी भी वहां की शांति को खतरा पैदा कर सकते हैं:

- त्रिपुरा डिफेंस फोर्स,
- त्रिपुरा लिबरेशन फोर्स,
- नेशनल लिबरेशन फ्रंट ऑफ त्रिपुरा,
- युनाइटेड बंगाली लिबरेशन फ्रंट,
- त्रिपुरा लिबरेशन आर्गेनाइजेशन, फ्रंट,

ऑल त्रिपुरा टाइगर फोर्स,
त्रिपुरा ट्राइबल यूथ फोर्स, त्रिपुरा,
ट्राइबल डेमोक्रेटिक फोर्स, त्रिपुरा
आर्म्ड ट्राइबल कमांडो फोर्स, त्रिपुरा
ट्राइबल वालंटीयर फोर्स, ऑल त्रिपुरा
वालंटीयर फोर्स, ट्राइबल कमांडो फोर्स, त्रिपुरा
ट्राइबल एक्शन कमेटी फोर्स, त्रिपुरा
मुक्ति पुलिस, टाइगर कमांडो फोर्स, ऑल त्रिपुरा
नेशनल फोर्स, सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट त्रिपुरा,
त्रिपुरा राज्य सुरक्षा वाहिनी, त्रिपुरा
स्टेट वालंटीयर्स, नेशनल मिलिशिया ऑफ त्रिपुरा,

ऑल त्रिपुरा बंगाली रेजीमेंट, बंग्ला मुक्ति सेना, त्रिपुरा
नेशनल आर्मी तथा बराक नेशनल काउंसिल ऑफ त्रिपुरा।

नगालैंड में नगा विद्रोहियों का लक्ष्य है, एक स्वतंत्र नगालैंड की स्थापना जिसमें वे न सिर्फ नगालैण्ड राज्य का समूचा क्षेत्र चाहते हैं बल्कि आस–पास के क्षेत्रों जैसे मणिपुर और यहां तक कि म्यांमार को भी शामिल करना चाहते हैं। जहां नगा जाति के लोग बसे हुए हैं। जब भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का अंत हुआ तो उसके बाद ही आगामी जापू फीजों ने भारत सरकार के विद्रोह का झंडा गाड़ दिया था। चीन और पाकिस्तान के पूर्वी भाग (जो आजकल बांग्लादेश है) दोनों ने भारत में अस्थिरता उत्पन्न करने के इरादे से नगा विद्रोहियों को आर्थिक सहायता प्रदान की। संघर्ष चला लेकिन भारत सरकार का विद्रोहियों पर दबाव बढ़ने की स्थिति में श्री फीजों भारत से पलायन कर ब्रिटेन चले गए और 11 नवंबर, 1975 को उन्होंने भारत सरकार द्वारा आम क्षमादान की पेशकश की जिसे स्वीकार कर लिया गया। इस पर भी कुछ ऐसे चरम पंथी थे जिन्होंने समर्पण करने से इंकार कर दिया और उन्होंने नेशनल सोशलिस्ट कौंसिल ऑफ नगालैंड (एन.एस. सी.एन) का गठनकर लिया। इन चरमपंथियों ने तब से लेकर उन लोगों को अपनी बंदूक पर निशाना बनाना जारी रखा है जो शांतिपूर्ण ढंग से विवाद का समाधान करने की वकालत कर रहे थे। इस चरमपंथी संगठन 1986 और 1987 में उखरूल जिले में सेना और सुरक्षा बलों पर 15 बार हमले किए 80 से अधिक अधिकारियों और सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया गया। आतंकवादी घटनाएं जारी रहीं, भारत से अलग होने का अभियान नहीं रुका।

नगालैंड राज्य में विद्रोह को सीमा पार से प्रोत्साहन मिलता रहा। म्यांमार और बांग्लादेश इस संगठन के सक्रिय सदस्यों के लिए छिपने के सुरक्षित स्थान रहे हैं। वर्ष 2001 के शुरू में एन.एस.सी.एन. (आईजक मुईवा) के बीच संघर्ष विराम समझौते को कारगर बनाने के लिए नए नियमों पर सहमति हुई लेकिन यह संगठन वृहत नगालैंड की मांग पर अड़ा हुआ है। कुछ और कारणों के अतिरिक्त सरकारी भ्रष्टाचार भी नगालैण्ड के आतंकवाद का एक बड़ा कारण रहा है। नगालैंड के विकास के लिए केंद्र सरकार ने करोड़ों रुपए स्वीकृत किए किंतु एक सर्वेक्षण के अनुसार काले धन का केवल 30 प्रतिशत ही

नगालैंड के विकास कार्यों में लगा शेष धन सरकारी मशीनरी के द्वारा नीचे तक नहीं पहुंचने दिया गया तथा धन के 70 प्रतिशत भाग का अपव्यय हो गया।

अतः नगालैंड में आतंकवाद उत्पन्न होने का यह भी महत्वपूर्ण कारण है कि नगालैंड में कुछ ऐसे कारण भी पैदा हुए जिनसे नगाओं को यह अहसास हुआ कि भारत के साथ रहते हुए उनका आवश्यक एवं संतोषजनक विकास नहीं हो पाएगा। इसी स्थिति में नगाओं ने आजादी प्राप्त करने के लिए संघर्ष शुरू कर दिया। जिसके फलस्वरूप नगाओं में अलगाव की भावना बलवती होती गई। नगा विरोधियों के नेता फीजों तथा उनके चीनी अनुयायियों ने यह भ्रम पैदा किया कि वह भारत की सैनिक शक्ति को पराजित करके एक ना एक दिन स्वतंत्र हो सकते हैं। अतः इसी विचारधारा के अनुरूप नगा विद्रोहियों के जत्थों ने भारी आतंक फैलाया एवं हत्याएं तथा अन्य हिंसक वारदातें कीं जिससे राज्य में चारों और अशांति एवं भय का वातावरण बन गया।

एनएससीएन (आई–एम) के साथ 1997 में वार्ता शुरू हुई थी, लेकिन नगालिम बनाए जाने और आस–पास के राज्यों के नगा बहुल क्षेत्रों को उसमें शामिल किए जाने की संगठन की मांग के चलते उसमें गतिरोध आ गया है। मणिपुर में तीन दशकों से भी अधिक समय से आतंकवाद की भयावहता बनी हुई है। मुख्य रूप से दो अलगाववादी सशस्त्र संगठन यहां सक्रिय रहे हैं, दोनों ही माओवादी संगठन हैं और उनके नामों से ही स्पष्ट है कि उनका उद्देश्य भारत की एकता को चुनौती देते हुए अपनी अलग पहचान कायम करना है। एक आतंकवादी संगठन कहलाता है पीपुल्स लिबरेशन आर्मी (पी.एल.ए.) और दूसरा पीपुल्स आर्मी ऑफ कांगलेईपाक (प्रेपाक)। दोनों में अन्तर यह है कि प्रेपाक मणिपुर के मूलवासी 'मेटार्स' की अलग पहचान के लिए संघर्षरत है और पी.एल.ए. का सीधा लक्ष्य है। पूर्वोत्तर भारत की स्वतंत्रता। एक अन्य संगठन है आर.के. मेधन का यूनाईटिड लिबरेशन फ्रंट (यू.एस.एल.एफ.) पूर्व चर्चित आतंकवादी धड़े हैं, लेकिन यू.एन.एल. एफ. ने प्रत्यक्ष हिंसा का मार्ग नहीं अपनाया है इसकी रणनीति चीन की सैनिक सहायता से मणिपुर को स्वतंत्र कराने की है। मेघन और उसके समर्थक म्यांमार के वन्य प्रदेशों में छिपते हुए सही अवसर की

प्रतीक्षा में रहे हैं। इस भारतीय राज्य में कुल मिलाकर 35 आतंकवादी दल सक्रिय हैं जिनमें कुछ इस्लामी आतंकवादी संगठन भी है जो 1990 के दशक के पूर्वार्ध में मणिपुर में उभरे, इनमें उल्लेखनीय नाम हैं, यूनाईटिड इस्लामिक लिबरेशन आर्मी, पीपुल्स यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट, नोर्थ ईस्ट माइनोरिटी फ्रंट और इस्लामिक नेशनल फ्रंट।

उत्तर–पूर्व का एक और राज्य मणिपुर भी अपने जन्म के समय से ही हमेशा अशांत रहा है। यहां मुख्य संघर्ष नगा और कुकी कबीलों के बीच है। मणिपुर को स्वतंत्र राज्य बनाने की मांग तो कभी गंभीरता से नहीं उठी है लेकिन नगा–कुकी संघर्ष मणिपुर में हजारों निर्दोष लोगों की जिंदगियां लील चुका है। वर्ष 2000 में मणिपुर राज्य में हुई आतंकवादी घटनाओं में 237 लोग मारे गए थे। उस वर्ष राज्य में राजनीतिक अस्थिरता का भी वातावरण रहा है। इसके साथ ही केंद्र सरकार ने पुष्ट प्रमाण प्रस्तुत किए कि राज्य के राजनीतिज्ञों और आतंकवादी दलों के बीच तालमेल या साठगांठ है।

मणिपुर में यदि, आतंकवादी प्रेरित हिंसा की घटनाओं की गुणनात्मक तुलना की जाए तो प्राप्त जानकारी के अध्ययन के आधार पर वर्ष 2000 में 243 आतंकवादी हमले हुए। वर्ष 1999 में यह संख्या 231 थी। सुरक्षा बलों के 1999 में 64 सदस्य मारे गए थे जबकि वर्ष 2000 में यह संख्या घटकर 50 हुई। वर्ष 2000 में मारे गए आतंकवादियों की संख्या 1999 में मारे गए आतंकवादियों की संख्या 78 से बढ़कर 100 तक पहुंच गई। वर्ष 2000 में कुल मिलाकर 117 आतंकवादी गिरफ्तार किए गए। मणिपुर में अभी भी निम्नलिखित आतंकवादी संगठन काम कर रहे हैं:

युनाइटेड नेशनल लिबरेशन फ्रंट,
पीपुल्स रिवोल्यूशनरी पार्टी ऑफ कांगलीपक,
पीपुल्स लिबरेशन आर्मी,
कुकी नेशनल फ्रंट,
कुकी नेशनल आर्मी,
कुकी इंडीपेंडेंट आर्मी,
कुकी डिफेंस फोर्स,
कुकी इंटरनेशनल फोर्स,
कुकी नेशनल वालन्टीयर्स,

कुकी लिबरेशन फ्रंट,
कुकी सिक्योरिटी फोर्स,
मणिपुर लिबरेशन टाईगर आर्मी,
पीपुल्स रिपब्लिकन आर्मी,
रिवोल्यूशनरी जाइंट कमेटी,
पीपुल्स युनाइटेड लिबरेशन फ्रंट,
नार्थ–ईस्ट माइनॉरटी फ्रंट,
इस्लामिक नेशनल फ्रंट,
इस्लामिक रिवोल्युशनरी फ्रंट,
युनाइटेड इस्लामिक लिबरेशन आर्मी,
युनाइटेड इस्लामिक रिवोल्यूशनरी आर्मी,
युनाइटेड कुकी लिबरेशन फ्रंट,
हमार पीपुल्स कंवेंशन,
जोमी रिवोल्युशनरी आर्मी,
जोमी रिवोल्यूशनरी वालन्टीयर,
इंडीजिनस पीपुल्स रिवोल्ट,
चिन कुकी रिवोल्युशनरी फोर्स।

अतः उपरोक्त इन आंकड़ों के आधार पर यह निष्कर्ष निकल कर सामने आता है कि आतंकवाद के विरुद्ध किए गए संघर्ष में सफलता न के बराबर ही है एवं इससे यह भी सिद्ध होता है कि केन्द्र के परिप्रेक्ष्य में पूर्वोत्तर भारत के मणिपुर राज्य में स्थितियां उनके नियंत्रण से बाहर हैं। मणिपुर में राज्य प्रशासन की असहायता के कारण, राज्य में विकास कार्य ठप्प रहे हैं और आतंकवाद के विरुद्ध लड़ने की क्षमता क्षतिग्रस्त हुई है। जिससे चीन और पाकिस्तान की तीव्र दृष्टि पूर्वोत्तर भारत पर जमी है। जिससे समूचे भारत में आतंकवाद में आतंकवाद को कई पक्षों से पोषण मिला है।

मिजोरम में भी लगभग त्रिपुरा राज्य जैसी ही स्थितियां रही हैं, माना जाता है कि मिजोरम में आतंकवाद का दौर 1966 में आरंभ हुआ और वर्ष 1984 तक आते–आते आतंकवाद अपनी चरम सीमा पर पहुंच गया। वर्ष 1947 में आजादी के बाद मिजोरम भारत का एक अंग बना ब्रिटिश शासन काल में यह पहाड़ी क्षेत्र असम का एक भाग था। उसकी यही स्थिति स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात तक बनी रही। परंतु

मिजो कबीलों को लगता था कि असम सरकार उनके साथ इंसाफ नहीं कर रही है उन्हें विकास के समान अवसर प्राप्त नहीं होते हैं एवं उनके साथ घोर पक्षपात किया जाता है। इस कारण वह असम के साथ बने रहने में संतुष्ट नहीं थे एवं भारत सरकार जो उनके विकास के लिए धन खर्च कर रही थी वह भी उनके लिए पर्याप्त नहीं था। यही स्थिति मिजोरम का अस्तित्व बनने के बाद भी चलती रही यहां पर लालडेंगा मिजो कबीले का नेता बनके उभरा उसने मिजो नेशनल फ्रंट नाम के एक संगठन की स्थापना की जिसने भारत के समक्ष अनेक समस्याएं उत्पन्न कीं। 1966 में मिजो नेशनल फ्रंट ने भंयकर रूप धारण कर गैर मिजो कबीलों पर धावा बोला एवं गैर मिजो जनता को उनके क्षेत्र से बाहर निकल जाने की धमकी दी जो गैर मिजो अपने घर–बार एवं व्यवसाय को छोड़कर नहीं निकले तो उनकी हत्याएं की जाने लगीं। इसी बीच अनेक वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों तथा प्रशासनिक अधिकारियों की हत्याएं हुई। उग्रवादी मिजो ने एक अलग और स्वतंत्र राज्य की स्थापना के लिए नींव पकड़ ली। 20 वर्ष की लंबी अवधि तक भी इस स्थिति को नियंत्रित नहीं किया जा सका।

मिजोरम के मामले में एक त्रासदी यह हुई कि वहां ब्रिटिश शासन काल में ईसाई धर्म प्रचारक भारी संख्या में आए, उन्होंने अपने धर्म का खुलेआम प्रचार किया जिसके परिणामस्वरूप मिजो जाति का धर्म परिवर्तन हुआ। धर्म के अलगाव ने मिजो जाति को हिन्दू संस्कृति से दूर किया। इससे सामाजिक अलगाव बढ़ा। अब तक मिजो भाषा की अपनी कोई लिपि नहीं थी। आखिर उन्होंने अंग्रेजी रोमन लिपि अपना ली। इन सब बातों का परिणाम यह हुआ कि जब पूरे भारत की जनता में राष्ट्रवाद की लहर तूफान की तरह उभर रही तब मिजो भारत विरोधी भावनाओं से ग्रस्त थे। ब्रिटेन की मिशनरियों तथा अमरीका की गुप्तचर एजेंसी सी.आई.ए. ने इसका खुलकर लाभ उठाया। अलगाववादी आतंकवाद उभरा तो लालडेंगा ने प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए नौजवानों के जत्थे चीन आदि भेजने शुरू कर दिए। चीनियों के उकसाने पर भारत में विरोध की आग और अधिक भड़की। लगभग दो दशकों तक मिजोरम में भारी आतंकवाद छाया रहा किंतु अंत में आतंकवादियों ने समझ लिया कि भारत से अलग रहकर वे अपना अस्तित्व बचाकर नहीं रख सकेंगे क्योंकि खाद्यान्न के लिए वे

शेष भारत की सहायता पर ही निर्भर थे। इधर केंद्र ने भी इनकी आर्थिक विषमताओं की ओर ध्यान दिया। विकास के कुछ कार्य हुए जिससे शांति स्थापित करने में मदद मिली।

इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि मिजोरम की इस स्थिति के लिए कुछ सीमा तक सरकारी उदासीनता ही जिम्मेदार है। भारत के जन नेताओं ने दूर–दराज के इन क्षेत्रों को समझने एवं उनकी समस्याओं के भीतर झाँकने तथा विदेशी मिशनरियों के प्रति सतर्क होने की आवश्यकता ही नहीं समझी। फलस्वरूप मिजो भारत से दूर और ईसाईपन के निकट होते चले गए। जिसके कारण भारत के राज्य में हिंसा बढ़ी और यही हिंसा आतंकवाद में परिवर्तित हो गई। असम में आतंकवादी अशांति के मूल कारणों में प्रमुख वहां का बिगड़ता–टूटता भौगोलिक ढांचा, विस्थापितों की भरमार से उत्पन्न सामाजिक असंतुलन तथा इन दोनों की पृष्ठभूमि में उभरने वाली हिंदू सांप्रदायिकता, मुस्लिम सांप्रदायिकता तथा बंगाली उपराष्ट्रवाद की भावना।

स्वतंत्रता प्राप्ति के साथ ही असम का मुस्लिम बहुल जिला सिलहट पूर्वी पाकिस्तान के साथ जोड़ दिया गया था फिर 1951 में इसका उत्तरी कामरूप जिला भूटान में शामिल कर दिया गया। इससे पूर्व 1948 में नेफा क्षेत्र को भी असम से काट दिया गया। 1963 में असमी क्षेत्रों पर आधारित नगालैंड एक अलग राज्य के रूप में निर्मित हुआ। इसी तरह 1972 में मेघालय और मिजोरम अस्तित्व में आए। भारत के विभाजन ने बांगला भाषी लोगों को भारी संख्या में असम की तरफ धकेला और यह सिलसिला बांग्लादेश की स्थापना के बाद भी जारी रहा। इससे असम में नित नई समस्याएं उत्पन्न हुईं। असमी समाज पर बंगालियों का प्रभुत्व होते देख मूल असमी हिंदू, मुसलमानों ने आपस में सहयोग कर बंगालियों को असम से बाहर खदेड़ना चाहा। 1960 व 70 के असमी–बंगाली दंगे, इसी धारणा का परिणाम थे। बंगाली अपनी भाषा और संस्कृति को छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे। इस जातीय एवं भाषाई दंगों ने असम में भारी तबाही मचाई। इस असमी और गैर असमी झगड़े के चलते असम के हिंदू, बंगालियों ने मुसलमानों को आंदोलित किया कि वे असमी मुसलमानों के साथ मिलकर असम को एक मुस्लिम बहुल राज्य बनाने की चेष्टा कर रहे हैं। इस आरोप की पुष्टि उस समय भली भांति हो गई जब बंगाली

मुसलमानों ने अपनी मातृभाषा बंगाली के स्थान पर असमी दर्ज कराई। इस तरह हिंदू और असमी भी मुसलमानों को संदेह की दृष्टि से देखने लगे। परिणाम एक तरफ असमी और बंगाली तथा दूसरी तरफ हिंदुओं तथा मुस्लिमों के बीच खाई चौड़ी होती गई। यही सब कारण थे जिनसे असम में आतंकवाद के बीज उगने को तैयार हो रहे थे।

असम में 'उल्फा' व 'बोडो' आतंकवाद – असम में आतंकवाद 1980 के बाद ही उभरा। न चाहते हुए भी इसकी कमान विद्यार्थियों के संगठन के हाथों चली गई जिन्होंने असम से 'विदेशियों अर्थात् गैर–असमियों को निकालने व उनके नाम वोटर लिस्ट से हटाने का मामला उठाया और जब सरकार ने उसे नहीं माना तो उग्र हिंसात्मक आंदोलन छेड़ दिया जिसमें लगभग 5000 लोग मारे गए और अथाह सार्वजनिक सम्पत्ति नष्ट हुई। ऑल असम स्टूडेंट्स यूनियन के आंदोलन के फलस्वरूप जब असम गण परिषद् सत्ता में आई तो यह आशा की गई कि हिंसात्मक आंदोलन का सिलसिला टूट जाएगा, परंतु आंतरिक गुटबाजी के कारण असम गण परिषद् टूट गई और दो आतंकवादी संगठनों– दि यूनाइटेड माइनॉरिटीज फ्रंट और यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम ने जोर–शोर से अपनी उपस्थिति दर्ज की। असंख्य हत्या, लूटमार और अपहरण की घटनाओं से पूरा असम कांप उठा। द ऑल बोडो स्टूडेंट्स यूनियन ने भी अलग राज्य की मांग करते हुए हिंसा व धमकी की रणनीति को बहुत तेज कर दिया और पूरे असम में भयावह आतंक का वातावरण छा गया। फलतः इन आतंकवादी गतिविधियों को कुचलने के लिए सेना की मदद ली गई और 'आपरेशन बजरंग' नामक सैनिक कार्रवाई करके उनके फन को कुचल दिया गया। पर शीघ्र ही आतंकवादी संगठनों ने फिर अपना सिर उठाया और हिंसा, अपरहण, लूटमार, विस्फोट आदि का तांडव शुरू हो गया। आज भी 'बोडोलैंड' की समस्या राज्य व केंद्रीय सरकार के लिए सिरदर्द बनी हुई है।

उत्तरपूर्वी भारत में सक्रिय ढेर सारे आतंकवादी संगठनों में से एक आतंकवादी संगठन उल्फा है। उल्फा का पूरा नाम यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम है। लेकिन संगठन उल्फा के नाम से ही प्रचलित है। सैन्य संघर्ष के जरिए संप्रभु समाजवादी असम को स्थापित करने के मकसद से भीमकांत बुरागोहेन, राजीव राजकोंवर उर्फ अरबिंद

राजखोवा, गोलाप बारूहा उर्फ अनूप चेतिया, सामिरन गोगोई उर्फ प्रदीप गोगोई, भद्रेश्वर गोहेन और परेश बरूहा ने 7 अप्रैल 1979 में सिबसागर के रंग घर में उल्फा की स्थापना की। ऐसा माना जाता है कि 1986 में उल्फा का संपर्क नेशनलिस्ट सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नगालैंड (एन. एस.सी.एन.) और म्यांमार में सक्रिय संगठन काछिन रेबेल्स से हुआ। 1989 में इसे बांग्लादेश में कैंप लगाने की छूट मिल गई और 1990 के आते–आते उल्फा ने कई हिंसक वारदातों को अंजाम दिया। अमेरिकी गृह मंत्रालय ने अन्य संबंधित आतंकवादी संगठनों की सूची में उल्फा को भी शामिल किया है। संगठन के प्रमुख नेता परेश बरूआ(कमांडर–इन–चीफ), अरबिंद राजखोवा (चेयरमैन) अनूप चेतिया (जनरल सेक्रेटरी) (वर्तमान में बांग्लादेश सरकार की कस्टडी में है), प्रदीप गोगोई (वाइस चेयरमैन) (असम सरकार की कस्टडी में) खुद को क्रांतिकारी संगठन मानता है उल्फा अपने आप को भारत के खिलाफ संप्रभु और स्वतंत्र असम की स्थापना में संघर्षरत क्रांतिकारी राजनीतिक संगठन कहता है। उल्फा का कहना है कि असम कभी भी भारत का हिस्सा नहीं था। उल्फा का दावा है कि असम जिन ढेर सारी मुश्किलों का सामना कर रहा है उनमें राष्ट्रीय पहचान सबसे प्रमुख समस्या है। इसलिए उल्फा स्वतंत्र दिमाग से संघर्षरत लोगों का प्रतिनिधित्व कर रहा है। ऐसे लोग जो नस्ल, जनजाति, जाति, धर्म और राष्ट्रीयता से प्रभावित नहीं हैं।

जबकि भारत सरकार ने उल्फा को आतंकवादी संगठनों की श्रेणी में रखा है और प्रीवेंशन एक्ट के तहत उल्फा को प्रतिबंधित किया है। भारत ने उल्फा के खिलाफ भारतीय सेना द्वारा संचालित आपरेशन बजरंग शुरू किया है। सरकार ने उल्फा पर पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आई.एस.आई. और बांग्लादेशी खुफिया एजेंसी डी.जी.एफ.आई. से संपर्क बना भारत के विरुद्ध छदम युद्ध छेड़ने का आरोप लगाया है।

1991 में असम में सेना द्वारा 'ऑपरेशन राइनो' चलाया जिसके कारण आतंकवाद को गहरा झटका लगा। हजारों संदिग्ध उग्रवादी धर दबोचे गए। परंतु आज भी वहां निम्नलिखित अतिवादी संगठन सक्रिय हैं:

- यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम,

- कामतापुर लिबरेशन फोर्स,
- बोडो लिबरेशन टाइगर फोर्स,
- नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट बोडोलैंड,
- कारबी नेशनल रिवोल्यूशनरी फोर्स,

राबहा नेशनल सिक्यूरिटी फोर्स, तीवा नेशनल रिवोल्युशनरी फोर्स,

बिरचा कमांडो फोर्स, बंगाली टाइगर फोर्स,
आदिवासी सिक्यूरिटी फोर्स,
ऑल असम आदिवासी सुरक्षा समिति,
गोरखा टाइगर फोर्स,
बराक वैली यूथ लिबरेशन फ्रंट,
मुस्लिम सिक्यूरिटी काउंसिल,
यूनाइटेड लिबरेशन मिलिशिया,
इस्लामिक लिबरेशन आर्मी,
मुस्लिम वालंटीयर फोर्स,
मुस्लिम लिबरेशन आर्मी,
मुस्लिम सिक्यूरिटी फोर्स,
इस्लामिक सेवक संघ,
मुस्लिम टाइगर फोर्स,
आदम सेना,
हरकत–उल–मुजाहिदीन,
हरकत–उल–जेहाद व रिवोल्यूशनरी मुस्लिम कमेटी आदि।

प्रमुख वारदातें

उल्फा वामपंथी विचारधारा को माननेवाला है और उसका संबंध माओवादियों से भी है। अब तक उल्फा के द्वारा निम्न कार्रवाइयों को अंजाम दिया गया है।

1990 में व्यवसायी लार्ड स्वराज पॉल के भाई सुरेंद्र पाल की हत्या।

1991 में रूसी इंजीनियर का अपहरण बाद में अन्य लोगों के साथ उसकी हत्या।

1997 में सामाजिक कार्यकर्ता और वरिष्ठ भारतीय कूटनीतिज्ञ

का अपहरण कर हत्या।

2000 में वरिष्ठ सरकारी अधिकारी नगेन शर्मा की हत्या।

1997 में असम गण परिषद् के मुख्यमंत्री प्रफुल्ल कुमार मंहत की हत्या की कोशिश।

2003 में असम में कार्यरत बिहारी मजदूरों की हत्या।

15 अगस्त, 2004 में कुछ बच्चों समेत बम विस्फोट में 15 लोगों की हत्या।

जनवरी 2007 में 62 हिंदी भाषियों विशेषकर बिहारी मजदूरों की हत्या।

15 मार्च, 2007 गुवाहाटी में बम ब्लास्ट 6 लोग घायल।9

निष्कर्ष रूप में यह प्रतीत होता है कि असम में पृथकतावादी आतंकवादी की समस्या का समाधान सुगम नहीं है। असम का अलगाववादी संगठन उल्फा हिंसा की राह से हटने को तत्पर नहीं है जिसके फलस्वरूप पूर्वोत्तर भारत का संकट गहराता ही जा रहा है। अलगाववादी हिंसा को बाहर के देशों से लगातार प्रोत्साहन एवं समर्थन मिला जो भारत को विभाजित होते देखना चाहते हैं, दूसरी समस्या हमारे देश के अन्दर ऐसे राजनीतिक तत्वों की स्वार्थ सिद्धता जो बांग्लादेश से हो रही घुसपैठ से राष्ट्रीय एकता को होने वाले खतरे की उपेक्षा करते हुए मानो अपने वोट बैंक की चिंता में लगे हैं। असम में आतंकवाद की समस्या ऐसे राजनीतिज्ञों की उपेक्षा के कारण गहराती गई है।

उल्फा: असम में आतंकवाद की समस्या से निपटने के लिए समय–समय पर प्रयास किए गए हैं। परंतु उल्फा के साथ किए गए बातचीत के प्रयास 2005 में असफल रहे। उसके कुछ नेताओं ने मध्यस्थ इंदिरा गोस्वामी के जरिये बातचीत का सशर्त प्रस्ताव भेजा कि बदले में उसके प्रमुख अरविंद राजखोवा को रिहा किया जाए। लेकिन केन्द्र तब तक वार्ता को राजी नहीं है जब तक फिलहाल म्यांमार में रह रहे परेश बरूआ की ओर से प्रस्ताव नहीं आता।

उत्तर भारत में सीमावर्ती पंजाब अनेक वर्षों तक आतंकवादी हिंसा की लपेट में रहा। इसके अनेक कारण रहे हैं और उन मूलभूत कारणों की उपेक्षा करते हुए जिस तरह इस प्रांत की संवेदनशील स्थिति को बिगड़ने दिया गया अथवा राजनीतिक स्वार्थ पूर्ति के लिए

बिगाड़ा गया। उसके दुष्परिणाम भारत को भुगतने पड़े हैं। भले ही पंजाब में अलगाववादी आतंकवाद पर काबू पा लिया गया हो लेकिन वहां वैसी स्थितियां फिर से न उभरें इस पर प्रशासकीय एवं सामाजिक दृष्टि से ध्यान देने की आवश्यकता बनी हुई है। विशेष रूप से इसलिए, क्योंकि पंजाब में आतंकवाद को सर्वाधिक प्रोत्साहन भारत के बाहर से मिलता रहा है।

1990 के दशक में ही पंजाब में आतंकवादी हिंसा का दौर सर्वाधिक गरमाया। भारत का विभाजन मुसलमानों के लिए एक अलग देश बनाने के उद्देश्य से किया गया था। अंग्रेज अपनी इस विभाजीय नीति के बीज सर्वत्र बिखेर चुके थे, जिसके परिणामस्वरूप सिक्ख भी मुसलमानों की तरह अपने लिए अलग राज्य, (सूबा) चाहते थे। विदेशी प्रलोभन का शिकार सिखों का एक वर्ग भी आतंकवाद की राह पर चल दिया और अपने मानव धर्म को भुलाकर हत्याओं, रक्तपात, लूटपाट एवं विध्वंस के तरीके अपना लिए, जिनमें बम विस्फोटों से सरकारी संपत्ति को नष्ट करने, रेलवे लाइनों को उड़ाने, विमानों व वाहनों का अपहरण करना व सार्वजनिक स्थान पर बम ब्लास्ट करके दशहत फैलाना शुरू कर दिया।

जिस प्रकार पाकिस्तान में सुन्नी सम्प्रदाय और शिया सम्प्रदाय से जुड़े मुसलमानों के बीच आए दिन मुठभेड़ होती रहती है। उसी प्रकार सिक्खों में निरंकारी संप्रदाय होता है जिन्हें सच्चे सिख न मानने वाले लोगों ने मुख्य धारा से अलग करके विभाजन के बीज बो दिए थे। निरंकार सिक्खों और गुरुगोबिंद सिंह को मानने वाले सिक्खों के बीच इस मतभेद ने दुश्मनी का स्वरूप ग्रहण कर लिया। 13 अप्रैल 1978 में अमृतसर में निरंकारियों द्वारा एक संमेलन आयोजित किया गया जिसके विरुद्ध कट्टरपंथी सिक्खों ने एक जुलूस निकाला जिसके परिणाम स्वरूप दोनों संप्रदाय में लड़ाई हुई, जिसमें 12 कट्टरपंथी सिक्ख तथा निरंकारी मारे गए। पंजाब में हिंसा का प्रारंभ यहीं से माना जा सकता है।

पंजाब में आतंकवाद विशेषरूप से भिंडरवाला के नेतृत्व में स्वतंत्र राज्य खालिस्तान की स्थापना के उद्देश्य से उभरा था जबकि वह सन् 1984–85 में एक खतरनाक स्थिति पर पहुंच गया था। गुरुद्वारों को शस्त्रागारों में बदल दिया गया था और असंख्य निर्दोष लोग

जिनमें अधिकांश हिंदू थे, मारे गए। मई, 1985 में दिल्ली, हरियाणा व उत्तर प्रदेश में बसों के अंदर, रेलवे स्टेशन व अन्य सार्वजनिक स्थानों पर ट्रांजिस्टर बम विस्फोट हुए जिनमें जान–माल की बहुत क्षति हुई। 20 अगस्त 1985 को अकाली दल के अध्यक्ष संत लोंगोवाल की एक गुरुद्वारे के अंदर हत्या कर दी गई थी।

बस में यात्रा करते चुनिंदा गैर सिख यात्रियों की हत्या, एयर इण्डिया बोइंग 'कनिष्क' का विस्फोट और लगभग 300 निर्दोष भारतीयों का जान से मारा जाना, राजनीतिक नेताओं, पत्रकारों, फौज और पुलिस अफसरों और निर्दोष व्यक्तियों की 1984 और 1993 के बीच हत्या, 114 हिन्दू रेल यात्रियों का लुधियाना के पास बुद्धोवल रेलवे स्टेशन पर जून, 1991 में जान से मार देना, पंजाब और उसके बाहर अनेक स्थानों पर बैंकों को लूटना आदि खालिस्तान समर्थक सिख आतंकवादियों के ऐसे कारनामें थे जिनकी सभी के द्वारा भर्त्सना की गई थी।

फिर भी खालिस्तानी आतंकवादियों ने नफरत व हिंसा की जो आग जलाई उसमें पंजाब की सुख, शांति व समृद्धि सब कुछ जलकर राख हो गई और उसका चरम प्रतिफल प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की निर्मम हत्या के रूप में सामने आया जिसकी प्रतिक्रिया स्वरूप दिल्ली में सिक्खों के खिलाफ भड़के दंगों में 300 से अधिक सिक्खों की जानें गईं पर एक समय आया जबकि पंजाब के लोग स्वयं ही आतंकवादी कारनामों से ऊब गए और उन्होंने फिर से पंजाब में सुख, शांति व समृद्धि को लौटाने के लिए पुलिस और सरकार से सहयोग करना शुरू किया। प्रख्यात पुलिस प्रमुख श्री के.पी.एस. गिल का सरकार द्वारा 1993–94 में अपनाए गए उपायों व सटीक रणनीति के फलस्वरूप पंजाब में आतंकवाद समाप्त हो गया। पर समाचार यह था कि कौंसिल ऑफ खालिस्तान के स्वयंभू गुरमीत सिंह औलख ने 27 मार्च, 2002 को वांशिगटन (अमरीका) में आतंकी सरगनाओं की एक बैठक आयोजित कर पंजाब में आतंकवाद की हिमायत करते हुए विभिन्न अल्पसंख्यक समुदाय (सिख, मुसलमान व ईसाई) के लोगों को हिंदुओं के खिलाफ हथियार उठाने के लिये कहा और एक योजना के तहत पंजाब में सन् 2008 तक पूर्णरूप में खालिस्तान की स्थापना करने की घोषणा की।''

नक्सलवादी आतंकवाद – नक्सलवादी आतंकवाद का जन्म

स्थान बंगाल है जहां उसने सन् 1967 में अपना सिर उठाया और बाद में चीन का वरदान प्राप्त कर सन् 1969 में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्किसिज्म–लेनिनिज्म) की स्थापना के साथ ही अपने पैर पसारने लगा। नक्सलवादी नेता चारू मजूमदार ने घोषणा की कि ''चीन का चेयरमैन हमारा चेयरमैन है।'' बंगाल से नक्सलवादी आंदोलन भूमिहीन श्रमिकों को उनका हक दिलवाने के लिए बिहार में फैला। बिहार में आज भी सक्रिय आतंकी संगठन 'पीपुल्स वार ग्रुप' वास्तव में नक्सलवादी आतंकवाद की ही एक शाखा के रूप में समझा जा सकता है। यद्यपि नक्सलवादी आतंकवाद को अधिक जनसमर्थन प्राप्त नहीं हुआ, फिर भी युवा पीढ़ी, जिसमें पुरुष और स्त्रियां दोनों ही शामिल थे को इसमें प्रभावित किया और उन लोगों ने हिंसा व धमकी की रणनीति को अपनाते हुए अनेक जमींदारों, साहूकारों और पुलिस व सैनिक अधिकारियों की अंधाधुंध हत्या एवं संपत्ति की लूटपाट की। उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, 1969 से लेकर 1972 के बीच नक्सलवादी आतंकवादियों ने 2,711 लोगों को जान से मारा, 715 जमींदारों व साहूकारों के धन को लूटा, 21 बैंकों को लूटने की योजना को अंजाम दिया तथा 9987 अन्य प्रकार की हिंसा के कारनामे किए। बिहार में 1988 से लेकर 2002 तक स्थिति निरंतर खराब होती गई और वर्ग संघर्ष व जातीय संघर्ष के परिणामस्वरूप नरसंहार की घटनाएं तेजी से बढ़ती गईं। मई 2002 को राजधानी पटना की सीमा में आनेवाले भदौरा गांव में आतंकी संगठन पीपुल्स वार ग्रुप के सक्रिय सदस्यों ने दो महिला व दो बच्चों सहित छह लोगों की सामूहिक हत्या कर दी! 1972 के पश्चात् नक्सलवादी आतंकवाद बंगाल और बिहार की सीमाओं को पार करके आंध्र प्रदेश, केरल, उडीसा, तमिलनाडु और त्रिपुरा में भी फैल गया जहां आज भी विस्फोट, हत्या, लूटपाट, अपहरण आदि की घटनाएं घटित हो रही हैं। सरकारी स्तर पर इन्हें रोकने के प्रयास किए जा रहे हैं, फिर भी आशानुरूप सफलता नहीं मिली है।

'लिट्टे' द्वारा संचालित आतंकवाद– आतंकवाद का एक चौथा स्वरूप तमिल चीतों अर्थात् 'लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल ईलम (लिट्टे) द्वारा संचालित आतंकवाद है जिसके सर्वोच्च कमांडर वेलुपिल्लई प्रभाकरण था। श्रीलंका के इस आतंकवादी संगठन को पूरे विश्व के लोग मानवता के शत्रु के रूप में देखते हैं। इस आतंकवादी संगठन द्वारा

संचालित हिंसा केवल श्रीलंका और भारत के लिये ही नहीं अपितु पूरे विश्व के लिए चुनौती है और यही कारण है कि भारत सहित दुनिया के अधिकांश देशों ने इस पर प्रतिबंध लगा रखा है। प्रभाकरण एक खूंखार आतंकवादी था। इसके साथियों (लिट्टे) ने श्रीलंका के एक प्रधानमंत्री समेत अनेक वरिष्ठ राजनीतिज्ञों की हत्या की। लिट्टे द्वारा संचालित हिंसा की आग में हजारों सैनिक, निर्दोष नागरिक, बूढ़े, बच्चे व महिलाएं जलकर मर गए और अरबों की सार्वजनिक संपत्ति नष्ट हुई। हमारे भारत के पूर्व प्रधानमंत्री स्व. श्री राजीव गांधी की जो हत्या आत्मघाती महिला दस्ते द्वारा की गई थी वह भी प्रभाकरण या लिट्टे द्वारा रचे गए षड्यंत्र का ही परिणाम थी। लिट्टे की गतिविधियां भारत सरकार व तमिलनाडु सरकार के लिये बराबर सिरदर्द बनी रही हैं।

आज आतंकवाद भारत के कुछ गिने–चुने राज्यों तक ही सीमित नहीं है बल्कि इसका विस्तार भारत में दिन प्रतिदिन विस्तृत होता जा रहा है। दिल्ली में 13 सितंबर, 2008 को हुए आतंकी हमले में 20 लोगों को मौत की नींद सुला दिया गया, जिनमें 102 घायल हुए। मुंबई के सबसे बड़े आतंकी हमलों में सशस्त्र हमलावरों ने सड़कों पर घूम–घूम कर रेलवे स्टेशन से लेकर बाजार, पांच सितारा होटल और अस्पताल तक को निशाना बनाया। दक्षिण मुंबई में मात्र पौने दो घंटे में आठ जगह पर फायरिंग व हैंड ग्रेनेड फेंके व कई स्थानों पर बम विस्फोट किए। इन हमलों में कम से कम 60 लोगों की मृत्यु हुई और 200 से अधिक घायल हो गए।

2001 (13 दिसंबर) संसद पर हमला ...13 दिसंबर, 2001 को आतंकवादियों ने भारतीय लोकतंत्र, राजनीतिक संप्रभुता और राष्ट्रीय अस्मिता की प्रतीक संसद पर इस प्रकार का दुस्साहसिक हमला किया जिसकी मिसाल मिलना मुश्किल है। दुर्योग से दहशतगर्द संसद के परिसर में तो घुसने में सफल हो गए थे लेकिन संयोग से वे संसद के भीतर नहीं घुस पाए थे और परिसर में ही मार गिराए गए थे। यदि ये दहशतगर्द संसद के भीतर घुस जाते तो क्या होता, सोच कर ही हम कांप उठते हैं, तब मौत का ऐसा तांडव दृश्य पैदा होता जो अमेरिका पर हुए खौफनाक हमले से भी कहीं ज्यादा खतरनाक होता। जिस समय इन दहशतगर्दों ने संसद के भीतर घुसने की नापाक कोशिश की उस समय संसद के भीतर 300 से भी अधिक

महत्वपूर्ण राजनेता, मंत्री और सांसद मौजूद थे। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और भारतीय संसद पर आतंकवादियों द्वारा किया गया यह हमला दरअसल लोकतंत्र की आत्मा पर किया गया हमला था।

संसद पर हुए इस हमले ने सौ करोड़ देशवासियों की आस्था को बुरी तरह हिलाकर रख दिया है। उनका मानना है कि जब सार्वभौमिकता का सर्वोच्च प्रतीक, संसद ही सुरक्षित नहीं है तथा जनता के द्वारा चुने प्रतिनिधि ही सुरक्षित नहीं है तो आम आदमी की सुरक्षा की क्या गारंटी है। संसद भवन पर आतंकवादियों द्वारा जो हमला किया गया वह सीधे–सीधे भारतीय अस्मिता को दी जानेवाली चुनौती है क्योंकि अब आतंकवादियों का दुस्साहस इतना अधिक बढ गया कि वे संसद भवन तक पहुंच गए हैं। इस हमले से सारा देश आतंकित हुआ तथा लोगों में असुरक्षा की भावना बढ़ी।

यद्यपि इस बात के समाचार पहले ही मिल रहे थे कि आतंकवादियों द्वारा संसद पर हमला किया जा सकता है। इसके बावजूद सतर्कता के लिए कोई कदम नहीं उठाए गए और आतंकवादी सुरक्षा द्वारों को धता बताते हुए विस्फोटक पदार्थों और हथियारों से लैस संसद के मुख्य द्वार तक पहुंच गए परंतु हमारे सुरक्षा बलों ने आतंकवादियों का सामना बहुत ही बहादुरी के साथ किया। सुरक्षा जवानों ने अपनी जान की परवाह न करते हुए संसद की गरिमा और देश की रक्षा के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। ऐसे सुरक्षा जवानों को भारतीय जनता नतमस्तक होकर प्रणाम करती है।

मुंबई और महाराष्ट्र में हुए विस्फोट

12 मार्च, 1993 में मुंबई में एक के बाद एक 13 बम विस्फोट, 257 लोगों की मौत तथा 713 घायल।

02 दिसंबर, 2002 मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन के फूड प्लाजा में विस्फोट, 25 मरे।

27 जनवरी, 2003 मुंबई के विले पार्ले स्टेशन के बाहर विस्फोट 20 घायल।

13 मार्च, 2003 मुंबई के मुलुंड़ रेलवे स्टेशन पर एक उपनगरीय ट्रेन में विस्फोट। 11 मरे एवं 60 घायल।

25 अगस्त, 2003 मुंबई के मुंबा देवी मंदिर तथा गेट वे आफ इण्डिया पर विस्फोट 46 मरे 200 घायल।

11 जुलाई 2006– मुंबई की लोकल ट्रेनों में 15 से 20 मिनट के भीतर एक के बाद एक विस्फोट कुल 7 बम विस्फोट 200 यात्री मारे गए और 560 अन्य घायल।

8 सितंबर, 2006– महाराष्ट्र के नासिक जिले के माले गांव में तीन विस्फोटों में 37 की मौत और 150 अन्य घायल, दो जिंदा बम बरामद।

26 नवंबर 2008– भारत ही नहीं पूरे विश्व को दहला देनेवाली घटना 26 नवंबर 2008 को मुंबई में हुई। यहां आतंकवादियों ने मुंबई के तीन प्रतिष्ठित होटलों (होटल ताज, होटल ओबराय एवं होटल नरीमन हाउस) में 50 घंटे से अधिक समय तक कब्जाकर 10 विदेशी सैलानियों और 155 भारतीयों को मौत के घाट उतार दिया तथा जिसमें 370 लोग घायल हुए।12

आतंकवादी घटनाएं कुछ राज्यों तथा स्थानों तक ही सीमित नहीं हैं बल्कि आतंकवादी हमलों के नए प्रमुख स्थल भी बन गए हैं। आतंकवादियों ने देश के सामाजिक, आर्थिक व धार्मिक ताने–बाने को चोट पहुंचाने के लिए भिन्न–भिन्न शहरों व स्थानों को अपना निशाना बनाया जिनमें भीड़ भरे बाजार, धार्मिक व वाणिज्यिक स्थल भी हैं।

आतंकी हमलों के नए प्रमुख स्थल

दिल्ली

2001 (13 दिसंबर)संसद पर हमला, 14 मरे।

2005 (29 अक्टूबर) तीन जगहों पर विस्फोट, 70 लोग मरे।

2006 (14 अप्रैल) जामा मस्जिद में विस्फोट, 14 घायल।

महाराष्ट्र

मुंबई

2003 (13 मार्च) मुंबई की एक लोकल ट्रेन में बम धमाके में 11 की मौत

2003 (25 अगस्त) मुंबई में कार धमाके में 60 की मौत

2005 (25 अगस्त) कार बम विस्फोट 46 मरे।

2006 (11 जुलाई) ट्रेन में सात जगहों पर विस्फोट, 190 लोग मरे।

मालेगांव

2006 (8 सितंबर) तीन विस्फोट, मस्जिद भी निशाने पर 38 मरे।

नागपुर

2006 (एक जून) आर.एस.एस. मुख्यालय पर हमला, तीन आतंकी मारे गए।

उत्तर प्रदेश

अयोध्या

1999 (28 मार्च) अयोध्या बस स्टैंड को उड़ाने की कोशिश।

2005 (5 जुलाई) विवादित परिसर पर हमला, पांच आतंकी मारे गए।

वाराणसी

2006 (7 मार्च) संकट मोचन मंदिर सहित तीन जगहों पर विस्फोट, 28 मरे 60 घायल।

2007 (23 नवंबर) अदालत में विस्फोट।

गोरखपुर

22 मई 2007 को आतंकी हमला।

लखनऊ

2007 (23 नवंबर) अदालत में विस्फोट।

फैजाबाद

2007 (23 नवंबर) अदालत में विस्फोट।

रामपुर

2008 (एक जनवरी) सी.आर.पी.एफ. कैंप हमला, सात जवान समेत आठ मरे।

गुजरात

अहमदाबाद

2002 (24 सितंबर) अक्षरधाम मंदिर पर हमला, 29 मरे।

2008 (26 जुलाई) 17 जगहों पर विस्फोट 60 मरे।

राजस्थान

जयपुर

2008 (13 मई) सात जगहों पर विस्फोट 60 लोग मरे।

आंध्र प्रदेश

हैदराबाद

2007 (18 मई) मक्का मस्जिद में विस्फोट, करीब आधा दर्जन मरे।

2007 (25 अगस्त) हैदराबाद में एक मनोरंजन पार्क और सड़क किनारे के ढाबे में चंद मिनटों के अंतराल पर तीन धमाके, 40 की मौत।

बैंगलूर

2005 (28 दिसंबर) आई.आई.टी. पर हमला, एक वैज्ञानिक की मौत।

2008 (25 जुलाई) बैंगलूर में 7 धमाकों में एक व्यक्ति की मौत 15 घायल।

2008 (25 जुलाई) नौ जगहों पर बम विस्फोट, दो मरे।

पश्चिम बंगाल

कोलकाता

2002 (22 जनवरी) अमेरिकी सांस्कृतिक केंद्र पर हमला, चार मरे।

अतः उपरोक्त आतंकी घटनाओं से स्पष्ट होता है कि वर्तमान समय में भारत का कोई राज्य आतंकवाद से अछूता नहीं है।

सारणी 3.1

आतंकवादी हिंसा में मारे गए व्यक्तियों का विवरण

राज्य	सऩ	मारे गए नागरिकों की संख्या			
		आतंकवादी	नागरिक	सुरक्षा बल	कुल संख्या
कश्मीर	1998–2001	14006	11241	4035	29292
पंजाब	1981–2000	11770	8094	1748	21612
असम	1992–2000	2348	584	1188	4120
नगालैंड	1992–2000	591	235	833	1695
त्रिपुरा	1992–2000	1839	265	224	2328

सारणी 3.2

आतंकवादी हमले में मारे गए व्यक्तियों का विवरण (1990 से अक्टूबर 2001 तक)

सन्	आतंकवादी	नागरिक	सुरक्षा बल	कुल
1990	163	682	132	1177
1991	614	594	135	1393
1992	873	859	177	1909
1993	1328	1023	216	2567
1994	1651	1012	236	2899
1995	1338	1161	297	2796
1996	1194	1333	378	2903
1997	1177	840	355	2372
1998	1045	877	339	2261
1999	1184	792	555	2538
2000	1808	842	638	3288
2001	1610	931	515	3066

स्त्रोत

यादव, राम प्रकाश सिंह, शोध पेपर 'भारत में आतंकवादः एक विश्लेषणात्मक अध्ययन' जर्नल 'सुरक्षा चिंतन' पृष्ठ 89 से 95 तक

अंक 2 जनवरी, 2011।

भारतीय संदर्भ में आतंकवाद की चर्चा करते समय सामान्यतया पिछले लगभग एक दशक से उभरे उग्रवादी आंदोलन तथा आतंकवादी गतिविधियों की ओर संकेत किया जाता है। परंतु स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् के पिछले लगभग चालीस वर्षों में ऐसे आंदोलन अनेक बार और विभिन्न क्षेत्रों तथा संदर्भों में उभरते रहे हैं, जो उग्रवाद और आतंकवाद पर थे। वास्तविकता यह है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारतीय समाज में एक नए राजनीतिक एवं आर्थिक संतुलन की प्रक्रिया प्रारंभ हुई थी। इस संतुलन को बनाए रखने में कई व्यवधान उपस्थित हुए, विभिन्न आंदोलन प्रारंभ हुए, जिनमें से कुछ का स्वरूप उग्रवादी तथा आतंकवादी भी हुआ। पचास के दशक में भी राष्ट्रीय जीवन में कुछ पृथकवादी तथा उग्रवादी आन्दोलन हुए थे। पूर्वी भारत में नगाओं तथा अन्य जनजातियों के आंदोलन हुए थे जिनमें से अनेक का समाधान भी हुआ, और उत्तर पूर्व के क्षेत्रों में अभी भी कहीं–कहीं अशांति पाई जाती है। इसी तरह दक्षिण में भी दक्षिण आंदोलन ने एक समय पृथकतावादी उग्र रूप धारण कर लिया था। परंतु प्रजातांत्रिक प्रक्रियाओं के संदर्भ में क्षेत्रीय दलों के विकास के साथ दक्षिण सहित अनेक प्रांतों में उनकी क्षेत्रीय स्वायत्तता और सम्मान को आधार मिला तथा वे कुल मिलाकर राष्ट्रीय धारा के अंग बन गए। यद्यपि इसमें तनाव एवं बाधाएं जब तब उत्पन्न होती रहती हैं। पंजाब समस्या और उससे जुड़ा आतंकवाद भी पचास के दशक से चल रहे अकाली आंदोलन और राजनीति की ही एक परिणति रही।

वैसे भारत में पंजाब के सिवाय भी आतंकवाद के अन्य आयाम व क्षेत्र हैं। अमर श्रीवास्तव ने इन्हें तीन मुख्य उपसमूहों में बांटा है। पंजाब में आतंकवाद, उत्तर–पूर्वी सीमावर्ती प्रांतों में सशस्त्र विद्रोह और कुछ प्रान्तों में नक्सलवाद''। इन तीनों प्रकार के ''आतंकवादी'' उपसमूहों में उनकी विचारधाराओं, राष्ट्रीय, क्षेत्रीय या सामुदायिक प्रतिबद्धता, उनके अंगों के स्वरूप तथा भौगोलिक परिस्थितियों में पर्याप्त अंतर है। पिछले साठ वर्षों के स्वतंत्रता राष्ट्रीय जीवन के राजनीतिक, आर्थिक संतुलन की प्रक्रिया और सामाजिक गतिशीलता के कुछ व्यवधानों के परिणामस्वरूप कुछ अधिक रहा तथा क्षेत्रों में विषाद, क्षोभ और सफलता से उत्पन्न निराशा की भावनाएं उत्पन्न हुई

हैं। शहरी और ग्रामीण दोनों ही क्षेत्रों में पहले से संपन्न मापित वर्गों की राजनीतिक और आर्थिक शक्ति और बढ़ी है। संविधान द्वारा निर्धारित समानता और सामाजिक न्याय के लक्ष्य की प्राप्ति की दिशा में अधिक प्रगति नहीं हो सकी। इसके साथ ही संस्कार विहीन आर्थिक प्रगति, उपभोगवाद पर आधारित पूंजीवादी ढांचा तथा राजनीतिक जीवन में मूल्यों का पतन, अवसरवाद तथा हिंसा की प्रवृत्ति को प्रोत्साहित करता है। इस परिवेश में राष्ट्रीयता के स्थान पर स्थानीयता या संकुचित क्षेत्रीयवाद को प्रोत्साहन मिला है। ऐसे में कोई आश्चर्य नहीं कि अल्पसंख्यक, कमजोर व शोषित वर्ग तथा क्षेत्रीयवादी समूहों का आकर्षण, हिंसात्मक तथा आतंकवादी तरीकों के माध्यम से अपनी आकांक्षाओं की पूर्ति करने की तरफ होता है। फिर चाहे यह ''नक्सलवादी'' तरीके से हो।

आतंकवाद के दुष्परिणाम (Evil Consequences of Terrorism)

आतंकवाद के निम्नलिखित दुष्परिणामों का उल्लेख निम्न प्रकार किया जा सकता है –

1. आतंकवाद व्यापक रूप से संपूर्ण मानवीय सभ्यता व मानवोचित गुणों, जैसे – दया, सहयोग, सहानुभूति, सुख व शांति को नष्ट करता है।
2. आतंकवाद आम लोगों में आतंक फैलाता है जिससे लोगों के दिल में डर और असुरक्षा की भावना घर बना लेती है और वे स्वाभाविक जीवन व्यतीत नहीं कर पाते हैं।
3. आतंकवाद देश की समृद्धि की सभी सम्भावनाएं नष्ट कर देता है। प्रगति रुक जाती है और देश एक राष्ट्र के रूप में कमजोर होता जाता है।
4. आतंकवाद से देश में जान और माल की अथाह क्षति होती है। जनता व सरकार की अरबों की संपत्ति नष्ट होती है और लाखों लोग मारे जाते हैं।
5. आतंकवाद की आग में निर्दोष लोग ही अधिक जलते हैं। आतंकवादी मासूम बच्चों, बूढ़ों व महिलाओं के प्रति भी कोई दया भाव नहीं रखते और उन्हें बेरहमी से मारते हैं। फलतः

असंख्य परिवार उजड़ जाते हैं, कितने ही बच्चे अनाथ हो जाते हैं और कितनी ही सुहागिनों के सुहाग उजड़ जाते हैं।

6. आतंकवादी घटनाओं से देश के सैनिक व पुलिसकर्मी भी मारे जाते हैं और आंतरिक व बाह्य सुरक्षा की समस्या उत्पन्न हो जाती है।
7. आतंकवाद से निपटने के लिये सरकार को सैनिक बल व पुलिस बल को बढ़ाने के लिए काफी धन खर्च करना पड़ता है जिस कारण जन–कल्याणकारी कार्यक्रमों में कटौती करनी पड़ती है।
8. आतंकवाद के कारण देश की औद्योगिक प्रगति बाधित होती है। विदेशी निवेशक उस देश में पूंजी नहीं लगाते जहां आतंकवाद का खतरा होता है।
9. आतंकवादी इलाका अगर पर्यटन महत्व का है जैसा कि जम्मू कश्मीर है, तो वहां का पर्यटन उद्योग एकदम ही चौपट हो जाता है क्योंकि आतंकवादियों के डर से पर्यटकों का आना–जाना बंद हो जाता है।
10. आतंकवाद विश्व शांति व समृद्धि के लिए एक चुनौती होता है।

संदर्भ

1. http://www.samaylive.com/nation-hindi 6.08.2010
2. खंडेला, मानचंद 'अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद
3. दीनानाथ मिश्र, 'इस्लाम मुसलमान और आतंकवाद' दैनिक जागरण बरेली 28 सितंबर 2001 पृ0 10
4. त्रिपाठी, मधुसूदन (राष्ट्रीय एकता और आतंकवाद) ओमेगा पब्लिकेशन्स नई दिल्ली, 2008
5. खंडेला, मानचंद 'अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद
6. संपादकीय लेख, अमर उजाला, 13 सितंबर 2010
7. नरेश 'भारतीय आतंकवाद' साहित्य प्रकाशन, मयूर विहार दिल्ली 2003 74–77
8. उपरोक्त

http:/ni.wikipedia.org/wiki 27.08.2010

दैनिक जागरण, बरेली, 9 अप्रैल 2002 पृ0 13

अमर उजाला, नई दिल्ली, बृहस्पतिवार 27 नवंबर 2008 पृ0–1–2

दैनिक समाचार–पत्र 'हिंदुस्तान' 29 नवंबर 2008 पृ0 1

दैनिक जागरण मेरठ, बुधवार 20 अगस्त 2008 पृ0 10

यादव, राम प्रकाश सिंह, शोध पेपर भारत में आतंकवादः एक विश्लेषणात्मक अध्ययन' जर्नल 'सुरक्षा चिंतन' पृष्ट 89 से 95 तक अंक 2 जनवरी 2011

अध्याय : 4

आतंकवाद एवं जनता का दृष्टिकोण

लेखक ने 'आतंकवाद एवं जन साझेदारी' विषय का अनुसंधानात्मक विश्लेषण करने के लिए एक सर्वेक्षण प्रपत्र तैयार किया। उस प्रपत्र के माध्यम से 400 उत्तरदाताओं जनता के विभिन्न आयु, व्यवसाय, लिंग, शिक्षा स्तर का मत प्राप्त किए गए। उत्तरदाताओं का चयन का आधार विभिन्न राज्यों के व्यक्तियों को उचित प्रतिनिधित्व प्रदान करना था। उत्तरदाताओं से सभी प्रकार के प्रश्न किए गए तथा उत्तरदाताओं से प्राप्त उत्तरों के स्वरूप की समीक्षा प्रतिशत के आधार पर करने का प्रयास किया गया है। प्रपत्र में आतंकवाद के कारणों, सरकार की भूमिका, पुलिस की भूमिका तथा 'आतंकवाद की समस्या' से निपटने के विषयों पर प्रश्न पूछे गए। प्रपत्र में अधिकतर प्रश्नों में वैकल्पिक उत्तर दिए गए थे जिनमें से दिए गए उत्तरों में से उत्तरदाताओं को उत्तर देना था तथा कुछ प्रश्नों के उत्तर, उत्तरदाता को स्वतंत्र रूप से लिखने के लिए दिए गए थे। इन प्रश्नों का उद्देश्य उत्तरदाता को समस्या से संबंधित अपने को अभिव्यक्त करने का अवसर प्रदान करना था। उत्तरदाताओं को सर्वेक्षण प्रपत्र के उत्तरों को गोपनीय रखने का आश्वासन दिया गया था तथा उनको विश्वास दिलाया गया था कि उनके द्वारा दिए गए उत्तरों का सांख्यिकी गणना हेतु ही प्रयोग किया गया है।

अध्ययन में केवल 400 उत्तरदाताओं का चयन किया गया है। इस संदर्भ में यह दृष्टिगत करना आवश्यक है कि केवल उपरोक्त संख्या के आधार पर परिकल्पनाओं को सिद्ध अथवा असिद्ध करने में अनेक कमियां रह जाने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता।

परंतु फिर भी लेखक के द्वारा सीमित साधन, समय व सीमाओं को ध्यान में रखते हुए अन्वेषणात्मक अध्ययन का प्रयास किया गया है तथा समस्या के संबंध में निष्कर्ष निकालने का प्रयत्न किया गया है। आयु, धर्म, व्यवसाय, शिक्षा के आधार पर उत्तरदाताओं को निम्न प्रकार दर्शाया जा सकता है।

तालिका–4.1
उत्तरदाताओं की पृष्ठभूमि

आयु के आधार पर

आयु	संख्या	प्रतिशत
18–35	92	23
36–50	176	44
51 से ऊपर	132	33
योग	400	100

धर्म के आधार पर

धर्म	संख्या	प्रतिशत
हिंदू	216	54
इस्लाम	120	38
अन्य	64	16
योग	400	100

व्यवसाय के आधार पर

व्यवसाय	संख्या	प्रतिशत
सरकारी नौकरी	84	21
निजी नौकरी	92	23
व्यवसाय	100	25
पुलिस अधिकारी	72	18
अन्य	52	13
योग	400	100

लिंग के आधार पर

लिंग	संख्या	प्रतिशत
पुरुष	272	68
महिला	128	32
योग	400	100

उत्तरदाताओं के शिक्षा का स्तर

शिक्षा का स्तर	संख्या	प्रतिशत
10वीं कक्षा तक शिक्षित	132	33
12वीं कक्षा तक शिक्षित	84	21
स्नातक स्तर तक शिक्षित	56	14
स्नातकोत्तर स्तर तक शिक्षित	64	16
व्यावसायिक योग्यता	64	16
योग	400	100

आतंकवाद की समस्या के कारणों एवं समाधान के विषय में जानने के लिए 400 उत्तरदाताओं का चयन विभिन्न क्षेत्रों से किया गया। आयु के आधार पर उत्तरदाताओं का चयन विभिन्न वर्गों से किया गया। 23 प्रतिशत उत्तरदाताओं, 18–35 आयु वर्ग से, 44 प्रतिशत उत्तरदाता 36–50 आयु वर्ग से एवं 33 प्रतिशत उत्तरदाताओं का चयन 51 वर्ष के ऊपर आयु वर्ग से किया गया। विभिन्न वर्गों से उत्तरदाताओं को चयन करने का उद्देश्य समाज के सभी आयु वर्ग के लोगों से आतंकवाद के कारणों को जानना था क्योंकि आतंकवाद की समस्या से आज कोई एक वर्ग नहीं बल्कि सभी आयु वर्ग के व्यक्ति प्रभावित हैं।

धर्म के आधार पर भी उत्तरदाताओं का चयन किया गया। 54 प्रतिशत उत्तरदाता हिन्दू धर्म से, 30 प्रतिशत उत्तरदाता इस्लाम धर्म तथा शेष 16 प्रतिशत उत्तरदाता अन्य धर्मों से चयनित किए गए।

व्यवसाय के आधार पर उत्तरदाताओं का चयन सभी व्यवसाय से किया गया। 21 प्रतिशत उत्तरदाता सरकारी नौकरी से, 23 प्रतिशत उत्तरदाता निजी नौकरी से तथा 25 प्रतिशत उत्तरदाताओं का चयन व्यावसायिक वर्ग से किया गया। 18 प्रतिशत उत्तरदाता मजदूर वर्ग

से तथा शेष 13 प्रतिशत उत्तरदाताओं का चयन शेष वर्गों से किया गया। विभिन्न वर्गों से उत्तरदाताओं के चयन का उद्देश्य विभिन्न वर्गों के लोगों की आतंकवाद के संबंध में राय जानना था, क्योंकि आतंकवाद से आज सभी समान रूप से पीड़ित हैं। उत्तरदाताओं में पुरुष एवं महिलाओं को भी उचित प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया।

तालिका–4.2

आतंकवाद के लिए उत्तरदायी कारक

कारण	संख्या	प्रतिशत
सामाजिक कारण	44	11
आर्थिक कारण	148	37
राजनीतिक कारण	52	13
धार्मिक कारण	128	32
अन्य कारण	28	7
योग	400	100

वर्तमान में आतंकवादी घटनाएं दिन–प्रतिदिन बढ़ती जा रही हैं। आतंकवाद के कारणों को जानने के लिए उत्तरदाताओं से प्रश्न पूछा गया कि आतंकवाद का प्रमुख रूप में कौन–सा उत्तरदाई कारक है। 37 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने आर्थिक कारण तथा 32 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने धार्मिक कारणों को प्रमुख रूप से उत्तरदाई माना। उनका मानना था कि ये कारक प्रमुख रूप से नवयुवकों को आतंकवादी गतिविधियों के लिए उकसाते हैं तथा धार्मिक भावनाओं के नाम पर लोगों को आतंकवादी बनाते हैं। 13 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने राजनीतिक कारणों को, 11 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने सामाजिक कारणों तथा 7 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने अन्य कारणों को आतंकवाद के लिए प्रमुख रूप से उत्तरदायी माना।

तालिका–4.3

धार्मिक कट्टरता क्या आतंकवाद के लिए उत्तरदायी है?

क्र.सं.		संख्या	प्रतिशत
1	हां	288	72.0
2.	नहीं	96	24.0
3.	पता नहीं	16	4.0
	योग	400	100

आतंकवाद के कारणों को जानने के पश्चात उत्तरदाताओं से पूछा गया कि क्या धार्मिक कट्टरता आतंकवाद को बढ़ावा देती है। 72 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने इस प्रश्न का सकारात्मक उत्तर दिया। उनका मानना था कि धार्मिक कट्टरता लोगों में धार्मिक उन्माद पैदा करती है जिसके परिणामस्वरूप व्यक्ति धर्म के नाम पर कुछ भी करने को तैयार हो जाता है तथा आतंकवाद की तरफ अग्रसर हो जाता है। 24 प्रतिशत लोगों ने इस तथ्य को स्वीकार नहीं किया कि केवल धार्मिक कट्टरता ही आतंकवाद को बढ़ावा देती है।

तालिका–4.4

दोषपूर्ण शिक्षा प्रणाली एवं व्यावसायिक शिक्षा का अभाव क्या आतंकवाद को बढ़ावा देता है

क्र.सं.		संख्या	प्रतिशत
1	कुछ सीमा तक	104	26
2	बहुत कुछ सीमा तक	240	60
3	बिल्कुल नहीं	56	14
	योग	400	100

उत्तरदाताओं से इस बात को जानने का प्रयास किया गया कि क्या वर्तमान शिक्षा प्रणाली आतंकवाद को बढ़ावा देती है। 60 प्रतिशत उत्तरदाताओं का मानना है कि व्यावसायिक शिक्षा का अभाव पढ़े–लिखे लोगों को आतंकवाद की तरफ धकेल देता है। अच्छे पढ़े–लिखे युवक नौकरी न मिलने के कारण सरलता से आतंकवाद की तरफ मुड़ जाते हैं। आतंकवादी संगठन इन नवयुवकों को आतंकवादी बनने पर अच्छे धन का भुगतान करते हैं। जिस कारण नवयुवक आसानी से इस तरफ मुड़ जाते हैं। 26 प्रतिशत उत्तरदाताओं का मानना था कि दोषपूर्ण शिक्षा प्रणाली तथा व्यावसायिक शिक्षा का अभाव भी कुछ सीमा तक आतंकवाद को बढ़ावा देता है जबकि 14 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने इस बात को अस्वीकार कर दिया।

तालिका–4.5

सरकार की निष्क्रियता क्या आतंकवाद को बढ़ावा देती है?

क्र.सं.		संख्या	प्रतिशत
1	कुछ सीमा तक	168	42
2	बहुत कुछ सीमा तक	208	52
3	बिल्कुल नहीं	24	6
	योग	400	100

उत्तरदाताओं से पूछा गया कि क्या सरकार की निष्क्रियता भी आतंकवाद को बढ़ावा देती है। 42 प्रतिशत उत्तरदाताओं का मानना था कि आतंकवादियों के विरुद्ध कड़े कदम न उठाए जाने के कारण आतंकवादी घटनाएं निरंतर बढ़ती जा रही हैं। उत्तरदाताओं ने उदाहरणों के द्वारा भी अपनी बात को स्पष्ट किया कि किस प्रकार आतंकवादियों पर सालोसाल तक मुकदमे चलते रहते हैं परंतु उनको आसानी से कोई सजा नहीं मिल पाती है। इसलिए सरकार की नीतियां भी आतंकवाद को बढ़ावा देती हैं। 52 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने माना कि सरकार की निष्क्रियता केवल कुछ सीमा तक आतंकवाद को बढ़ावा देती है। जबकि 46 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने इसको अस्वीकार कर दिया।

तालिका–4.6

बाहरी देशों का हस्तक्षेप क्या आतंकवाद को बढ़ावा देता है?

क्र.सं.		संख्या	प्रतिशत
1	कुछ सीमा तक	124	31
2	बहुत कुछ सीमा तक	248	62
3	नहीं	28	7
	योग	400	100

62 प्रतिशत उत्तरदाताओं का मानना है कि बाहरी देशों का हस्तक्षेप आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ावा देता है। इनका मानना है कि कुछ देश अपने हितों को पूरा करने के लिए दूसरे देशों में आतंकवादी घटनाओं को अंजाम देने के लिए आतंकवादियों को सहयोग प्रदान करते हैं तथा आर्थिक सहायता भी प्रदान करते हैं। कुछ उत्तरदाताओं ने माना कि भारत में आतंकवादी गतिविधियों के लिए बहुत कुछ सीमा तक पड़ोसी देश जिम्मेदार हैं। 31 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने बताया कि बाहरी देशों का हस्तक्षेप केवल कुछ सीमा तक आतंकवाद को बढ़ावा देता है। 7 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने इससे अनभिज्ञता जाहिर की।

तालिका–4.7

सामाजिक वातावरण क्या आतंकवाद को बढ़ावा देता है?

क्र.सं.		संख्या	प्रतिशत
1	कुछ सीमा तक	64	16
2	बहुत कुछ सीमा तक	268	67
3	नहीं	68	17
	योग	400	100

67 प्रतिशत उत्तरदाताओं का मानना है कि सामाजिक वातावरण विशेष रूप से सामाजिक पिछड़ापन आतंकवाद के लिए अधिक जिम्मेदार है। सामाजिक पिछड़ापन वे परिस्थितियां हैं जिनमें जनता अपनी पुरानी मान्यताओं, परंपराओं एवं रूढ़ियों से चिपकी रहती है तथा नवीनता को स्वीकार नहीं करती हैं जिस कारण ये आसानी से आतंक के साये में आ जाते हैं। 16 प्रतिशत उत्तरदाताओं का मानना है कि सामाजिक वातावरण कुछ सीमा तक आतंकवाद को बढ़ावा देता है जबकि 17 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने इस तथ्य को अस्वीकार कर दिया।

आतंकवाद से सबसे अधिक पीड़ित वर्ग

लेखक के द्वारा उत्तरदाताओं से इस बात को जानने का प्रयास किया गया कि आतंकवादी गतिविधियों से समाज का सबसे अधिक पीड़ित कौन–सा वर्ग है। अधिकतर उत्तरदाताओं का मानना है कि समाज के सभी वर्ग आतंकवाद से पीड़ित हैं। उन्होंने बतलाया कि आतंकवाद कोई वर्ग नहीं देखता बल्कि वह समस्त समाज के लिए समान रूप से हानिकारक है। सामान्यतः आतंकवादियों के द्वारा अपनी जायज एवं नाजायज मांगों को मनवाने के लिए गैर कानूनी साधनों का प्रयोग किया जाता है। उत्तरदाताओं से पूछने पर कि क्या अपनी मांगों को मनवाने के लिए गैर कानूनी तरीकों का प्रयोग उचित है। इस संबंध में अधिकतर उत्तरदाताओं का मानना था कि आतंकवादियों द्वारा अपनी मांगों को मंगवाने का तरीका बिल्कुल उचित नहीं है। उनका मानना था कि अपनी मांगों को मनवाने के लिए लोकतांत्रिक साधनों का प्रयोग करना चाहिए क्योंकि अपनी मांगों को मनवाने के

लिए गलत तरीकों का प्रयोग कर दूसरों को हानि पहुंचाना बिल्कुल उचित नहीं है। अतः उनके द्वारा अपनाए गए साधनों को बिल्कुल भी उचित नहीं ठहराया जा सकता।

तालिका–4.8

पुलिस द्वारा आतंकवाद से निपटने के लिए की गई कार्रवाइयां पर्याप्त हैं ?

क्र.सं.	प्रतिक्रिया	संख्या	प्रतिशत
1	नहीं	72	18
2.	बिल्कुल नहीं	280	70
3	कुछ सीमा तक	48	12
	योग	400	100

आतंकवाद से निपटने के लिए पुलिस के द्वारा विभिन्न प्रकार की कार्रवाई की जाती है। इस संबंध में उत्तरदाताओं का मानना था कि पुलिस के द्वारा की गई कार्रवाइयां आतंकवाद से निपटने के लिए पूर्ण रूप से पर्याप्त नहीं है। आतंकवादियों के द्वारा आतंकवादी घटनाओं को अंजाम देने के लिए नित नए तरीकों का प्रयोग किया जाता है। जबकि पुलिस बल अभी भी पुराने तरीकों पर काम कर रहा है। इसलिए वर्तमान में आतंकवाद की समस्या से निपटने के लिए पुलिस की भूमिका को पर्याप्त नहीं माना जा सकता।

तालिका–4.9

आतंकवाद से निपटने के लिए क्या पुलिस को और प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए?

क्र.सं.	प्रतिक्रिया	संख्या	प्रतिशत
1	हां	328	82
2	नहीं	72	18
	योग	400	100

आतंकवादियों द्वारा आतंकवाद की घटनाओं को अंजाम देने के लिए रोजाना नए–नए तरीकों का प्रयोग किया जाता है। इसलिए अधिकतर उत्तरदाताओं का मानना था कि पुलिस को भी इनसे निपटने के लिए पर्याप्त प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। जिससे कि आतंकवादी

घटनाओं को घटने से रोका जा सके। उत्तरदाताओं ने सुझाव दिया कि आतंकवादी घटना घटने के बाद पीड़ितों की किस प्रकार सहायता की जाए, इसके लिए भी प्रशिक्षण प्रदान किया जाना चाहिए। पुलिस को भी अत्याधुनिक हथियारों से लैस कर उनका पर्याप्त प्रयोग करने का प्रशिक्षण भी दिया जाना चाहिए।

तालिका–4.10

सरकार के द्वारा प्रथम रूपेण किया जाने वाला प्रयास

क्र.सं.	प्रतिक्रिया	संख्या	प्रतिशत
1	विकास को बढ़ावा	208	52
2	भ्रष्टाचार को दूर करना	32	8
3	व्यावसायिक शिक्षा को बढावा	112	28
4	व्यवस्था में सुधार	48	12
	योग	400	100

आतंकवाद आज सरकार के समक्ष बड़ी चुनौती बन चुका है। सरकार के द्वारा आतंकवाद से निपटने के लिए अब तक अनेक प्रयास किए जा चुके हैं परंतु आतंकवादी घटनाएं निरंतर बढ़ती जा रही हैं। अधिकतर उत्तरदाताओं ने इस बात को स्वीकार किया कि सरकार को सबसे पहले आतंकवादी घटनाओं से निपटने के प्रयास करने चाहिए तथा साथ–साथ आतंकवाद की समस्या को जड़ से समाप्त करने के लिए प्रयास करने चाहिए। 52 प्रतिशत उत्तरदाताओं का मानना था कि सरकार के द्वारा विकास कार्यों को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। उनका मानना था कि अधिकतर बेरोजगार युवक धन प्राप्ति की लालसा में आतंकवादी संगठनों से जुड़ जाते हैं इसलिए सरकार के द्वारा बेरोजगारी को दूर करने के साथ–साथ विकास कार्यों को भी बढ़ावा देना चाहिए। 28 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने बताया कि शिक्षा में व्यावसायिक शिक्षा को पर्याप्त स्थान दिया जाना चाहिए जिससे रोजगार के अभाव में नवयुवक आतंकवादी न बन पाएं। 12 प्रतिशत उत्तरदाताओं का मानना था कि आतंकवादी घटनाओं को रोकने के लिए सरकार के द्वारा कड़े कदम उठाए जाने चाहिए। आतंकवादियों को कड़ी सजा का प्रावधान होना चाहिए जिससे कोई भी आतंकवादी, आतंकवादी घटना को अंजाम देने से पहले उसके परिणाम के विषय में अवश्य सोचेगा।

तालिका–4.11

जनता के स्तर पर किए जाने वाले प्रयास

क्र०सं०		संख्या	प्रतिशत
1	सरकार पर विकास के लिए दबाव बनाना	104	26
2	जनता को जागरूक बनाना	104	26
3	सरकार को सहयोग प्रदान करना	192	48
	योग	400	100

सरकार के द्वारा आतंकवाद की समस्या से निपटने के लिए अनेक प्रयास किए जा चुके हैं परंतु यह समस्या अभी भी सरकार के समक्ष चुनौती के रूप में खड़ी है। इसलिए आज आवश्यकता इस बात की है कि आतंकवाद से निपटने के लिए जनता के द्वारा भी प्रयास किए जाने चाहिए। इस संबंध में 48 प्रतिशत उत्तरदाताओं का मानना था कि आतंकवाद से निपटने के लिए जनता को, सरकार को हर कदम पर सहयोग करना चाहिए, क्योंकि कोई भी नीति जनता को सहभागिता के अभाव में अपेक्षित परिणाम नहीं दे सकती। क्रमशः 26 प्रतिशत उत्तरदाताओं का मानना था कि आतंकवाद को रोकने के लिए जनता को सरकार पर दबाव बनाना चाहिए तथा जनता में आतंकवाद से निपटने के लिए जागरूकता लानी चाहिए। 48 प्रतिशत उत्तरदाताओं का मानना था कि अतंकवाद से निपटने के लिए जनता को पूर्ण रूप से सरकार को सहयोग प्रदान करके सरकार के हाथ मजबूत करने चाहिए जिससे सरकार प्रभावपूर्ण कार्रवाई कर सके।

तालिका–4.12

आतंकवाद से निपटने के लिए पुलिस के द्वारा किए जाने वाले प्रयास

1 जनता का सहयोग प्राप्त करना
2 अधिकारियों एवं कर्मचारियों में उचित समन्वय
3 सरकारी नीतियों का उचित पालन
4 पुलिस को अत्याधुनिक अस्त्र–शस्त्र प्रदान करना
5 प्रशिक्षण प्रदान करना

समाज में शांति एवं व्यवस्था बनाए रखने का कार्य प्रमुख रूप से पुलिस के द्वारा किया जाता है। इसलिए इस संबंध में उत्तरदाताओं से

प्रश्न पूछा गया कि आतंकवाद से निपटने के लिए पुलिस के द्वारा क्या–क्या प्रयास किए जाने चाहिए। उत्तरदाताओं का मानना था कि यद्यपि आतंकवाद को रोकने की समस्त जिम्मेदारी पुलिस की होती है परंतु वास्तव में जनता की साझेदारी के अभाव में आतंकवाद से भली–भांति नहीं निपटा जा सकता है। इसलिए पुलिस को आतंकवाद से भली–भांति निपटने के लिए जनता का सहयोग प्राप्त करना चाहिए। आतंकवाद से निपटने के लिए अधिकारियों एवं कर्मचारियों के मध्य उचित समंवय होना चाहिए जिससे कि आतंकवादियों के विरुद्ध कार्रवाइयों को भली–भांति अंजाम दिया जा सके। मुम्बई हमलों के दौरान एक पुलिस उच्च अधिकारी के द्वारा यह आरोप लगाया गया था कि उनके कनिष्ठ अधिकारियों ने उनको सहयोग प्रदान नहीं किया। इसलिए आवश्यकता इस बात की है कि इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति से बचा जाए तथा उच्च अधिकारियों एवं कर्मचारियों के मध्य उचित समन्वय होना चाहिए। पुलिस के द्वारा सरकार की बनाई गई नीतियों का उचित पालन किया जाना चाहिए तथा सरकार को नीति निर्माण में अपनी सलाह देनी चाहिए।

सरकार के द्वारा पुलिस की भूमिका को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए उनको अत्याधुनिक अस्त्र–शस्त्र प्रदान किए जाने चाहिएं। वर्तमान में पुलिस के द्वारा बंदूक के सहारे आतंकवादियों का सामना नहीं किया जा सकता है। इसलिए पुलिस को नई–नई तकनीकें उपलब्ध कराई जानी चाहिए।

पुलिस को समय–समय पर प्रशिक्षण भी प्रदान किया जाना चाहिए। यद्यपि सरकार के द्वारा आतंकवाद से निपटने के लिए विशेष कमांडोज की व्यवस्था की गई है परन्तु वर्तमान में सभी जगह कमांडोज की उपस्थिति कठिन कार्य है इसलिए वर्तमान परिस्थितियों में यह आवश्यक है कि आतंकवाद से निपटने के लिए पुलिस की भूमिका को और अधिक प्रभावी एवं सारगर्भित बनाया जाए।

अध्याय : 5

आतंकवाद को रोकने एवं जन साझेदारी प्राप्त करने के साधन

आतंकवाद की समस्या न केवल भारत बल्कि समस्त विश्व के समक्ष एक कठिन चुनौती के रूप में उभरी है। आतंकवादी घटनाएं आज सभी देशों में किसी न किसी रूप में घटित हो रही हैं। वर्ष 2001 में अमेरिका में घटी आतंकवादी घटना ने आतंकवाद के वीभत्स चेहरे को समस्त विश्व के सामने लाकर रख दिया है तथा विकसित देशों के समक्ष चुनौती के रूप में उभरा है। वर्तमान में आतंकवादियें के हौसले इतने बुलंद हो चुके हैं कि वे किसी भी स्थान पर आतंकवादी घटनाओं को अंजाम देने से नहीं चूकते। पूर्व में अधिकतर कमजोर राष्ट्रों को आतंकवादियों के द्वारा अपना निशाना बनाया जाता था परंतु अब समृद्ध राष्ट्र भी इससे नहीं बच पा रहे हैं। वर्तमान में सभी राष्ट्रों के समक्ष यह प्रमुख चुनौती बन गई है। इसलिए आज आवश्यकता इस बात की है कि सभी राष्ट्रों के द्वारा इस चुनौती का सामना मिलजुलकर करना चाहिए तभी इस समस्या का समाधान सम्भव हो सकता है।

आतंकवाद एक ऐसी समस्या है जिसके महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय पक्ष हैं। आतंकवाद आंतरिक या बाह्य शक्तियों द्वारा प्रेरित या संचालित होता है। एक देश द्वारा दूसरे देश के आतंककारियों को प्रशिक्षण, आर्थिक सहायता, हथियार तथा अन्य तरीकों से समर्थन देने की प्रैवृत्ति व घटनाएं वर्तमान समय में अधिक पाई जाती हैं। इसीलिए इस समस्या का समाधान केवल आंतरिक कानून और सुरक्षा साधनों के द्वारा संभव नहीं है। अतः इस समस्या को अंतर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में समझने की महती आवश्यकता है। आज आतंकवाद लगभग सभी

देशों के लिए एक महत्वपूर्ण राजनीतिक एवं राजनयिक चुनौती बन गया है। आतंकवाद का उद्देश्य हिंसा के द्वारा अपने लक्ष्यों और हितों की ओर ध्यान आकर्षित करना होता है। इसी हिंसा की सहायता से आतंकवादी सरकार की नीतियों या निर्णयों में अपने हितों के अनुकूल परिवर्तन कराने का प्रयत्न करते हैं। इसके अंतर्राष्ट्रीय विस्तार को देखते हुए विश्व समुदाय के देशों में इसके विरुद्ध कानूनी, पुलिस, तथा राजनीतिक स्तरों पर कार्रवाई करने के प्रति चिंता व सहयोग की भावना पाई जाती है। स्वाभाविक ही है कि आतंकवाद से निपटने के लिए एक काफी महत्वपूर्ण तरीका कानूनी तरीका है। प्रायः सभी प्रजातांत्रिक देशों में अपराध, हिंसा और आतंकवाद का दमन करने के लिए कानून को एक उपयुक्त साधन समझा जाता है। परंतु पिछले वर्षों का अंतर्राष्ट्रीय अनुभव यह बताता है कि आतंककारी विधियों से निपटने के लिए कानून के जितने तरीके काम में लिए गए, उनमें से अधिकतर असफल रहे। कुछ आतंकवादी तो अपराध करते समय ही पुलिस कार्रवाई में मारे जाते हैं, और कुछ उसी समय या बाद में पकड़ लिए जाते हैं परंतु यह देखा जाता है कि कई बार उन्हें उनके साथी आतंकवाद की अन्य घटनाओं (जैसे विमान अपहरण में यात्रियों को बंदी बनाकर अपने साथियों को रिहा कराने के लिए सौदेबाजी के रूप में उपयोग) द्वारा मुक्त करा लेते हैं। इस प्रकार उन्हें कानून के अनुसार पूरा दंड नहीं मिल पाता। इस संबंध में, विशेष रूप से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, कानून तथा विभिन्न देशों के राजनीतिक संबंधों के कारण, कई समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। आतंकवाद वास्तव में एक आपराधिक कार्य ही है। प्रत्येक देश आंतरिक रूप से अपराध और आतंकवाद का दमन करने में अत्यंत कठोर और प्रभावी कदम उठाने का प्रयास करता है। परंतु जहां तक अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद को रोकने का प्रश्न है, इसमें न केवल अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक स्थिति ही समस्या खड़ी करती है, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर निश्चित प्रभावी कानून, पुलिस तथा न्याय व्यवस्था का अभाव भी एक बहुत बड़ी कमी है। एक सामान्य धारणा, आंतरिक और अंतर्राष्ट्रीय दोनों स्तरों पर पाई जाती है कि आतंकवाद से निपटने के लिए वर्तमान कानून अपर्याप्त या कम कठोर हैं, अतः और सख्त कानून तथा कठोरता की आवश्यकता है। इसका परिणाम यही होता है, कि एक के बाद एक

कठोर कानून निर्मित होते रहते हैं, परंतु आतंकवाद से निपटने के लिए कानून के क्रियान्वयन का जो मूलदोष है, उसे दूर नहीं किया जाता है। प्रत्येक समस्या का समाधान केवल कानून या और अधिक कानून ही नहीं होता। हमें इस बात पर भी विचार करना चाहिए कि कानून के क्रियान्वयन में क्या दोष है अथवा उसकी प्रभावशीलता कम क्यों है। विश्व समुदाय के विभिन्न देशों ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आतंकवाद की, चाहे वह किसी भी देश में हो, निंदा करना, उसे डकैती या लूटपाट के सामान्य अपराध के रूप में दंडित करना, प्रभावित देश के कानूनों के अनुसार आतंककारियों पर मुकदमे चलाना, कुछ कार्यों को दंडनीय अपराध की श्रेणी में रखना, भले ही वे किसी भी स्थान पर किए गए हों तथा अपराध करनेवाले आतंककारियों को उसी देश में वापिस भेज देना जिसके क्षेत्र में या जिसके नागरिकों, वायुयानों इत्यादि के विरुद्ध आतंकवादी गतिविधियां की गई हैं ताकि उन्हें उसी देश के कानूनों के अनुसार दंड दिया जा सके परन्तु ये उपाय अधिक संतोषजनक परिणाम नहीं दे सके। इसका प्रमुख कारण यह है कि अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद के विरुद्ध जो भी नियम या कानून बनाए गए उन पर आम सहमति नहीं हो सकी।

किसी विशिष्ट गतिविधि को लेकर परस्पर आरोप–प्रत्यारोप लगाए जाते रहे और कभी–कभी कानून में जान–बूझकर ऐसे दोष छोड़ दिए गए जिससे आतंकवादियों को दंड से बचाया जा सके। संयुक्त राष्ट्रसंघ में इन विषयों को लेकर पर्याप्त मतभेद रहा है। जहां कुछ देशों ने किसी भी प्रकार के आतंकवाद को रोकने या नियंत्रित करने की बात कही, वहीं अन्य देशों द्वारा तर्क प्रस्तुत किया गया कि आतंकवाद के कारणों और परिस्थितियों को देखते हुए ही इसको निंदनीय अपराध माना जाए क्योंकि उनके अनुसार अन्याय, शोषण, स्वतंत्रता, मानव अधिकार इत्यादि के लिये संघर्ष कर रहे व्यक्तियों व समूहों की गतिविधियों पर रोक लगाना अनुचित है। इस प्रकार की चर्चा व मतभेद संयुक्त राष्ट्रसंघ में सन् सत्तर के दशक से ही चल रहे हैं, जबसे अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद की समस्या ने जोर पकड़ा था। अनेक प्रयत्नों के बाद दिसंबर 1985 में संयुक्त राष्ट्रसंघ की महासभा ने एक प्रस्ताव पारित किया जिसमें ''आतंकवाद'' की सभी क्रियाओं, विधियों और तरीकों को अपराध मानते हुए ''निंदा'' की गई। साथ ही,

संयुक्त राष्ट्रसंघ के मूल आदर्शों के अनुसार विश्व के विभिन्न समूहों को अपने मूल अधिकारों की रक्षा करने तथा उपनिवेशवादी और रंगभेदी सरकारों के विरुद्ध संघर्ष करने की वैधता को भी स्वीकार किया गया परंतु इन सभी चर्चाओं और प्रस्तावों के पीछे एक बात स्पष्ट रही कि उचित या ''जायज'' लक्ष्य प्राप्त करने के लिए आतंककारी गतिविधियों की वैधता को किसी न किसी रूप में स्वीकारा गया। इन चर्चाओं और प्रस्तावों से यह स्पष्ट नहीं होता कि हिंसा के उपयोग की क्या ''जायज'' सीमाएं या परिस्थितियां हैं? यहां तक कि आतंकवादी कार्यों– जैसे हत्या, विमान अपहरण, बम विस्फोट, सशस्त्र आक्रमण तथा लूटपाट जैसे अपराध करने वालों को भी या तो संबंधित देश वापिस नहीं भेजा जाता या उन पर मुकदमें नहीं चलाए जाते तथा कभी–कभी तो इनको राजनीतिक कारणों से छोड़ भी दिया जाता है।

इस तरह अंतर्राष्ट्रीय कानून तथा राजनीतिक स्थिति अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद की समस्या से निपटने में अधिक प्रभावी नहीं हैं। इनके द्वारा न तो आतंकवाद की कोई सर्वमान्य परिभाषा ही बनाई जा सकती है और न ही उससे निपटने के प्रभावी कदम उठाए जा सके हैं। वास्तविकता यह है कि इस समस्या पर प्रत्येक देश का दृष्टिकोण अपने–अपने राष्ट्रीय हितों व राजनीति से प्रभावित होता रहा है। अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद से निपटना तब और कठिन हो जाता है जब किसी देश की सरकार द्वारा दूसरे देश में आतंकवादियों को विभिन्न प्रकार से समर्थन दिया जाता है अथवा स्वयं अपनी सरकारी एजेंसियों और गुप्तचर संगठनों द्वारा दूसरे देश में अस्थिरता फैलाने के लिए आतंकवाद का उपयोग किया जाता है। ऐसी स्थितियों के परिणाम न केवल अंतर्राष्ट्रीय तनाव की वृद्धि के रूप में सामने आते हैं बल्कि संबंधित देशों को युद्ध के कगार तक भी पहुंचा देते हैं। इन सब कारणों से समसामयिक पुलिस और सुरक्षा बलों तथा कानून के अन्य अभिकरणों को आतंकवाद के राष्ट्रीय आयाम के साथ–साथ उसके अंतर्राष्ट्रीय पहलुओं पर भी पर्याप्त ध्यान देना आवश्यक है।

प्रजातांत्रिक देशों में आतंकवाद की समस्या

प्रजातांत्रिक राज्य के लिए आतंकवाद एक अधिक गंभीर तथा वास्तविक चुनौती होता है। निरंकुश तथा तानाशाही शासन व्यवस्थाओं

में राज्य द्वारा आंतरिक सुरक्षा तथा व्यवस्था को चुनौती देनेवाले किसी भी खतरे को बिना किसी संकोच के तत्परतापूर्वक और कठोरता से दमित कर दिया जाता है। इस प्रकार के राज्यों और शासन पद्धतियों में दमनकारी तरीके उनकी जीवन पद्धति का ही अंग बन जाते हैं। अतः इन तरीकों का उपयोग सामान्य बात होती है परंतु प्रजातांत्रिक सरकार और व्यवस्था में आतंकवाद का दमन करने के साथ ही नागरिकों के जीवन और स्वतंत्रता जैसे मूल अधिकारों की रक्षा करना भी अनिवार्य हो जाता है। स्वतंत्र और खुले समाज में निरंकुश तरीकों तथा कानून की ज्यादतियों को न केवल असहनीय ही माना जाता है बल्कि इनके परिणामस्वरूप आतंकवादियों के इरादों और लक्ष्यों को ही योगदान मिलता है क्योंकि राज्य की इस प्रकार की कार्रवाई से समाज के विभिन्न वर्गों में असंतोष, क्षोभ, विरोध और अंत में विद्रोह की भावनाएं ही पनपती हैं।

अतः प्रजातांत्रिक राज्य में आतंकवादियों के विरुद्ध संघर्ष बड़ा ही कठिन और संवेदनशील विषय होता है। नागरिक स्वतंत्रता के आदर्श को बनाए रखना तथा मानव अधिकारों की सुरक्षा की गारंटी देना, प्रजातांत्रिक राज्य में राजनीतिक और नैतिक दोनों दृष्टिकोणों से आवश्यक है। साथ ही स्वतंत्र समाज में निहित, स्वार्थ और संकुचित दृष्टिकोण रखनेवाले तत्व स्वतंत्रता का लाभ उठाकर गैर कानूनी गतिविधियों में संलग्न होकर अपने स्वार्थों तथा हितों की पूर्ति करने का प्रयास करने लगते हैं। ऐसी स्थिति में इन तत्वों से निपटने के लिए राज्य और कानून की संस्थाओं को अत्यंत संतुलित और सूझ–बूझपूर्ण कदम उठाना होता है।

राजनीतिक इच्छा–शक्ति

इस संतुलित कदम या कार्रवाई का एक अत्यंत महत्वपूर्ण तत्व आवश्यक है– राजनीतिक इच्छा–शक्ति। राजनीतिक इच्छा–शक्ति की बात तो आसानी से की जा सकती है परंतु व्यवहार में उसको क्रियान्वित करना अत्यंत कठिन कार्य होता है। आतंकवादी चुनौती का ध्येय ही यही होता है कि वह समाज में भय तथा आतंक का वातावरण उत्पन्न कर राज्य और समाज की प्रतिरोध करने की इच्छा–शक्ति, क्षमता, तथा मनोबल को समाप्त कर दे। आतंकवाद की इस चुनौती

को गलत साबित करने के लिए राज्य, कानून के अभिकरण, और सामान्य नागरिकों सभी में ऊंचे स्तर की दृढ़ता एवं शक्ति की आवश्यकता होती है। तभी आतंकवाद की गंभीर चुनौती का सामना किया जा सकता है। इसके लिए राज्य, कानून की एजेंसियों तथा सामान्य नागरिकों के बीच भी समझ–बूझ तथा समन्वय आवश्यक है। इस प्रकार का समन्वय सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न दिशाओं में प्रयास किए जा सकते हैं। प्रथम, कानून के विभिन्न अभिकरणों (पुलिस, न्याय व्यवस्था इत्यादि) की कार्यक्षमता, विशेषरूप से आतंकवाद विरोधी अभियानों को सफल बना सकने की क्षमता की वृद्धि का हर प्रकार से प्रयास किया जाना चाहिए। इसके लिए जो भी संगठनात्मक परिवर्तन, प्रशिक्षण, साधन, हथियार इत्यादि आवश्यक हों, वे उन्हें तत्परता से उपलब्ध कराए जाने चाहिए। इस संबंध में यह बात हमेशा ध्यान में रखी जानी चाहिए कि आपराधिक आतंकवाद चाहे वह किसी भी कारण से हो, संवैधानिक, शासन तथा स्वयं प्रजातंत्र के लिए गंभीर खतरा है। अतः कानून और प्रशासकीय स्तर पर उसका मुकाबला हर कीमत पर किया जाना चाहिए। हमें यह बात भी नहीं भूलनी चाहिए कि आतंकवाद केवल राष्ट्र, समाज, या व्यक्तियों के लिए ही खतरा नहीं है बल्कि अराजकता फैलाने के उद्देश्य के कारण स्वयं कानूनसम्मत शासन और यहां तक कि समूची मानव सभ्यता के नियमों और आदर्शों के लिए चुनौती है। कानून सम्मत शासन ही प्रजातंत्र का आधार होता है। कानूनसम्मत शासन प्रजातंत्र की ऐसी सामूहिक धरोहर है जिसकी अनिवार्यता केवल कानून के पालन तक ही सीमित नहीं है, बल्कि प्रजातांत्रिक समाज की जीवन पद्धति का एक अविभाज्य अंग बन जाता है जो नागरिकों के दैनिक जीवन पद्धति में परिलक्षित होता है।

नागरिकों के जीवन की शांतिपूर्ण दिनचर्या, संतोष तथा सुख कानूनसम्मत शासन की सफलता पर ही आश्रित होते हैं। कानूनसम्मत शासन के बिना जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में अराजकता का साम्राज्य फैल जाएगा, जो कि आतंकवाद का चरम लक्ष्य होता है। आतंकवादी घटनाएं– अपहरण, हत्या, लूटपाट–निर्दोष व्यक्तियों और कानूनसम्मत शासन के बीच दीवार बन जाती हैं। किसी भी प्रकार के लक्ष्यों को प्राप्त करने के आधार पर इन तरीकों को उचित नहीं ठहराया जा

सकता। कम से कम भारत में तो बिल्कुल भी नहीं, जहां राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने भी यही सिद्धांत प्रतिपादित किया था कि कोई भी लक्ष्य, भले ही वे कितने ऊंचे या आदर्श क्यों न हों, अनुचित साधनों को उचित सिद्ध नहीं कर सकते। हत्या, अपहरण, लूटपाट सभी सभ्य देशों में अपराध माने जाते हैं। आतंककारियों द्वारा किए जाने के कारण से ही उनकी आपराधिक गंभीरता कम नहीं हो जाती, वे अपने उत्तरदायित्व से सिर्फ इसलिए मुक्त नहीं हो जाते कि उनके पीछे कथित ''उच्च'' आदर्श या लक्ष्य हैं।

शिक्षा और प्रचार

आतंकवाद का मुकाबला कानून की ऐजेंसियां प्रभावी रूप में करें, यह तो आवश्यक ही है परंतु साथ ही एक प्रजातांत्रिक और खुले समाज में जनता की जागरूकता और समर्थन की भी अत्यंत आवश्यकता होती है। प्रजातांत्रिक राज्य के अपने कुछ प्रतिबंध होते हैं। सामान्य जन का विश्वास हासिल करना आतंकवाद के विरुद्ध संघर्ष में अत्यंत आवश्यक है। समस्या की गंभीरता, सरकारी एवं कानूनी कार्रवाई की आवश्यकता तथा कानून की ऐजेंसियों को जन सहयोग के महत्व का ज्ञान प्रत्येक नागरिक को दिलाना आवश्यक है। इसके लिए शिक्षा एवं जन–प्रचार के माध्यमों का उपयोग सही ढंग से किया जाना आवश्यक है। शिक्षा एवं प्रचार का इसमें विशेष महत्व है। जन सहयोग तथा समर्थन प्राप्त करने के लिये आवश्यक है कि पहले लोगों को आतंकवाद के यथार्थ स्वरूप व गंभीर परिणामों की जानकारी कराई जाए ताकि उसके प्रति चेतना व जागृति उत्पन्न हो। उनकी रुचि व ज्ञान केवल आतंकवादी घटनाओं के समाचार पढ़ने या सुनने तक ही सीमित न रहे बल्कि वे उसके दूरगामी परिणामों–व्यक्ति, समाज, प्रजातंत्र के लिए– से भी परिचित हो सकें।

प्रायः शिक्षा और प्रचार के महत्व को कम करके देखा जाता है। यह स्वाभाविक भी है क्योंकि आतंकवाद जैसे उग्र अपराध से निपटने में पुलिस और सुरक्षा के आतंकवादी विरोधी अभियानों और तरीकों के बारे में ही अधिकतर सोचा जाता है परंतु यह पर्याप्त नहीं है, आवश्यक भले ही हो। इन अभियानों और सरकारी कार्रवाइयों के प्रति जन समर्थन प्राप्त करने में शिक्षा का मूलभूत महत्व है। यदि सामान्य जन

आतंकवादियों द्वारा प्रस्तुत उनकी गतिविधियों और उद्देश्यों के औचित्य को, चाहे वह राजनीतिक, धार्मिक, क्षेत्रीय या कथित अन्याय और भेदभाव पर आधारित हो स्वीकार कर लेते हैं या सही मानते हैं तब आतंककारियों की गतिविधियों को एक प्रकार की वैधता तथा जन समर्थन प्राप्त हो जाता है। उस स्थिति में कानूनी एवं सुरक्षात्मक अभियानों के विरुद्ध भी जन प्रतिरोध या क्षोभ उत्पन्न हो जाता है, जो इनकी सफलता में बाधा उपस्थित करके आतंककारियों के लिए ही सहायक होता है। अतः उचित शैक्षणिक एवं प्रचार माध्यमों से जनता को आतंकवाद की वास्तविकता से परिचित कराना आवश्यक है।

तात्कालिक उपाय

आतंकवाद की उत्पत्ति में सामाजिक, आर्थिक, असमानता, अन्याय और शोषण का योगदान होता है, अतः एक प्रजातांत्रिक राज्य का यह कर्तव्य है कि इन आधारभूत कारणों और परिस्थितियों को यथा संभव दूर करने का प्रयास करें। कभी–कभी पृथकतावाद, धार्मिक रूढ़िवाद, फासीवाद, या विशुद्ध आपराधिक विचारों से प्रेरित होकर हिंसात्मक कार्रवाइयां की जाती हैं। इन सभी मांगों या शिकायतों का समाधान भी संभव नहीं है। यह भी निश्चित नहीं है कि कुछ मांगों को मान लिए जाने के बाद आतंकवाद समाप्त हो जाएगा। आतंकवादी गुटों में भी परस्पर मतभेद होता है और आतंकवादी तथा उदारवादी गुटों के बीच भी। अतः इस बात की कोई गारंटी नहीं होती कि किसी एक गुट या वर्ग की मांग मान लेने से हिंसा समाप्त हो जाएगी या नई मांगें उत्पन्न नहीं होंगी।

आतंकवाद का मनोविज्ञान

आतंकवाद का प्रमुख उद्देश्य व्यवस्था भंग करना होता है। वह यह प्रदर्शित करना चाहता है कि अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए न तो वह अन्य नागरिकों के अधिकारों का सम्मान करता है और न ही कानून की परवाह करता है। वास्तव में आतंककारी गतिविधियों–हत्या, अपहरण इत्यादि–के माध्यम से मानवता, धर्म, कानून, समाज सभी के प्रति अपनी अवमानना प्रदर्शित करता है। वह यह सिद्ध कर देना चाहता है कि लक्ष्य प्राप्ति के लिए वह कितना क्रूर, निर्मम व कठोर हो

सकता है। इस प्रकार की घटनाओं के उदाहरण अमेरिका एवं भारत आदि देशों में देखे गए हैं। वह सरकार को वश में करने के लिए विवश करता है जो कि सरकार कानूनी रूप से नहीं कर सकती। आतंक फैलाने के लिए ही वह निर्दोष व्यक्तियों के साथ नृशंस व्यवहार करता है तथा अपनी ''बहादुरी'' और निडरता की छाप डालना चाहता है। वह यह भी प्रदर्शित करना चाहता है कि अपने ''आदर्श'' के लिए उसे अपने जीवन की भी परवाह नहीं है। वह ''गोलियों'' और फांसी से नहीं डरता। इन सब बातों के पीछे वास्तव में दो उद्देश्य होते हैं। पहला, वह अपनी शक्ति तथा इरादों का प्रदर्शन करना चाहता है, दूसरा, सरकार के इरादों तथा शक्ति या उसकी कमजोरी का भी परीक्षण करना चाहता है। इन घटनाओं के द्वारा वह यह देखने का प्रयत्न करता है कि सरकार की सहनशीलता की सीमा क्या है, वह आतंकवाद के विरुद्ध क्या और कितना संघर्ष कर सकती है या उसे कहां तक झुकाया जा सकता है। यदि सरकार आतंकवादियों के दबाव में आकर उनकी मांगें पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से मान लेती है, तो यह उसकी कमजोरी का प्रमाण होगा जो कि आतंककारियों के भावी इरादों और कार्रवाइयों को प्रोत्साहन दे सकता है। आतंकवादी यह भी जानता है कि एक प्रजातांत्रिक राज्य में सरकार की यह विवशता होती है कि अत्यधिक कठोर कदम या कानून सरकार के प्रति विरोध या असंतोष उत्पन्न करते हैं। इस प्रकार आतंकवादी तो अपने कार्यों के परिणामों के बारे में निश्चित होता है, साथ ही यह भी जानता है कि सरकार के सम्मुख वह ''धर्म संकट'' की स्थिति खड़ी कर सकता है। सरकार की अत्यंत कठोर कार्रवाई, या कमजोरी, दोनों ही स्थितियां आतंककारियों को कुछ न कुछ लाभ पहुंचा सकती हैं।

यदि इस आतंकवादी मनोविज्ञान को भलीभांति समझ लिया जाए तो इसके प्रतिकार के कुछ व्यावहारिक कदम उठाए जा सकते हैं। प्रायः यह धारणा पाई जाती है कि चूंकि आतंकवादी अपनी ''जान हथेली'' पर रखने को तत्पर रहता है अतः उसके विरुद्ध संघर्ष काफी कठिन है। उन्हें गिरफ्तार कर लेने या मार डालने से भी समस्या का हल नहीं हो सकता, क्योंकि उनकी ''शहादत'' उनके मकसद को पूरा करने में और अधिक योगदान देगी परंतु यह सत्य नहीं है। आतंकवाद के विरुद्ध संघर्ष कितना ही लंबा और कठिन क्यों न हो, अंतिम विजय

उनकी नहीं होती है। ऐतिहासिक समसामयिक अनुभव हमें इसी निष्कर्ष की ओर ले जाता है। किसी भी देश में वास्तविक या संभावित आतंकवादियों की संख्या उस समूह या वर्ग की जनसंख्या से जिनमें से आतंकवादी आते हैं से तुलनात्मक रूप में बहुत कम होती है। इन आतंकवादियों को निरंकुश तानाशाही शासन में तो आसानी से समाप्त किया ही गया है, अन्य प्रकार की शासन व्यवस्थाओं ने भी इन पर नियंत्रण पाने में पर्याप्त सफलता प्राप्त की है। राज्य की शक्ति, आतंकवादियों की शक्ति से निश्चित रूप से श्रेष्ठ होती है। यदि राज्य और शासन में दृढ़ इच्छाशक्ति हो और कड़े कानूनी तथा सुरक्षात्मक उपाय अपनाए जाएं तो आतंकवाद पर काबू पाया जा सकता है। प्रजातांत्रिक ढांचे में भी यह संभव है। परंतु इसकी कुछ न्यूनतम आवश्यकताएं हैं–

1– पुलिस और सुरक्षा बलों को आतंकवादियों के विरुद्ध अभियान चलाने में यह हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि वे जो भी कार्रवाई करें वह कानून की सीमा के अन्तर्गत ही हो। उनका कार्य कानून को लागू करना है, न कि उसका उल्लंघन करना। अत्यंत उत्तेजक स्थिति में भी उन्हें कानून के दायरे के अंदर रहने का प्रयास करना चाहिए। यदि पुलिस और सुरक्षा बलों के ऊपर कानून विरुद्ध कार्य करने, झूठी मुठभेड़ में हत्या करने जैसे आरोप लगते हैं तो आतंकवाद विरोधी अभियान में इससे अधिक हानिकर बात और कोई नहीं हो सकती। इन घटनाओं को लेकर भले ही वे अपवाद में ही क्यों न हों, होने वाली जन आलोचनाओं के कारण न केवल संरक्षी का उत्साह कम हो सकता है, स्वयं सरकार या मंत्रिमंडल सफाई देने की स्थिति में आ जाती है। यदि वर्तमान कानून में कोई कमी हो जिससे सुरक्षा अभियान में कठिनाई उत्पन्न होती है या उनसे तेज या तीव्र अभियान नहीं चलाया जा सकता या आतंकवादियों को गिरफ्तार करने या दंडित करने में कठिनाई होती है तो स्थिति की आवश्यकताओं को देखते हुए कानून में सुधार या परिवर्तन किए जा सकते हैं यद्यपि ये कानून प्रभावी होने चाहिए। इसके साथ–साथ यदि जनमत को उचित शिक्षा और प्रचार के द्वारा विश्वास में लिया जाए तथा उन्हें यह पक्का भरोसा हो कि आतंकवाद विरोधी कानून एवं अभियान में उनका सहयोग आवश्यक है, बल्कि उनका प्रयोग न्यायपूर्ण एवं सभी रूपता

से होगा तो सरकार और सुरक्षा बलों को सामान्य जन का पूर्ण सहयोग मिल पाने की आशा की जा सकती है।

2– आतंकवाद कैंसर के समान है। यदि प्रारंभिक अवस्था में ही इसका प्रतिकार नहीं किया गया तो यह बढ़ता जाता है तथा बाद में इस पर नियंत्रण करना सामाजिक, राजनीतिक, सुरक्षात्मक इत्यादि सभी दृष्टिकोणों से काफी महंगा पड़ता है। यदि प्रारम्भ में ही सभी राष्ट्रों के द्वारा आतंकवाद के विरुद्ध मिलकर कदम उठाए जाते तो आज यह समस्या समस्त विश्व के समक्ष भयंकर रूप में न होती। अतः इसे आरम्भ में ही दमित कर देना चाहिए। समय के साथ आतंकियों का संगठन, शक्ति साधन, आंतरिक और बाह्य संपर्क तथा समर्थन बढ़ते जाते हैं। उनके कार्य क्षेत्र बढ़ते जाते हैं तथा विधियां भी अधिक परिष्कृत होती जाती हैं। अतः आतंकवाद को कुचलने में कोई ढील या संकोच नहीं होना चाहिए। हमारे अपने देश में पंजाब का अनुभव यह बताता है कि प्रारंभ से ही दृढ़ और कड़े कदमों के अभाव में यह समस्या बढ़ती गई। प्रारंभ में ही यदि कठोर कदम उठाए जाते तो संभवतया कम शक्ति, साधन और मानव जीवन की क्षतियों की समस्या पर काबू पाया जा सकता था। परंतु ऐसा न कर पाने का परिणाम यह हुआ कि आतंकवादियों की संख्या गुट, साधन, हथियार, संपर्क और साहस बढ़ते गए, भारत में स्वर्ण मंदिर को हथियारों का भंडार तथा आतंकवादियों की शरणस्थली बनने दिया गया, जिसकी परिणति आपरेशन ब्लू स्टार के खून खराबे के रूप में हुई। पुलिस और सुरक्षा बलों के मनोबल को कम करने में इसके सहायक तत्व और कुछ नहीं हो सकता कि उनके सहयोगियों या अन्य व्यक्तियों की हत्याएं होती रहीं और वे कानून के अनुसार भी कोई कार्रवाई न कर सके। आतंकवाद के विरुद्ध प्रारंभ से ही कार्रवाई करने में कोई संकोच नहीं होना चाहिए।

उपर्युक्त बिंदु के संदर्भ में यह भी कहा जा सकता है कि प्रजातांत्रिक शासन व्यवस्था में आतंकवाद विरोधी नीतियों में एक विरोधाभास भी देखने को मिलता है। चूंकि यहां मानव अधिकारों के प्रति संवेदनशीलता पाई जाती है। अतः आतंकवाद जब तक एक मामूली–सी समस्या होती है, तब तक हमारे द्वारा व्यक्तियों की स्वतंत्रता तथा अधिकारों पर प्रतिबंध नहीं लगाए जाते। परंतु जब वह

इतना बढ़ जाता है कि समाज की सामान्य हीन, व्यवस्था तथा कार्यप्रणाली में गंभीर व्यवधान उपस्थित होने लगता है, दूसरी ओर शासन के लिए चुनौती बन जाता है, तभी सरकार के ऊपर आतंकवाद को समाप्त करने के लिए सभी संभव उपाय अपनाने के लिए दबाव डाला जाता है फिर प्रजातांत्रिक सरकार भी नागरिक स्वतंत्रता और अधिकारों पर कुछ प्रतिबंध लगाने के लिए विवश होती हैं तथा कड़े कानून और उपायों का सहारा लेती हैं।

इस तरह जैसे–जैसे आतंकवाद का जोर बढ़ता जाता है, वैसे–वैसे ही आतंकवाद विरोधी अभियान भी तेज होता जाता है। क्योंकि प्रशासनिक सरकारें भी अधिक लंबे समय तक आतंकवाद के प्रति सहनशील ही नहीं रह सकतीं। इसका कारण यह है कि आतंकवाद से न केवल कानून और व्यवस्था पर ही प्रभाव पड़ता है, बल्कि उसके कई अन्य प्रतिकूल परिणाम भी होते हैं– जैसे देश की एकता व अखंडता को खतरा, बहुमूल्य और सीमित आर्थिक तथा अन्य साधनों का आतंककारी गतिविधियों से निपटने में सहयोग देश की छवि पर प्रतिकूल असर, सरकार की विश्वसनीयता के प्रति संदेह, देशी–विदेशी पर्यटन में कमी, उत्पादन और व्यापार जैसी गतिविधियों में रुकावट तथा अन्य नकारात्मक परिणाम। अतः सरकार को इसके विरुद्ध कड़े कदम उठाने ही पड़ते हैं।

भारत में आतंकवाद से निपटने के लिए समझौता वार्ता का दौर

सामान्यतः समझौता वार्ता को किसी ने मनचाहा पाने की कला करार दिया। लेकिन सरकार जिस समस्या का अभी तक सामना करती आ रही है वह यह है कि आखिर वह चाहती क्या है, खुद उसे भी नहीं पता। मामला चाहे कश्मीर में हुर्रियत कांफ्रेंस से, पश्चिम बंगाल में गोरखाओं से, असम में उल्फा से या फिर आंध्र प्रदेश में माओवादियों से बातचीत का हो। ज्यादातर बागी और आतंकवादी समूहों के साथ दशकभर से भी अधिक समय से चलती आ रही वार्ताएं या तो किसी अंजाम तक नहीं पहुंच पाईं या फिर गतिरोध में फंस गई हैं। वर्ष 2004 में पीपुल्स वार ग्रुप (पी.डब्ल्यू.जी.) के साथ आंध्र प्रदेश सरकार की बातचीत के खटास भरे अनुभव को देखते हुए केंद्र सरकार की वार्ता की पेशकश पर माओवादियों की हास्यास्पद प्रतिक्रिया भी

सरकार को प्रभावित नहीं कर पाई है। यहां तक कि माओवादियों की ओर से बातचीत करने वाले कवि और लेखक पी.वरवर राव ने भी स्वीकार किया है कि उन्होंने संघर्ष विराम की अवधि का इस्तेमाल पुनर्गठित होने के लिए किया। पर आंतरिक सुरक्षा विशेषज्ञ अजय साहनी का कहना है कि राज्य सरकार ने भी संघर्ष विराम की अवधि का उपयोग संगठन में सुनियोजित तरीके से पैठ बनाने में किया जिससे अंततः नक्सल विरोधी विशेष बल ग्रेहाउंड को उन्हें दबाने में मदद मिली।

आंतरिक सुरक्षा विशेषज्ञों और अनुभवी वार्ताकारों का मानना है कि किसी वार्ता के सफल होने के लिए दोनों पक्षों में स्पष्ट समझ और इच्छाशक्ति होना जरूरी है। दोनों ही पक्षों में यह बात बिल्कुल साफ होनी चाहिए कि वार्ता अवसरवादिता नहीं बल्कि सिद्धांतों पर आधारित है। यही नहीं, दोनों को यह भी पक्का कर लेना चाहिए कि क्या वे समस्या का हल चाहते हैं। वार्ता से पहले की इन जरूरतों के मद्देनजर स्थिति अभी केंद्र–माओवादी वार्ता के लिए परिपक्व नहीं हुई थी। गृह सचिव जी.के. पिल्लै का कहना था कि यह तो तभी संभव हो पाएगा जब उनके शीर्ष नेताओं को या तो गिरफ्तार कर लिया जाए या फिर मार दिया जाए।

अक्सर सफलता की गाथा करार दी जाने वाली 1980 के दशक के प्रारंभ में हुई मिजोरम वार्ता तभी हो पाई थी, जब विद्रोहियों की रीढ़ की हडडी तोड़कर रख दी गई। अजय साहनी का कहना है कि मिजो वार्ता से पहले बहुत ही निर्दयतापूर्वक सैन्य अभियान चलाया गया था। वे कहते हैं, ''वार्ता मंच पर आने से पहले ही उग्रवादियों को बुरी तरह तोड़कर रख दिया गया और उनके पास कोई चारा नहीं रह गया था। ''विद्रोही गुट के हथियार डालने के लिए राजी होने के बाद ही सरकार ने उदारता दिखाई थी और वार्ता को उनके सफाए के लिए इस्तेमाल किया था। ऐसा न किया जाता तो उनका विद्रोह बढ़ सकता था और वे ज्यादा तोड़–फोड़ और हिंसा पर उतरते, जैसे कि पंजाब में हुआ था, जहां वार्ता भी समस्या का ही अंग बन गई थी।

हुर्रियत कांफ्रेंस के साथ कभी बंद तो कभी शुरू होने वाली वार्ता का भी यही हाल है। वर्ष 2004 में शुरू हुई वार्ता जल्द ही टूट भी गई। 2009 सितंबर में गृह मंत्री पी. चिदंबरम ने इस संगठन के साथ वार्ता

फिर से शुरू करने का निर्णय लिया, और उन्होंने उसके अध्यक्ष मीरवाइज उमर फारूक, अब्दुल गनी भट और बिलाल लोन के साथ दो चरणों में गुप्त वार्ता भी की। लेकिन इस खबर के मीडिया में लीक होने के साथ ही इसमें व्यवधान पड़ गया। लेकिन आंतरिक सुरक्षा विशेषज्ञ अजय साहनी के मुताबिक, ऐसे संगठन के साथ बातचीत करने का कोई मतलब नहीं है, जो अपनी प्रासंगिकता खो चुका है और पाकिस्तान महज 2009 का प्रतिनिधि बनकर रह गया है। वे कहते हैं, ''हुर्रियत कांफ्रेंस इस विशेषाधिकार की पात्र नहीं है कि उसे प्रधानमंत्री या गृह मंत्री से मुलाकात का मौका दिया जाए।''

लेकिन इस साल की शुरूआत में 'नगालिम' या वृहत्तर नगालैण्ड की मांग करने वाले नागा विद्रोही गुट एन.एस.सी.एन. (आई–एम) के एक प्रतिनिधिमंडल को प्रधानमंत्री और गृहमंत्री दोनों से ही मुलाकात करने का मौका दिया गया। थुइंगालेंग मुइवा के नेतृत्व में इस प्रतिनिधिमंडल ने केंद्र के नए वार्ताकार आर.एस. पांडे के साथ भी बातचीत की। इसमें मुइवा ने एक बार फिर एन.एस.सी.एन. की तीस मांगों की सूची प्रस्तुत की, जिसमें नगालैंड को प्रभुसत्ता प्रदान करने और पड़ोसी राज्यों के नगा–बहुल इलाकों को नगालिम में मिलाए जाने की मांगें भी शामिल हैं। माना जा रहा है कि पांडे ने नगा नेताओं को यह साफ साफ बता दिया है कि नगालैंड को प्रभुसत्ता प्रदान करने की कोई संभावना नहीं है और वार्ता 'अधिक स्वायत्ता प्रदान करने' के विचार के इर्दगिर्द ही संभव हो सकती है। वार्ता को तार्किक निष्कर्ष तक पहुंचने में कितना समय लगेगा, यह अब सरकार के लिए कोई चिंता का विषय नहीं रहा है।

अजय साहनी ने कहा हैं, ''नेता वृद्ध होते जा रहे हैं यथा स्थिति बनाए रखना उनके लिए मुफीद है। करों के जरिए वे करोड़ों कमाते हैं और सरकार से गुप्त रूप से भी धन पाते हैं, जिसके चलते उसे भी शासन–व्यवस्था की समस्या से नहीं निबटने का बहाना मिल जाता है।'' जहां तक प्रतिबंधित संगठन यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम (उल्फा) की बात है, पी. चिदंबरम ने यह स्पष्ट कर दिया था कि बातचीत करने की सरकार की रजामंदी के बावजूद संगठन पर दबाव बना रहेगा। इसे पहले ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता मशहूर लेखिका इंदिरा गोस्वामी ने इस संगठन और सरकार के बीच वर्ष

2005 में मध्यस्थता की थी, लेकिन उसमें भी ज्यादा कुछ नहीं निकल पाया था।

2009 दिसंबर माह में पृथक तेलंगाना राज्य की मांग की आग फिर से भड़कने के कारण गोरखालैंड का मुददा भी फिर से गरमा गया है, पिल्लै ने यह खुलासा किया है कि जब तेलंगाना विवाद चल रहा था तब गोरखा जनमुक्ति मोर्चा के साथ समझौता लगभग ठप ही पड़ा था। संगठन ने इस अवसर को भुना लिया और फिर से सिर उठा लिया। अब पार्टी, केंद्र और पश्चिमी बंगाल सरकार के साथ त्रिपक्षीय वार्ता फिर से शुरू हो चुकी है।

जहां तक आतंकवादी गतिविधियों को रोकने का सवाल है उसे तिरस्कार, प्रतिहिंसा और भ्रामक प्रचार के माध्यम से नहीं रोका जा सकता है। इसके लिए तो प्रत्येक बड़ी व छोटी राजनैतिक, आर्थिक और सामाजिक समस्या के निदान के लिए वार्ता, वस्तुनिष्ठ सोच और तर्क को स्वीकार करने की आवश्यकता है। इसके लिए आतंकवादी को नीचा दिखाने की नहीं बल्कि उसे बिठाकर बात करने की जरूरत है। इस समस्या का हल अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों, उद्घोषणाओं और समझौतों में नहीं बल्कि मानव को मानव मानने, दूसरों के अधिकारों को स्वीकार करने और शोषण की प्रत्येक प्रवृत्ति की निंदा करने से ही हो सकता है। सत्तासीन लोग ही यदि आतंकवादियों, हिंसा के व्यापारियों व घृणित किस्म के लोगों से मिल जाएं, राजनैतिक लाभ के लिए ऐसे तत्वों के विरुद्ध कार्रवाई को धीमा कर दें, उन्हें समझौते की मेज पर लाने के लिए समर्पण की मुद्रा बना लें तो इस समस्या को बढ़ने से रोका नहीं जा सकता है। आतंकवाद पर काबू पाने के लिए तो दृढ़ राजनैतिक इच्छाशक्ति, वस्तुनिष्ठ सोच, सामूहिक समन्वित प्रयास, समस्या के मूल तक पहुंचने की ललक, तर्क के आधार पर निर्णय लेने के साहस जैसे तत्वों का होना आवश्यक है।1

भारत में आतंकवादी घटनाओं को रोकने के लिए सरकार के द्वारा अनेक प्रयास किए जा चुके हैं। परंतु सरकार अभी भी इस समस्या पर पूर्ण रूप से नियंत्रण नहीं पा सकी है। भारत में आतंकवादी घटनाएं कुछ राज्यों में निरंतर बढ़ती जा रही हैं तथा सीमा पार आतंकवाद की समस्या भी भारत के समक्ष चुनौती पेश कर रही है। अनेक वार्ताओं के दौर सरकार एवं आतंकवादी संगठनों के बीच

में हो चुके हैं परंतु समस्या अभी भी बनी हुई है।

आतंकवाद की समस्या किसी एक देश तक सीमित न रहकर विश्व के प्रत्येक कोने तक फैल चुकी है। 11 सितंबर, 2001 की घटना ने अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद के स्वरूप को ही परिवर्तित कर दिया है क्योंकि इस घटना से पूर्व तक आतंकवाद का प्रभाव गरीब एवं पिछडे देशों तक ही अधिक पाया जाता था परंतु अब आतंकवाद ने विकसित देशों को भी चुनौती देना आरंभ कर दिया है। इसलिए वर्तमान में इस समस्या का समाधान किसी एक देश द्वारा ही नहीं अपितु सभी राष्ट्रों द्वारा मिलकर किया जा सकता है। विभिन्न देशों की सरकारों द्वारा आतंकवाद से निपटने के लिए अनेक नीतियां बनाई गई है परंतु सरकारों द्वारा बनाई गई ये नीतियां आतंकवाद को रोकने में नाकाम रही हैं इसलिए आज आवश्यकता इस बात की है कि इस समस्या के समाधान के लिए आम जनता को भी इन कार्यक्रमों से जोड़ा जाना चाहिए जिससे जन सहभागिता को बढ़ाकर इस समस्या का समाधान किया जा सकें।

कानून व्यवस्था बनाए रखना तथा शांति बनाए रखना तथा नागरिकों के जीवन व संपत्ति की रक्षा करना यद्यपि पुलिस की तात्कालिक जिम्मेदारी है परंतु वास्तव में पुलिस यह कार्य अकले नहीं कर सकती। इसलिए पुलिस के द्वारा अपनी भूमिका के सही निर्वहन के लिए जन साझेदारी की आवश्यकता होती है परंतु वास्तव में देखा यह जा रहा है कि पुलिस जन साझेदारी के अभाव में कार्य कर रही है। जनता का पुलिस के कार्यों में सहभागिता का अभाव पाया जाता है जिसके प्रमुख कारण निम्नलिखित हैं :

जनता में अपने दायित्व के सही ज्ञान या जागृति व चेतना का अभाव है।

जनता में अधिकतर लोग अपराध निवारण प्रयासों के बारे में अनभिज्ञ हैं तथा अभिरुचि नहीं रखते हैं।

अपराध निवारक कार्यक्रमों तथा सुरक्षा के मामलों में वे किस तरह से सहयोग दे सकते हैं, इस विषय में वे न कुछ जानते हैं न उन्हें इस विषय में कोई शिक्षा मिलती है।

वर्तमान में अधिकांश लोग अपने–अपने व्यवसायों एवं धनोपार्जन में इतने अधिक व्यस्त हैं कि वे सामाजिक सुरक्षा जैसे कार्यों के लिए

समय ही नहीं निकाल पाते।

राजनीतिक दलबंदी तथा हिंसात्मक वातावरण ने समाज में एक ऐसी स्थिति उत्पन्न कर दी है कि समाज सेवा अथवा सामाजिक सुरक्षा का दायित्व नागरिक अपना कर्तव्य ही नहीं समझते। राजनीतिवाद ने पूरा सामाजिक वातावरण दूषित कर रखा है।

शहरी क्षेत्रों में सभी व्यक्ति अत्यधिक भौतिकवादी तथा व्यक्तिवादी हो गए हैं तथा सामाजिक सेवा का भाव विलुप्त हो गया है।

हमारी शिक्षा प्रणाली भी अत्यंत दोषपूर्ण है तथा सामाजिक सेवा संस्थाओं के विषय में बच्चों को कोई ज्ञान नहीं कराया जाता है।

जन प्रसार व प्रचार के माध्यम, अखबारों, किताबों, रेडियो, टी.वी. आदि में भी जनता को अपने सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमों तथा सामाजिक सेवा कार्यक्रमों के विषय में समुचित ज्ञान नहीं दिया जाता है।

सामाजिक सेवा तथा सामाजिक सुरक्षा के क्षेत्रों में जो कार्यक्रम बनाए जाते हैं उनके राष्ट्रीय, प्रांतीय, जिला, शहर व ग्राम स्तर पर प्रयासों में जनता की साझेदारी को एक महत्वपूर्ण स्थान योजना स्तर, क्रियान्वयन स्तर तथा संगठन स्तर पर दिया जाना चाहिए जो अभी तक नहीं दिया गया है।

कई सामाजिक संस्थाएं जो सामाजिक सेवा कार्य हेतु बनाई जाती हैं, उनमें ऐसे सम्पन्न, धनाढ्य तथा बड़े आदमी पदासीन हो जाते हैं जो केवल सामाजिक ख्याति तथा नाम हेतु ही इन संस्थाओं से संबंध जोड़ते हैं तथा औपचारिकताओं में ही विश्वास करते हैं परंतु ठोस रूप से सेवा की भावना से कोई कार्य नहीं करते हैं।

सरकारी कर्मचारी तथा समाज सेवा कार्यों में लगे कर्मचारी सामाजिक सेवकों के कार्य को उचित मान्यता प्रदान नहीं करते तथा अपने कार्य में विघ्न अथवा अनावश्यक बाधा समझते हैं।

शासन तंत्र में जनता की साझेदारी को सरकारी अधिकारी पूरी तरह से प्राप्त करना नहीं चाहते हैं तथा गोपनीयता तथा नियमों के मामलों में सामाजिक कल्याण को केवल राजकीय कार्यक्रम का एक हिस्सा बना दिया है।

जनसाझेदारी प्राप्त करने के साधन

आतंकवाद की समस्या को दूर करने के लिए जनता के स्तर पर निम्न प्रयास किए जाने चाहिएं।

शिक्षा के द्वारा

शिक्षा एक ऐसा माध्यम है जिसके माध्यम से आतंकवाद की समस्या से काफी कुछ सीमा तक निपटा जा सकता है। जैसे–

प्रारंभ से ही पाठ्यक्रम में ऐसी समस्याओं से संबंधित अध्याय सम्मिलित किए जाएं जो आतंकवाद से संबंधित जागरूकता बच्चों में लाएं।

बच्चों को यह भी बताया जाना चाहिए कि किसी भी लावारिस वस्तु जैसे टिफिन, खिलौने अथवा बॉल आदि को न छुएं क्योंकि कोई भी वस्तु बम के रूप में हो सकती है तथा कभी भी विस्फोटक रूप धारण कर सकती है। उदाहरण स्वरूप दिल्ली में एक बच्चे ने लावारिस खड़ी साइकिल पर रखे टिफिन को उतारा जिसके कारण वह फटा जिससे उस बच्चे की जान चली गई तथा कई अन्य लोग घायल हो गए। इसलिए बच्चों को इस प्रकार की शिक्षा घर एवं स्कूल पर प्रदान की जाए कि किसी भी लावारिस वस्तु को किसी भी स्थान पर न छुएं तथा उसकी सूचना तुरंत किसी भी बड़े व्यक्ति को दें अथवा पुलिस को दें।

शिक्षा के माध्यम से बच्चों को यह भी बताया जाना चाहिए कि अपने आस–पास जैसे घर के पास, पार्क में, बस स्टैंड के पास अथवा स्कूल बस के पास कोई भी संदिग्ध व्यक्ति या वस्तु दिखाई दे तो उसकी सूचना तुरंत स्कूल अधिकारियों/कर्मचारियों या अन्य बड़े लोगों अथवा पुलिस को तुरंत सूचना दें जिससे किसी भी आतंकवादी घटना को रोका जा सके।

पाठ्यक्रम में ऐसे विषयों को स्थान देना चाहिए जो आतंकवाद के कारणों पर प्रकाश डालते हों। इन विषयों के माध्यम से बच्चों को यह जानकारी दी जानी चाहिए कि किस प्रकार आतंकवाद के कारणों को रोका जा सकता है तथा आतंकवादी घटनाओं को घटने से रोका जा सकता है।

शिक्षा के माध्यम से यह भी जानकारी दी जानी चाहिए कि किस प्रकार आतंकवादी घटना घट जाने के बाद लोगों की सहायता करनी

चाहिए। बम ब्लास्ट या फायरिंग जैसी स्थिति में लोगों की जान जाने एवं घायल होने की संभावना बनी रहती है। ऐसे में घायलों को तुरंत उपचार की आवश्यकता होती है तुरंत मेडिकल सहायता उपलब्ध होने पर अधिकाधिक लोगों की जान को बचाया जा सकता है तथा आतंकवादी घटना के दुष्प्रभाव को कम किया जा सकता है।

शिक्षा के माध्यम से लोगों में सामाजिक सुरक्षा की अभिरुचि पैदा करने की आवश्यकता है जिससे कि सामाजिक सुरक्षा के विषय में वे अपना सहयोग प्रशासन को प्रदान कर सकें।

गैर–सरकारी संगठनों की भूमिका–

गैर–सरकारी संगठन समाज में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करते हैं। ये संगठन जनता के अधिक करीब होते हैं तथा जनता इन संगठनों पर अधिक विश्वास करती है इसलिए ये संगठन जनता के मध्य अच्छी इमेज रखते हैं। सरकार के द्वारा सामाजिक सुरक्षा का कार्य भी इन समाज सेवी संगठनों के माध्यम से किया जाना चाहिए समाज में ऐसे व्यक्तियों के द्वारा जो सामाजिक सुरक्षा एवं समाज सेवा में रुचि रखते हों इस प्रकार के संगठनों का निर्माण किया जाना चाहिए तथा अधिक से अधिक लोगों को इन संगठनों से जोड़ा जाना चाहिए तथा इन संगठनों के माध्यम से समाज में जागरूकता लाई जाए। प्रशासन के द्वारा भी इस प्रकार के संगठनों के साथ मिलकर कार्य करना चाहिए।

गैर सरकारी संगठन जगह–जगह कैंप लगाकर लोगों में आतंकवाद के संबंध में जागरूकता ला सकते हैं तथा लोगों को इस बात के लिए भी प्रेरित कर सकते हैं कि किस प्रकार आतंकवादी घटनाओं से बचा जा सकता है तथा इसके कारणों के निवारण में अपना सहयोग प्रदान कर सकते हैं यद्यपि कानून व्यवस्था की समस्त जिम्मेदारी सरकार एवं प्रशासन के पास होती है परंतु इस प्रकार की घटनाओं को सरकार अकेले नहीं रोक सकती। इसलिए आज आवश्यकता इस बात की है कि गैर सरकारी संगठनों को सशक्त एवं प्रभावी बनाया जाए जिससे कि आतंकवाद की समस्या से निपटने में ये संगठन महत्वपूर्ण एवं प्रभावी भूमिका का निर्वाह कर सकें।

संचार माध्यमों का प्रयोग

वर्तमान समय में संचार का प्रयोग निरंतर बढ़ता जा रहा है। इसलिए सरकार के द्वारा इन संगठनों का प्रयोग आतंकवाद से निपटने के रूप में करना चाहिए।

टेलीविज़न

समय–समय पर सरकार द्वारा प्रमुख आतंकवादी संगठनों, आतंकवादियों की सूचना टेलीविज़न पर प्रसारित करते रहना चाहिए जिससे आम व्यक्ति को भी इनसे अवगत हो सके। सरकार के द्वारा इस बात का भी प्रयास किया जाना चाहिए कि वांछित व्यक्तियों और आतंकवादियों की सूचना मिलने पर कहां सूचना भेजी जाए। इस प्रकार के नंबर एवं स्थान प्रमुख चैनलों पर दिखाए जाने चाहिएं।

आतंकवाद से पीड़ित व्यक्तियों से संबंधित सूचनाएं भी टी.वी. पर प्रकाशित करनी चाहिएं जिससे आम व्यक्ति भी अपनी भावनाओं को उनके जोड़ सके, क्योंकि जब व्यक्ति स्वयं को वहां रखकर सोचेगा तभी वह आतंकवाद के विरुद्ध कोई सख्त कदम उठाने में प्रशासन को सहयोग प्रदान करेगा। टी.वी. पर न केवल राष्ट्रीय घटनाओं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं को विशेष रूप से दिखाना चाहिए तभी आम व्यक्ति आतंकवाद के वीभत्व चेहरे को देख सकेगा। टी.वी. के माध्यम से सरकार के द्वारा आतंकवाद को रोकने के लिए सहयोग की अपील करनी चाहिए जिससे आम व्यक्ति इस अपील से प्रभावित हो सके।

रेडियो–

दूर–दराज के क्षेत्रों में रेडियो भी सूचना का एक सशक्त माध्यम होता है इसलिए सरकार के द्वारा आतंकवादी संबंधित सूचनाएं रेडियो पर प्रसारित करनी चाहिए। रेडियो के माध्यम से भी इस प्रकार की सूचनाएं आम व्यक्ति तक पहुंचाई जा सकती हैं। ये समस्त सूचनाएं जन सहभागिता की वृद्धि में सहायक सिद्ध होंगी।

प्रिंट मीडिया भी सूचनाओं का सशक्त माध्यम है। इसलिए आतंकवाद की घटनाओं को अखबारों में पत्र–पत्रिकाओं में विस्तृत रूप से प्रकाशित करना चाहिए। अखबारों में इस प्रकार के नारे दिए जा सकते हैं जो जनता की भावना को आतंकवाद के विरुद्ध उभार सकें।

प्रिंट मीडिया की भूमिका

व्यक्ति सुबह उठकर दिन का आरंभ समाचार–पत्रों के द्वारा ही करता है इसलिए आतंकवाद से निपटने के लिए समाचार–पत्रों की सार्थक भूमिका का निर्वाह करना चाहिए अर्थात् मीडिया आतंकवादियों को अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए प्लेट फार्म प्रदान न करे। आतंकवादियों के द्वारा अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने तथा सरकारों पर दबाव बनाना तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भय बनाने के लिए समाचार पत्रों का प्रयोग किया जा सकता है इसलिए प्रिंट मीडिया को सदैव सजग रहना चाहिए तथा इनकी भूमिका को हीरो के रूप में न प्रदर्शित करके देशद्रोही के रूप में पेश किया जाए। आतंकवादी संगठन 'जेहाद' के नाम पर सीधे–साधे लोगों को अपने संगठन से जोड़ लेते हैं तथा उनको प्रशिक्षण के पश्चात् आतंकवादी बना देते हैं। इसलिए प्रिंट मीडिया को 'जेहाद' के खिलाफ वातावरण तैयार कर लोगों को गुमराह होने से बचाना तथा इस प्रकार के साहित्य का प्रचार एवं प्रसार करना चाहिए जो लोगों को एक साथ जोड़ सके तथा इस भावना का भी प्रसार करें कि सभी जाति व धर्म समान हैं तथा सभी को एक–दूसरे का सम्मान करना चाहिए। धर्म के नाम पर विकसित होते आतंकवाद को प्रिंट मीडिया के माध्यम से जनमत तैयार कर इसके विस्तार को रोकना चाहिए अन्यथा यह कितने मासूमों को आतंकवाद के गर्त में धकेल देगा तथा कितने लोगों की जान ले लेगा।

सरकार की भूमिका

आतंकवाद की समस्या आज, सरकार के समक्ष प्रमुख चुनौती बन गई है। भारत में आतंकवादी घटनाएं दिन–प्रतिदिन बढ़ती जा रही हैं। पहले यह समस्या कुछ विशेष राज्यों तथा कुछ स्थानों तक सीमित थी परंतु आज यह इतना विकराल रूप धारण कर चुकी है कि सरकार के द्वारा किए गए अभी तक के प्रयास बौने साबित हो रहे हैं। सरकार के द्वारा आतंकवाद को रोकने के लिए अनेक कानून बनाए गए हैं प्रशासन को कुशल बनाने के लिए भी प्रयास किए गए हैं परंतु इतने प्रयासों के बाद भी आतंकवाद की समस्या बढ़ती जा रही है। इसलिए आज आवश्यकता इस बात की है कि सरकार के द्वारा इस

प्रकार के प्रयास किए जाएं कि अधिक–से–अधिक जनता की साझेदारी आतंकवाद को समाप्त करने में हो सके।

सरकार के द्वारा इस प्रकार के कड़े कानून बनाए जाएं जिससे आतंकवादियों को कड़ी से कड़ी सजा मिले अन्यथा आतंकवादी कठोर दंड से बच निकलता है।

सरकार के द्वारा जायज मांगों को समझौता वार्ता के द्वारा लोकतांत्रिक तरीके से स्वीकार कर लेना चाहिए, क्योंकि पिछले वर्षों में देखा गया कि सरकार के द्वारा जायज मांगों के न मानने से लोगों के द्वारा हिंसा का मार्ग अपना लिया जाता है। इसलिए सरकार के द्वारा लोगों की जायज मांगों को ध्यान में रखते हुए समयानुसार उनको पूरे करते रहना चाहिए।

सामान्यतः देखा जा रहा है कि आज कुछ नवयुवक आतंकवाद का मार्ग अपना रहे हैं। अभी तक आतंकवादियों के विषय में जो भी जानकारी है उसमें अधिकतर युवा वर्ग से हैं। नवयुवकों का आतंकवाद की तरफ मुड़ने का एक प्रमुख कारण रोजगार का अभाव है। रोजगार न मिलने के कारण वे आतंकवादी संगठनों से जुड़ जाते हैं। राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आज अनेक आतंकवादी संगठन हैं जो नवयुवकों को आतंकवादी बनाने के लिए प्रयासरत रहते हैं। रोजगार के अभाव में तथा अधिक धन प्राप्ति की इच्छा के लिए नवयुवक आतंकवादी संगठनों से जुड़ रहे हैं। आतंकवादी संगठन इनको अच्छा धन देते हैं तथा साथ ही साथ उनके परिवार की भी जिम्मेदारी उठाने का विश्वास दिलाते हैं। नवयुवक अच्छे धन प्राप्ति की इच्छा में इन संगठनों से जुड़ जाते हैं तथा आतंकवादी बन जाते हैं इसलिए आज आवश्यकता इस बात की है कि सरकार के द्वारा इस प्रकार की रोजगार नीति अपनाई जाए जिससे अधिकतर लोगों को रोजगार प्राप्त हो सके। शिक्षा रोजगारपरक होनी चाहिए जिससे व्यक्ति शिक्षा प्राप्ति के उपरांत अपना व्यवसाय आरम्भ कर सके तथा आतंकवादी संगठनों के चंगुल से बच सके।

सरकार के द्वारा प्रशासन विशेषकर पुलिस प्रशासन को इतना प्रभावी बनाया जाए कि वह आतंकवादी गतिविधियों का कुशलता के साथ सामना कर सकें। पुलिस को अत्याधुनिक हथियार उपलब्ध कराए जाने चाहिए, क्योंकि पुलिस विभाग में अभी भी पुराने हथियारों

के सहारे ही कार्य किया जा रहा है जबकि आतंकवादी अत्याधुनिक हथियारों से लैस होते हैं।

जन साझेदारी प्राप्त करने में पुलिस की भूमिका

पुलिस के द्वारा आतंकवाद विरोधी संगठनों का निर्माण किया जाना चाहिए। इन संगठनों में उन लोगों की भर्ती की जानी चाहिए, जो आम जनता में आतंकवाद को मिटाने के लिए जागरूकता पैदा कर सकें। ये संगठन विभिन्न माध्यमों से पुलिस एवं सरकार को सहयोग प्रदान कर सकें तथा समाज के अन्य लोगों को भी सहयोग के लिए प्रेरित कर सकें।

पुलिस को अपनी भूमिका के माध्यम से जनता के मध्य अच्छी छवि बनानी चाहिए जिससे जनता आतंकवाद को रोकने में पुलिस को सहयोग कर सके। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा था 'पुलिस का प्रमुख कार्य संपूर्ण भारत में शांति बनाए रखना है। बदलती हुई परिस्थितियों तथा स्थिति विशेष की विशिष्टता के अनुरूप हमें अपनी कार्यप्रणाली भी बदलनी चाहिए। यदि पुलिस कुशलता, ईमानदारी तथा निष्पक्षता के साथ सेवा करे तो आम जनता के हृदय में अधिकाधिक स्थान बनाती जाएगी तथा आम जनता जल्दी ही पुलिस को राष्ट्र के लिए उपयोगी समझने लगेगी।

पुलिस तथा गुप्तचर विभाग द्वारा आंतरिक सुरक्षा सम्बन्धी गुप्त सूचनाओं को प्राप्त करने के लिए जनता का सहयोग प्राप्त करने का प्रयास किया जाना चाहिए। पुलिस के द्वारा जनता में इस संबंध में जागरूकता लाई जाए कि लावारिस वस्तु जैसे पैन, टार्च, पर्स, साईकिल, टिफिन, खिलौना आदि किसी भी वस्तु को न छुए। स्कूल जाते समय, आफिस जाते समय, बस, ट्रेन, बस स्टाप, रेलवे स्टेशन, कार, टैक्सी में देख लें कि कोई लावारिस वस्तु न पड़ी हो। लावारिस खड़ी गाड़ी में भी बम हो सकता है। अनजान व्यक्तियों का सामान पास में न रखें। लैटर, पार्सल के रूप में भी बम हो सकता है। इसलिए जनता को इस बात के लिए सचेत किया जाना चाहिए कि किसी भी प्रकार की कोई लावारिस वस्तु मिलने पर पुलिस को तुरंत सूचना दे क्योंकि छोटी–सी वस्तु बम विस्फोट का रूप धारण कर सकती है।

बम फट जाने अथवा विस्फोट हो जाने पर घायलों को तुरंत अस्पताल पहुंचाने की व्यवस्था करनी चाहिए क्योंकि अकेले पुलिस के द्वारा इस प्रकार का कार्य नितांत ही कठिन कार्य है। महिलाओं, बूढ़ों, बीमारों एवं बच्चों को तुरंत सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जाए। जनता को पुलिस को सामान्य व्यवस्था बहाल करने के लिए उपाय बताने चाहिए।

पुलिस कर्मचारियों/अधिकारियों को इस बात का प्रशिक्षण प्रदान किया जाना चाहिए कि किस प्रकार वे आतंकवाद को रोकने में जन साझेदारी प्राप्त कर सकते हैं। सामान्यतः देखा जाता है कि पुलिसकर्मी जनता से दूरी बनाए रखने में विश्वास रखते हैं तथा जनता पर दबाव बनाकर उनसे सहयोग प्राप्त करना चाहते हैं। आवश्यकता इस बात की है कि पुलिस को जनता के साथ मित्रवत् व्यवहार करना चाहिए तथा जनता के मध्य अपनी सकारात्मक इमेज बनाकर उनसे सहयोग प्राप्त करना चाहिए। पुलिस को जनता को इस बात का विश्वास दिलाना चाहिए कि वे किसी भी प्रकार की सूचना देने पर आम व्यक्ति को परेशान नहीं करेंगे तथा उसके साथ सहयोगपूर्ण व्यवहार करेंगे।

पुलिस को समाज में इस बात का प्रचार एवं प्रसार करना चाहिए कि किसी भी लावारिस वस्तु जैसे बैग, बाल, खिलौना, अटैची, टिफिन आदि वस्तुओं को न छुएं तथा किसी भी लावारिस वस्तु के पाए जाने पर तुरंत इसकी सूचना पुलिस को दें। पुलिस के द्वारा सूचना भेजे जानेवाले नंबरों को जगह–जगह सार्वजनिक स्थानों पर चिपका देने चाहिए तथा स्कूलों एवं कालिजों के पास भी चिपका देने चाहिए जिससे किसी भी प्रकार की सूचना मिलने पर तुरंत पुलिस को सूचित किया जा सके। पुलिस अधिकारियों के द्वारा समय–समय पर स्कूलों एवं कालिजों में कैंप लगाए जाने चाहिए। इन कैंपों के माध्यम से इस बात की सूचना दी जाए कि किसी भी लावारिस वस्तु के मिलने पर उसको छूने का प्रयास न किया जाए क्योंकि यह विस्फोटक पदार्थ भी हो सकती है। बच्चों को इस प्रकार की सूचनाएं देना नितांत आवश्यक है, क्योंकि पिछले कुछ वर्षों में देखा गया है कि आतंकवादी किसी के साथ भी दया की भावना नहीं रखते और वह आतंकवादी घटना को कहीं भी अंजाम दे सकते हैं। इसलिए यह आवश्यक है कि किसी भी

आतंकवादी घटना से बचने के लिए सतर्कता बरती जाए।

सरकार के द्वारा उन पुलिसकर्मियों को सम्मान दिया जाना चाहिए जो आतंकवादी घटनाओं का सामना हिम्मत, के साथ करे। इस नीति से अन्य पुलिसकर्मियों का भी मनोबल बढ़ता है। सरकार के द्वारा उन पुलिसकर्मियों को भी आर्थिक सहायता प्रदान की जाए जो पुलिसकर्मी आतंकवादी घटनाओं में शहीद हो जाते हैं। पुलिस कर्मी भी सामान्य नौकरी पेशे वाले व्यक्ति की भांति होता है। उसका वेतन भी सीमित होता है तथा उसकी बचत की भी सीमा होती है। इसलिए पुलिसकर्मियों में भी सामान्तः यह भय बना रहता है कि उनके जाने के बाद उनके परिवार के सदस्यों का क्या होगा इसलिए वे विशेष रूप से आगे बढ़ने का साहस नहीं जुटा पाते हैं। इसलिए आवश्यकता इस बात की है कि सरकार के द्वारा इस बात का विश्वास दिलाया जाए कि किसी भी पुलिसकर्मी के शहीद हो जाने पर उनके परिवार को आर्थिक सहायता, नौकरी एवं बच्चों को अच्छी शिक्षा दिलाने की व्यवस्था की जाएगी। इस प्रकार की सहायता की व्यवस्था सरकार के द्वारा की जानी चाहिए तभी पुलिसकर्मियों के जज्बे में बढोत्तरी की जा सकती है।

आज भारतीय समाज में पलायनवाद बहुत ज्यादा है तथा जनता में सभी क्षेत्रों में उदासीनता का भाव पाया जाता है। यदि सड़क पर कोई दुर्घटना हो जाती है, विस्फोट हो जाता है या कोई अन्य आपदा आ जाती है तो सामान्यतया देखा जाता है कि अनेक लोग, गाड़ियों में या अन्य वाहनों में या पैदल वहां से निकल जाते हैं परंतु कोई भी वहां रुकना नहीं चाहता और न ही दुर्घटनाग्रस्त व्यक्तियों की सहायता करते हैं और न ही पुलिस को सूचना देते हैं। पुलिस को सूचना न देने का प्रमुख कारण पुलिस के द्वारा भविष्य में की जाने वाली कार्यवाइयों से बचना होता है तथा इसका कारण उनकी पलायनवाद की प्रवृत्ति होती है। जनता एवं सरकार दोनों की तरफ से ये प्रयास किए जाएं कि पलायनवाद की प्रवृत्ति को रोका जा सके तथा सामान्य व्यक्तियों में भी संवेदनशीलता की भावना को विकसित किया जा सके।

पुलिस द्वारा जन साझेदारी बढ़ाने के उपाय

आतंकवाद की समस्या से निपटने के लिए पुलिस के द्वारा जन साझेदारी बढ़ाने के लिए निम्न उपाय किए जाने चाहिए।

प्रत्येक गांव–मौहल्ले तथा क्षेत्रों में पुलिस की सहायता के लिए क्षेत्रीय सुरक्षा समितियां गठित की जानी चाहिएं जिससे जनता को पुलिस के साथ कार्य करने का अवसर मिल सके।

पुलिस तथा जनता के मध्य अच्छी साझेदारी के लिए आवश्यक है कि पुलिसकर्मियों को आवश्यक प्रशिक्षण तथा प्रेरणा दी जाए। पुलिस का जनता के साथ अच्छा संबंध बनाने के लिए पुलिसकर्मियों को अपने व्यक्तिगत आचरण एवं व्यवहार में आवश्यक परिवर्तन लाना पड़ेगा। सभी स्तरों पर पुलिस अधिकारियों को जनता से अच्छे सम्बन्ध रखने पर जोर दिया जाना चाहिए। स्वतंत्रता के पश्चात से भारत में पुलिस का समाज के विभिन्न वर्गों के साथ सहयोगात्मक एवं सहभागितापूर्ण जन संबंध की आवश्यकता महसूस हो चुकी है। जब तक पुलिस को जनता के प्रत्येक वर्ग से पूरा सहयोग प्राप्त नहीं होता है। तब तक पुलिस आतंकवाद को रोकने में अपनी भूमिका का उचित निर्वाह नहीं कर सकती है। जनता के सभी वर्गों के व्यक्ति अपनी जीवन सम्पत्ति और सुरक्षा के प्रति तभी आश्वस्त हो सकते हैं जब वे पुलिस को अपनी यथोचित भूमिका निभाने में पूर्ण सहयोग करें। पुलिस जनता का ही भाग तथा जनता के सामुदायिक कर्तव्यों का प्रतीक है। पुलिस को केवल सामाजिक नियंत्रण का एक प्रजातांत्रिक साधन माना जाना चाहिए न कि सत्ता का प्रतीक।

व्यक्तिगत स्तर पर पुलिस के सिपाही तथा थाना अधिकारी ही पुलिस के प्रतिनिधि के रूप में सामान्यतः जनसाधारण के संपर्क में आते हैं तथा उनका व्यवहार व आचरण जनसाधारण से पुलिस के संबंध स्थापित करता है। जनता को पुलिस की भूमिका उसकी कठिनाइयां, समस्याओं, विडंबनाओं व संरचना के बारे में पूरी जानकारी कराई जानी चाहिए ताकि जनता अपनी पुलिस को भली–भांति समझ सके। सामान्यतः जनता पुलिस के साथ इसलिए सहयोग नहीं करना चाहती, क्योंकि समाज में पुलिस की छवि नकारात्मक पाई जाती है। जनता यदि पुलिस को सही प्रकार से समझ पाएगी तभी वह पुलिस के साथ सहयोगपूर्ण भूमिका निभा सकती है।

कम्यूनिटी पुलिसिंग की आवश्यकता–

वर्तमान में भारत में नक्सलियों से निपटने की बात हो या घाटी में कानून व्यवस्था रखने की कवायद कम्यूनिटी पुलिसिंग को पुलिस का महत्वपूर्ण औजार माना जा रहा है। कम्यूनिटी पुलिसिंग से तात्पर्य, कानून बरकरार रखने के लिए आम लोगों से ली जाने वाली मदद से है यानी पुलिस कार्यों में जन सहभागिता। कम्यूनिटी पुलिसिंग की अवधारणा इंग्लैंड की देन है। लंदन मेट्रोपोलिटन पुलिस की शुरूआत करने को लेकर 1829 में जब सर रोबर्ट पील वहां की संसद को संबोधित कर रहे थे तो उन्होंने ऐसी पुलिस व्यवस्था की वकालत की, जो आमजन हितैषी हो। उन्होंने कहा 'पुलिस आम लोग हो और आम लोग पुलिस'। पील के इसी कथन को कम्यूनिटी पुलिसिंग का आधार माना गया। अमेरिका के साथ–साथ अन्य कई देशों के द्वारा इस विचार को अपने यहां के प्रशासनिक कार्यों के लिए आत्मसात् कर लिया गया है। भारत में इस रणनीति को शैशवास्था में माना जाता है पर गांवों में प्रहरी नियुक्त करने की सोच के पीछे भी यही अवधारणा थी। यद्यपि आधुनिक कम्यूनिटी पुलिसिंग को शुरू करने का श्रेय पहली महिला आई.पी.एस. अधिकारी डा. किरण बेदी को जाता है जिन्होंने तिहाड़ जेल में इसकी मदद से अपराधियों को मुख्य धारा से जोड़ा। वर्तमान में आतंकवादी घटनाओं को रोकने के लिए भी कम्यूनिटी पुलिसिंग की आवश्यकता को महसूस किया जा रहा है। पुलिस आतंकवाद को रोकने के लिए आम लोगों से सहायता प्राप्त करने तथा आतंकवादी घटनाओं से निपटने के लिए उनको सहायता प्रदान करे।

संदर्भ

1. इंडिया टुडे 2010

संदर्भ पुस्तकें

1. माथुर, कृष्ण मोहन (1989) ''विकासशील समाज में समसामयिक पुलिस की भूमिका'' ज्ञान पब्लिक हाउस, नई दिल्ली।
2. माथुर, कृष्ण मोहन (1991) ''स्वातंत्रयोत्तर भारत में जनता

का उत्तरदायित्व तथा पुलिस की भूमिका'' पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो नई दिल्ली।
3. सहगल, मेजर जनरल विनोद (2004) ''अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद'' प्रभात प्रकाशन दिल्ली।
4. तायल चतुर्वेदी (1988) ''अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद और अंतर्राष्ट्रीय विधि'' पंचशील प्रकाशन नई दिल्ली।
5. श्रीवास्तव आर0एस0 ''विकासशील समाज में समसामयिक पुलिस की भूमिका'' प्रकाशन विभाग, सिविल लाइंस, दिल्ली।
6. दासगुप्ता, विप्लव (1975), ''नक्सलवादी आंदोलन' ''मैकमिलन इंडिया लिमिटेड, दिल्ली।
7. राम, विमल प्रसाद ''पुलिस और समाज'', प्रकाशन सदन, नई दिल्ली।
8. चतुर्वेदी, शैलेंद्र कुमार ''भारतीय पुलिस का इतिहास'' (अतीत काल से मुगल काल तक) प्रकाशन विभाग सिविल लाइंस, नई दिल्ली।
9. सरौलिया, शंकर भारतीय पुलिस–संदर्भ एवं परिप्रेक्ष्य'' गौरव पब्लिशर्स जयपुर।
10. त्रिपाठी, शंभूरत्न ''भारतीय सामाजिक संरचना और संस्कृति'' किताब महल, इलाहाबाद।
11. भूषण पी.एस., (1998) 'पुलिस और समाज' मनीषा पब्लिकेशन, नई दिल्ली,
12. नवल, चंदनमल, (1992) 'भारतीय और पुलिस' राजस्थानी ग्रंथागार, जोधपुर,
13. भटनागर, सतीशचंद्र, (1983) 'पुलिस मार्गदर्शिका' द लायर्स होम, इंदौर,
14. चतुर्वेदी, मुरलीधर (1982) 'अपराध–शास्त्र एवं अपराध प्रशासन', इलाहाबाद लॉ एजेंसी पब्लिकेशंस, इलाहाबाद,
15. शर्मा, ब्रजमोहन, (1989) 'भारतीय पुलिस', पंचशील प्रकाशन, जयपुर,
16. यादव, विमलेश, (2002) 'अपराधों की रोकथाम में महिला पुलिस की भूमिका', सृजक प्रकाशक, गाजियाबाद,
17. बाबेल, बसंतीलाल, (1988) 'अपराधशास्त्र' ईस्टर्न बुक कंपनी, लखनऊ,
18. बघेल, डी.एस. (1981) 'अपराधशास्त्र', विवेक प्रकाशन, दिल्ली,
19. पाण्डेय, अजय शंकर, (2000) 'स्वाधीनता संघर्ष और पुलिस', राधाकृष्ण प्रकाशन प्राइवेट लिमिटेड, नई दिल्ली,
20. तनेजा, पुष्पलता, (1997) 'भारतीय प्रजातंत्र और पुलिस', सामयिक प्रकाशन, नई दिल्ली,
21. शाह, गिरिराज, (1998) 'अपराध, अपराधी और पुलिस', हिन्दी साहित्य निकेतन, बिजनौर,
22. भटनागर, सतीशचंद्र एवं भटनागर श्रीमती शांता, (1985) 'आधुनिक भारत पुलिस की भूमिका और संगठन', द लायर्स होम, इंदौर,
23. सरोलिया, शंकर, (1988) 'भारतीय पुलिस संदर्भ एवं परिप्रेक्ष्य', गौरव पब्लिशर्स, जयपुर,
24. आहूजा राम, आहूजा मुकेश, (1998) 'विवेचनात्मक अपराधशास्त्र' रावत पब्लिकेशंस, नई दिल्ली,
25. सिरोलिया शंकर, (1988) 'भारतीय पुलिस सन्दर्भ एवं परिप्रेक्ष्य' गौरव पब्लिशर्स, जयपुर,
26. भूषण पी.एस. (1998) 'पुलिस और समाज' मनीषा पब्लिकेशंस, नई दिल्ली,
27. वर्मा, परिपूर्णानंद, (1984) 'भारतीय पुलिस' विश्वविद्यालय प्रकाशन, वाराणसी,
28. त्रिपाठी, मधुसूदन (2008) (राष्ट्रीय एकता और आतंकवाद) ओमेगा पब्लिकेशंस नई दिल्ली,

सर्वेक्षण प्रपत्र

नाम .....

1. आयु
   (1) 18–35,
   (2) 36–50
   (3) 51 से ऊपर
2. धर्म
   (1) हिन्दू,
   (2) इस्लाम
   (3) अन्य
3. व्यवसाय :
   (1) सरकारी नौकरी,
   (2) निजी नौकरी
   (3) व्यवसाय
   (4) पुलिस अधिकारी
   (5) अन्य
4. लिंग
   (1) पुरुष,
   (2) महिला
5. शिक्षा
   (1) 10वीं
   (2) 12वीं तक
   (3) स्नातक
   (4) स्नातकोत्तर
   (5) व्यावसायिक योग्यता

6. आतंकवाद के लिए आप किस कारक को प्रमुख रूप से उत्तरदाई मानते हैं।
   (1) सामाजिक कारण
   (2) आर्थिक
   (3) राजनीतिक कारण
   (4) धार्मिक कारण
   (5) अन्य कारण
7. आपके अनुसार धार्मिक कट्टरता आतंकवाद के लिए उत्तरदाई है।
   (1) हां
   (2) नहीं
   (3) पता नहीं
8. क्या आप मानते हैं कि दोषपूर्ण शिक्षा प्रणाली एवं व्यावसायिक शिक्षा का अभाव आतंकवाद को बढ़ावा देता है?
   (1) कुछ सीमा तक
   (2) बहुत सीमा तक
   (3) बिल्कुल नहीं
9. सरकार की निष्क्रियता क्या आतंकवाद को बढ़ावा देती है।
   (1) कुछ सीमा तक
   (2) बहुत सीमा तक
   (3) बिल्कुल नहीं
10. क्या आप मानते हैं कि बाहरी देशों का हस्तक्षे आतंकवाद को बढ़ावा देता है।
   (1) कुछ सीमा तक
   (2) बहुत सीमा तक
   (3) बिल्कुल नहीं
11. सामाजिक वातावरण भी क्या आतंकवाद को बढ़ावा देता है।
   (1) कुछ सीमा तक
   (2) बहुत सीमा तक
   (3) बिल्कुल नहीं
12. समाज में आतंकवाद से सबसे अधिक पीड़ित वर्ग कौन सा है।

(1) निम्न वर्ग
(2) मध्यम वर्ग
(3) उच्च वर्ग
(4) सभी वर्ग

13. आप मानते हैं कि पुलिस द्वारा आतंकवाद से निपटने के लिए की गई कार्रवाई पर्याप्त है।
(1) नहीं
(2) बिल्कुल नहीं
(3) कुछ सीमा तक

14. आतंकवाद से निपटने के लिए क्या पुलिस को और प्रशिक्षण दिए जाने की आवश्यकता है।
(1) हां
(2) नहीं

15. आतंकवाद से निपटने के लिए सरकार के द्वारा प्रथम रूपेण क्या प्रयास किया जाना चाहिए।
(1) विकास को बढ़ावा
(2) भ्रष्टाचार को दूर करना
(3) व्यावसायिक शिक्षा को बढ़ावा
(4) व्यवस्था में सुधार

16. आतंकवाद से निपटने के लिए जनता के स्तर पर क्या प्रयास किए जाने चाहिए
(1) सरकार पर विकास के लिए दबाव बनाना
(2) जनता को जागरूक बनाना
(3) सरकार को सहयोग प्रदान करना

17. आतंकवाद से निपटने के लिए पुलिस के द्वारा क्या– क्या प्रयास किए जाने चाहिए।
(1) जनता का सहयोग प्राप्त करना
(2) अधिकारियों एवं कर्मचारियों में उचित समन्वय
(3) सरकारी नीतियों का उचित पालन
(4) पुलिस को अत्याधुनिक अस्त्र–शस्त्र प्रदान करना
(5) प्रशिक्षण प्रदान करना